सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

जनपद झाँसी ।

2002-2007

सर्व शिक्षा अभियान

जनपद–झाँसी

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद की पृष्ठभूमि	1-7
2	शैक्षिक परिचय	8-30
3	नियोजन प्रक्रिया	31-62
4	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	63-69
5	समस्याये एवं रणनीतियां	70-77
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार-I { नवीन विद्यालय }	78-82
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार-II {शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार }	83-110
8	ठहराव में वृद्धि	111-133
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सम्वर्धन	134-151
10	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	152-167
11	परियोजना लागत	168-173
12	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	174-175

.....

जनपद का परिदृश्य – अध्याय: १

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

पृष्ठ भूमि –

बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी ।
खूब लड़ी मरदानी वह तो झॉसी वाली रानी थी ।।

उपर्युक्त पंक्तियॉ सुनकर अचानक महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर मानसपटल पर उभर आती है । भारत ही नहीं अपितु विश्व की वीरांगनाओं में अग्रणी रानी लक्ष्मीबाई की कर्म स्थली जनपद झॉसी को कौन नहीं जानता है।

ब्रिटिश शासन से पूर्व झांसी जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त करना इतिहास कारों के लिए एंव हम सभी के लिये एक कठिन कार्य है, किन्तु यह निश्चित है कि यह जनपद चेदि देश , चेदि राष्ट्र, जेजाक भुक्ति, जज–होती तथा बुन्देलखण्ड नाम से विख्यात क्षेत्रों के अन्तर्गत ही शासित था । झाँसी की स्थापना ओरछा के बुन्देले राजा वीर सिंह द्वारा की गयी थी। जिसमें मुगल सम्राट जहॉगीर को सन् १६११ में ओरछा का राजा बना दिया गया था ।

सन् १६१३ में ओरछा बंजारा हिल्स बीर सिंह जू देव द्वारा निर्मित कराया गया था जोबाबन किलों में से एक था झाँसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में मतभेदरहा है। एक परम्परा के अनुसार एक दिन बीर सिंह जू देव जैतपुर के राजा के साथ ओरछा के किले के ऊपर बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे औरउसी समय झाँसी के किले के निर्माण का कार्य चल रहा था । बीर सिंह नें इस नई इमारत की ओर इंगित करते हुये कहा कि क्या इस नई इमारत की दीवारें दिखाई पड़ रही हैं। जैतपुर के राजा ने उत्तर दिया "झांई सी " दिखाई पड़ रही है। तभी से इस स्थान का नाम "झांई सी" पड़ गया और जिसका अपभ्रंश झांसी हो गया । बीर सिंह के समय मुगलों और बुन्देलों के बीच जो मधुर सम्बन्ध स्थापित हुये थे, वे धीरे–धीरे समाप्त हो गयेऔर मुगलों औरबुन्देलों के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया । इधर छत्रसाल की गतिविधियों से तंग होकर मुगल सम्राट फारुक सियार (१७१३–१७१९) नें अपने दरबार के महान सेनानायक मोहम्मद खान बख्श को विशाल सेना के साथ छत्रसाल का दमन करने के लिये भेजा । सन् १७२९ में छत्रसालको जैतपुर के किले में धेर लियागया , उसी समय बाजीराव नें छत्रसाल की सहायता कर मुगलों को परास्त किया । इस सहायता से द्रवीभूत होकर छत्र–साल नें बाजीरावका सम्मान किया, तथा अपनें सामाज्य का

एक तिहाई भाग बाजीराव को दे दिया। झाँसी मराठों के हिस्से में आ गयी, शीघ्र ही इस क्षेत्र को केन्द्र बनाकर मराठों नें अपनी शक्ति का विस्तार किया । उन्होंने झाँसी के किले का ही विस्तार नहीं किया बल्कि अन्य अनेक इमारतों का निर्माण कराया। उन्होंने झाँसी नगर की स्थापना कर एक स्वतन्त्र शासक के रूप में शासन करना आरम्भ किया। पन्द्रह वर्षों के अपने शासनकाल में नारों शंकर नें महाराष्ट्र के अनेक परिवारों को यहाँ लाकर बसाया । नारो शंकर के बाद महादजी गोविन्द काकेदकर , बाबूराव कोलाहदकर , विश्वास राव लक्ष्मण तथा रघुनाथ हरि नेवालकर परिवार ने झाँसी के सूबेदार का पद सम्भाला , बाद मे सूबेदार पद , बंशानुगत हो गया। इसकी अंतिम शासक महारानीलक्ष्मोबाई थी ।

सन् १८०३ में जैसे ही इस क्षेत्र में अंग्रेजो का पदार्पण हुआ तभी से झांसी के जो सूबेदार हुये थे वे सब निसंतान थे । यद्यपि सन् १८५१ मेंलक्ष्मी बाईके एक पुत्र पैदा हुआ था , किन्तु तीन माह बाद उस की मृत्यु हो गई । गंगाधर राव इस घटना से बहुत दुखी हुये और २१ नवम्बर १८५३ को उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्व उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया था, तथा लक्ष्मीबाई को झाँसी रियासत का रेजीडेन्ट नियुक्त किया था । किन्तु लार्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अन्तर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । लेकिन लक्ष्मी बाई नें अपने अंतिम समयतक लड़कर इस का विरोध किया ।

ऐसी वीरांगना लक्ष्मीबाई का नगर झॉसी जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, इसके पूर्व में हमीर पुर एवं महोबा जिले हैं और उत्तर में जालौन जिलाहै। इस जनपद के दक्षिण में ललितपुर जनपद स्थित है व दक्षिण तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ , शिवपुरी तथा दतिया जिले की सीमायें है। झॉसी जनपद का कुल क्षेत्रफल ५०२५ वर्ग किमी है ।

झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर २५.३० और २४.२७ उत्तरी अक्षाँश एंव ७८.४० और ७९.२५ देशान्तर दिशाओं के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में जिला जालौन पूर्वी सीमापर, हमीरपुर व महोबा जनपद , दक्षिण में ललितपुर तथा पश्चिमी भाग और दक्षिणी का कुछ भाग मध्य प्रदेश से घिरा है ।

जनपद मे ७६० आबाद ग्राम, ४४४ ग्रम पंचायतें, ६५ न्याय पंचायतें , ६ नगर पालिकायें, ७ नगर पंचायतें ,२ छावनीक्षेत्र तथा एक नोटीफाइड एरिया हैं । प्रशासनिक दृष्टिकोण से झांसी जनपद में पांच तहसीलें कमशः झाँसी, मोंठ, मऊरानीपुर,गरौठा एंव टहरौली है ।

विकास की दृष्टि से जनपद को ८ विकास खण्डों – बबीना , बड़ागॉव , बंगरा , मऊरानीपुर , चिरगॉव ,मोंठ , बामौर एंव गुरसरॉय में बांटा गया है ।

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

भौगोलिक परिचय :

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल ५०२५ वर्ग कि०मी० है । जिसे दो पृथक –पृथक भौतिक इकाईयों में बांटा गया है। उत्तर में निचला स्तर उपजाऊ भूमि का भू–भाग तथा दक्षिण में पठारी भू–भाग है। उत्तर भू–भाग की अधिकांश भूमिसमतल एंव मैदानी है, जिसमें कहीं कहीं छोटी–छोटी पहाड़ियॉ फैली हैं । इस क्षेत्र में झांसी , मोंठ, गरौठा और मऊरानीपुर का उत्तरी भाग आता है । बेतवा ,धसान और पहूज यहॉ की प्रमुख नदियॉ हैं । खनिजों में बालू , ग्रेनाइट पायरोफलाइट प्रमुख रुप से यहॉ प्राप्त होते हैं । बेतवा, धसान एंव पहूज नदियों का बहाव पूर्वोत्तर दिशा की ओर है । बेतवा यहॉ की सबसे बड़ी नदी है, जिससे जनपद के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई होती है । पहूज नदी पर सिमरधा बॉध बनाया गया है ,जिससे सिंचाई के लिये छोटी–छोटी नहरें निकाली गई है ।

जलवायु :

जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है । जिसके कारण ग्रीष्मकाल में काफी गर्मी और शीतकाल में काफी ठण्ड पड़ती है । यहॉ मध्य नवम्बर से अधिक ठण्ड रहती है व गर्मी में आद्रता २० प्रतिशत से भी कम हो जाती है और गर्म हवायें चलती हैं। जिले में वर्षा का सामान्य औसत ८५० मि०ली० है लेकिन वर्षा कभी अधिक और कभी कम होती है ।

झॉसी जनपद की जनगणना के जातिवार एवं विकासखण्डवार आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये हैं , जो कुछ आंकड़े मिले हैं वे इस प्रकार है :–

झॉसी जनपद की जनसंख्या वर्ष १९९१ में १४.३० लाख थी जो २००१ की जनगणना के अनुसार इसमें ३.१७ लाख की वृद्वि हुई है जो इस समय १७.४६ लाख हो गयी है । इसमें से ९.३४ लाख पुरुष तथा ८.१३ लाख महिलायें हैं । यहॉ की जनसंख्या वृद्वि दर २.२२ प्रतिशत है । यहॉ औसतन १००० पुरुषों के बीच ८७०महिलाये हैं । जनपद में जनसंख्या धनत्व ३४८ प्रति वर्ग किमी हैं ।

जनपद की कुल साक्षरता दर वर्ष १९९१ में ५१.६० प्रतिशत थी, जिसमें ६६.८० प्रतिशत तथा ३३.८० प्रतिशत महिलायें साक्षर थी । वर्ष २००१ की गणना के अनुसार साक्षरता दर में कुल १५.०९ प्रतिशत की वृद्वि हुई है और यह अब ६६.६९ प्रतिशत हो गई है । पुरुषों की साक्षरता दर में कुल १३.३१ की वृद्वि हुई है और यह वर्ष २००१ में ८०.११ प्रतिशत हो गयी हैं । महिला साक्षरता में आश्चर्यजनक वृद्वि हुई है और यह वर्ष २००१ में ५१.२१ प्रतिशत हो गयी है । महिला साक्षरता

मे आश्चर्यजनक वृद्वि हुई है और यह वर्ष १९९१ के मुकाबले ५१.२१ प्रतिशत हो गई है इसमें कुल १७.४० प्रतिशत की वृद्वि हुई है ।

झॉसी जनपद का उत्तर पूर्वी भाग समतल एवं उपजाऊ है, यहॉ कहीं–कहीं छोटी–छोटी पहाड़ियॉ हैं । जनपद का दक्षिण पश्चिमी भाग पहाड़ी एवं पथरीला है । यहॉकी बेतवा पहूज एवं धसान प्रमुख नदियॉ हैं । यहॉ बेतवा नदी पर माताटीला बॉध और पहूज नदी पर सिमरधा बॉध बना है जिनसे नहरें निकाली गई हैं और इन नहरों सेसिंचाई होती है । जनपद में गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर आदि रवी की फसलें होती हैं । खरीफ में धान, मूंग, मूंगफली,तिल आदि की फसलें होती हैं ।

झॉसी जनपद में मंडल का मुख्यालय है , यहॉ संयुक्त शिक्षा निदेशक का एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक का कार्यालय है । जनपद के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अकादमिक मार्गदर्शन देने हेतु यहॉ से २२ किमी दूर बरुआसागर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है । यहॉ ०१–०१ इन्जीनियरिंग कालेज एवं मेडिकल कालेज है ।

छात्र एवं छात्राओं के लिये ०१–०१ अलग–अलग पालीटेक्निक कालेज है, व एक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हैं । यह सभी कालेज बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झॉसी के अधीनस्थ है । केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यहॉ एक केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय भी हैं । जनपद में ११ डिग्री कालेज है जिनमें से तीन बालिकाओंके लिये है ।

इस जनपद मे बी०एच०इ०एल एवं परीछा थर्मल पावर (तापीय विद्युत परियोजना) जैसे औद्योगिक केन्द्र भी हैं। रानीपुर के हैण्डलूम के वस्त्र प्रसिद्व हैं । यहॉ कई टूरिस्ट केन्द्र (पर्यटन स्थल) हैं । यहॉ के अधिकांश लोग खेती करते हैं, इसके बाद व्यवसायी एवं मजदूर वर्ग हैं । ग्रेनाइट की खदानों पर बहुत से मजदूर कार्य करतें हैं । महिलायें कृषि कार्य में सहयोग करती हैं । कुछ महिलायें एवं बच्चे बीड़ी बनाने का कार्य करते है ।

प्रशासनिक व्यवस्था :– झॉसी जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न सारिणी के माध्यम के समझ सकते है ।

सारणी १–१

प्रशासनिक संरचना

क्रमांक	ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
1	तहसील	05
2	विकासखण्ड	08
3	न्याय पंचायत	65
4	ग्राम सभायें	452
5	राजस्व ग्राम/मजरे	836

नगरीय क्षेत्र

क्रमांक	नगरीय क्षेत्र	संख्या
1	नगर महापालिका	Nil
2	नगर पालिका	01
3	नगर पालिका परिषद	06
4	टाउन एरिया	07
5	वार्ड	185

जनसंख्या :– वर्ष १९९१ की जनगणना के अनुसार झॉसी जनपद की कुल जनसंख्या १४.३० लाख थी , जिसमें ८.६३ लाख ग्रामीण जनसंख्या एवं ५.६७ लाख नगरीय जनसंख्या थी । वर्ष २००१ की गणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या १७,४६,७१५ है । जिसमें ९३४११८ पुरुष तथा ८,१२,५९७ महिलायें है । जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या १०,२९,१६४ है जिसमें ५,५००२८ पुरुष एवं ४,७९,१३६ महिलायें है। नगरक्षेत्र की कुल जनसंख्या ७,१७,३५१ है जिसमें ३८३६३३पुरुष तथा ३,३३,७१८ महिलायें हैं। १९९१ की जनसंख्या में कुल ३.१७ लाख की वृद्रि हुई है । जनपद में औसत १००० पुरुषों के मध्य ८७० महिलायें है । जनसंख्याधनत्व ३४८ प्रति वर्ग किमी है । जनपद की विकास खण्डवार अनुमानित जनसंख्या निम्नसारिणी में दर्शायी गई है ।

सारिणी १–२

विकासखण्डवार अनुमानित जनसंख्या – २००१

क्रमांक	विकासखण्ड	१९९१ की कुल जनसंख्या			२००१ की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	बबीना	59489	50540	110029	70262	61122	131384
2	बड़ागॉव	51239	43423	94712	60727	52827	113554
3	चिरगॉव	56469	48344	104813	66648	57979	124627
4	मोंठ	64094	54530	118624	74803	65073	139876
5	बामौर	56059	47008	103067	65813	57252	123065
6	गुरसंराय	56380	47533	103913	66417	57778	124195
7	मऊरानीपुर	62937	54183	117120	75198	65417	140615
8	बंगरा	59559	51505	111064	70617	61431	132048
9	नगरक्षेत्र	300510	266490	567000	383633	333718	717351
	योग	766736	663556	1430292	934118	812597	1746715

श्रोत: जनपदीय सांख्यकी पुस्तिका

विकासखण्डवार अनुसुचित जाति की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है

सारिणी १–३

विकासखण्डवार अनुसुचित जाति की जनसंख्या – २००१

क्रमांक	विकासखण्ड	१९९१ की कुल जनसंख्या			२००१ की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	बबीना	15873	13576	29449	19739	16188	35927
2	बड़ागॉव	14116	12137	26253	17615	14413	32028
3	चिरगॉव	16902	14346	31248	20967	17155	38122
4	मोंठ	19524	16460	35984	24145	19755	43900
5	बामौर	19704	16087	35791	24015	19650	43655
6	गुरसंराय	19924	16642	36566	24576	20107	44683
7	मऊरानीपुर	22825	19634	42459	28536	23348	51884
8	बंगरा	21152	18395	39547	26579	21747	48326
9	नगर क्षेत्र	105178	87942	193120	129795	106197	235992
	योग	255198	215219	470417	315967	258560	574527

अध्याय – २

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

शैक्षिक परिदृश्य :–जनपद झाँसी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत चयनित किया गया था । जनपद में अप्रैल २००० से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) संचालित किया जा रहा है , इसके अन्तर्गत जनपद में ६१ नवीन विद्यालय का निर्माण, ५५ भवनहीन एवं जर्जर भवनों का पुन–निर्माण किया गया तथा ५८ का पुननिर्माण द्वितीय वर्ष २००१–२००२ में हो चुके है । इसके साथ ही जनपद में २८७ अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाये गये। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत १०० हैण्डपम्प एवं २३० शौचालयों का निर्माण हो चुका है , जिसका उद्देश्य शत प्रतिशत नामांकन करना है। शालात्याग की दर को घटाकर १०प्रतिशत तक करना एवं विभिन्न विषयों की दक्षताओं की सम्प्राप्ति में वृद्वि करना है , इसके लिये सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण विद्यालय विकास अनुदान, अध्यापक अनुदान दिया गया। फलत: नामांकन वृद्वि एवं शालात्याग की दरमें कमी आयी है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य क्रम (तृतीय) केअन्तर्गत निर्धारितलक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर जनपद अग्रसर है । योजनापूर्व जन पद में शालात्यागीबच्चों का प्रतिशत २७.८ था , लेकिन नवम्बर २००१ में शाला–त्यागी बच्चों का प्रतिशत जानने के लिये एक सर्वे कराया गया , जिसके आधार पर ज्ञात हुआ कि गत दो वर्षो में शालात्याग की दर ५.६ प्रतिशत की कमी आयी जैसाकि सलंग्नक सर्वे सारणी से विदित होता है ।

जनपद की साक्षरता :– वर्ष १९९१ की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता दर ५१.६० प्रतिशत है , जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर ६६.८० प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर ३३.८० थी । वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर ६६.६९ जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर ८०.११ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर ५१.२१ प्रतिशत है। जनपद की कुल साक्षरता दर में १५.०९ प्रतिशत की वृद्वि हुई है और पुरूषों की साक्षरता दर में १३.३१ प्रतिशत की तथा महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक १७.४० प्रतिशत की वृद्वि हुई है ।

सारणी २.१

जनपद की साक्षरता को निम्न सारिणी के माध्यम से जाना जा सकता है

क्रमांक	जनपद की साक्षरता दर	११९१ में जनपद–झाँसी	१९९१ में उ०प्र०	२००१ में जनपद –झाँसी
1	कुल साक्षरता दर	51.60	41.60	66.69%
2	ग्रामीण साक्षरता	41.60	36.66	59.11%
3	शहरी साक्षरता	67.40	61.00	78.05%
4	कुल पुरूष साक्षरता	66.80	55.73	80.11%
5	कुल महिला साक्षरता	33.80	25.31	51.21%
6	ग्रामीण पुरूष	59.10	52.11	75.44%
7	ग्रामीण महिला	19.10	19.02	38.78%
8	शहरी पुरूष साक्षरता	78.60	69.98	86.53%
9	शहरी महिला साक्षरता	54.60	50.38	68.29%

श्रोत : जनपदीय सांख्यकी पुस्तिका

विकासखण्डवार साक्षरता विवरण
(१९९१ की जनगणना के अनुसार)

सारणी २.२

साक्षरता दर

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	पुरूष	महिला	योग
1	बबीना	49.3	16.0	34.3
2	बड़ागॉव	59.2	19.4	41.1
3	चिरगॉव	67.1	23.8	47.3
4	मोंठ	66.1	23.2	46.0
5	बामौर	62.5	18.6	42.7
6	गुरसरॉय	61.6	19.0	42.3
7	मऊरानीपुर	55.1	19.1	38.6
8	बंगरा	52.7	17.4	36.5
9	कुल ग्रामीण	59.1	19.6	41.1
10	कुल शहरी	78.6	54.6	67.4
	योग	66.8	33.8	51.6

श्रोत : जनपदीय सांख्यकी पुस्तिका

नोंट : वर्ष २००१ की विकास खण्डवार साक्षरता दर उपलब्ध न होने के कारण वर्ष १९९१ की साक्षरता दर के आंकड़े अंकित किये जा रहे हैं । श्रोत वर्ष १९९५ की जनपदीय सांख्यकीय पुस्तिका ।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में बबीना विकासखण्ड में सर्वाधिक कम साक्षरता है इस विकासखण्ड में महिला साक्षरता और भी अधिक कम है जहॉ के बच्चों के नामांकन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । अत:जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बबीना विकासखण्ड में १४ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ।

शिक्षण संस्थायें :—जनपद झॉसी की आबादी को देखते हुये प्रति १३३० की आबादी पर एक मान्यता प्राप्त/शासकीय प्राथमिक विद्यालय है । उच्च प्रा०वि०की संख्या तो और भी अधिक कम है । इस समय जनपद में कुल ३०६ उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो ५७११ की आबादी पर कुल एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है । सभी क्षेत्रों को सेवित करने हेतु १२० उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है जिससे कि सबको शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी । हम जनपद की शैक्षिक संस्थाओंको निम्नलिखित सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं ।

सारणी २.३

शिक्षण संस्थायें :– परिषदीय/मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय

		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
क्र०सं०	संस्थाएं	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1001	80	1081	32	296	328	1133	376	1409	07	16	23
2	माध्यमिक विद्यालय से संबध प्राइमरी	-	-	-	-	12	12	-	12	12	-	-	-
3	उच्च प्राथमिक	311	11	322	137	87	224	448	98	546	-	-	-
4	माध्य से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक	7	2	9	47	46	93	47	46	93	-	-	-
5	केन्द्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
6	नवोदय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-
7	हाईस्कूल(सं०एवं प्राई०)	04	-	04	28	24	52	32	24	56	-	-	-
8	इण्टरमीडिएट (सं०एवं प्राई ०)	03	02	05	19	22	41	22	24	46	-	-	-
9	डिग्री कालेज	-	-	-	04	06	10	04	06	10	-	-	-
10	विश्वविद्यालय/इन्जी०कालेज	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
11	तकनीकी संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
12	मेडीकल एवं आर्युवैदिक कालेज	-	-	-	-	-	-	-	02	02	-	-	-
13	आई०टी०आई०/पालीटेक्नीक	-	-	-	-	-	-	-	02	02	-	-	-
14	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली सस्थायें	-	-	-	-	09	09	-	09	09	-	-	-
15	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	-	-	-	-	-	-	824	100	924	-	-	-
16	मकतब/मदरसा	-	-	-	02	04	06	02	04	06	-	-	-
17	संस्कृत पाठशालायें	-	-	-		-	-	01	02	03	-	-	-
18	बाल श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	अन्ध/मूक बधिर पाठशाला		-	-	-	-	-	-	02	02	-	-	-
20	डायट		-	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-
21	बी०आर०सी	08	-	-	-	-	-	08	-	08	-	-	-
22	एन०पी०आर०सी०	65		-	-	-	-	65	-	65	-	-	-

सारणी २.४

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

क्र०सं०	संख्या	सृजित पद	कार्यरत	१–७–२००१ रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	1081	2929	2750	179	463
उच्च प्राथमिक	322	836	676	160	-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों मे सृजित २९२९ अध्यापकों के अधिसंख्य पदों पर अध्यापक कार्यरत है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ८३६ पदों में से कुल ६७६ पदों पर अध्यानक कार्यरत है ।

जनपद में शिक्षक संस्थायें (जहॉ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षायें संचालित है)

प्रकार	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	इन्टर कालेज
परिषदीय/राजकीय	1081	322	05	07
मान्यता प्राप्त	328	270	54	20
वित्तीय सहायता प्राप्त	-	16	24	24
योग	1409	708	83	51

<u>विद्यालयी सुविधायें</u> :– जब हम विभिन्न विकास खण्डों की असेवित बस्तियों की संख्या और वहॉ से विद्यालयों की दूरी निर्धारित मानक ३०० की आबादी और १.५ कि०मी० की दूरी पर नजर डालते हैं तो इन बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिये ई०जी०एस०, वैकल्पिक शिक्षाकेन्द्र अथवा अन्य प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता प्रतीत होती है । असेवित बस्तियों की संख्या तथा दूरी के अनुसार विद्यालय की सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है । (सारणी २.५)

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	एक कि०मी०से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	एक कि०मी०से अधिक किन्तु १.५ कि०मी०से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	१.५ कि०मी०से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्राम/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ३०० से अधिक है ।	४६७	२२६	
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ३०० से कम है ।	—	३२	51

सारणी २.५

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी —२.५

ब्लॉक का नाम	ऐसे ग्रामों /बस्तियोंकी संख्या जिनकी आबादी ३०० से अधिक है ।	१ कि०मी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	१ कि०मी०से अधिक किन्तु १.५ कि०मी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	१.५ कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
बबीना	,,	44	45	—
बड़ागाँव	,,	60	28	—
बंगरा	,,	53	40	—
बामौर	,,	66	28	—
चिरगाँव	,,	55	30	—
गुरसराँय	,,	78	69	—
मऊरानीपुर	,,	56	23	—
मोंठ	,,	55	53	—
योग		467	329	—

उपर्युक्त समस्त बस्तियों में डी०पी०ई०पी० से १११ एवं सर्व शिक्षा से ५३ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है । इस प्रकार समस्त बस्तियाँ सेवित हो चुकी है ।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी २.६

ब्लॉक का नाम	ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी ८०० से अधिक है ।	३ कि०मी० से कम दूरी पर परिक्षदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	३ कि०मी०से अधिक दूरी पर पाषिदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात १:२ करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्य
बबीना	,,	50	—	—
बड़ागॉव	,,	60	—	—
बंगरा	,,	79	—	—
बामौर	,,	47	—	—
चिरगॉव	,,	41	—	—
गुरसरॉय	,,	91	—	—
मऊरानीपुर	,,	54	—	—
मोंठ	,,	30	—	—
नगर क्षेत्र झॉसी	,,	109	—	—
नगर क्षेत्र मऊरानीपुर	,,	10	—	—
योग		572	—	—

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष २००३–०४

विकासखण्ड	कक्षा १			कक्षा २			कक्षा ३			कक्षा ४		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मौठ	2412	2217	4629	2193	2328	4521	2173	1950	4123	2087	2062	4149
चिरगॉव	1629	1669	3298	1799	1919	3718	1806	1721	3527	1428	2285	2713
बंगरा	2437	2253	4690	2299	2127	4426	2445	2253	4698	1947	1608	3555
मऊरानीपुर	2346	2168	4514	2215	2162	4341	2041	1946	3987	2007	1921	3928
गुरसरॉय	1835	1787	3622	2246	2311	4557	2485	2263	4748	2023	1909	3982
बड़ागॉव	2071	1922	3993	1982	1806	3788	1848	1753	3601	1529	1476	3005
बबीना	2777	2712	2490	2338	2043	4381	1937	1575	3512	1462	1088	2550
बामौर	1729	1863	3592	1803	3934	3737	1990	1959	3949	1548	1522	3070
झॉसी नगर	1279	1292	2571	1236	1394	2630	923	1027	1950	757	810	1567
मऊ नगर	274	393	562	281	278	569	241	262	503	151	224	375
योग	18679	18076	36755	18092	18005	36097	17757	15607	33364	14239	13805	28044

विकासखण्ड	कक्षा ५			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मौठ	1853	1671	3524	10721	10127	20848
चिरगॉव	1305	1179	2484	7969	7155	15644
बंगरा	1863	1456	3315	10993	9600	20593
मऊरानीपुर	1957	1873	3830	10567	9937	20504
गुरसरॉय	1911	1679	3590	11277	9126	20404
बड़ागॉव	1141	997	2138	8573	7857	16430
बबीना	1136	808	1944	9649	8128	17777
बामौर	1402	1282	2684	8474	8463	16937
झॉसी नगर	584	708	1292	4781	5133	9914
मऊ नगर	141	162	303	1091	1126	2217
योग	13193	11815	25008	84095	77172	161268

जनपद में किये गये हाउस होल्ड सर्वे में **5+6** से लेकर **11** वर्ष तक के कुल बच्चे १७०६३ चिन्हित किये गये थे जिनमें से अगस्त माह तक २१११८५ बच्चों का नामांकन परि०प्रा० एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हो चुका था । परि०प्रा०वि० में १६१२६८ बच्चे नामांकित किये जा चुके है ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन वर्ष २००३–०४
(जातिवार)

विकासखण्ड	कुल नामांकन			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मोंठ	10732	10127	20859	4412	3995	8407	4762	4727	9489	935	953	1888
चिरगाँव	7970	7615	15645	3204	5971	9195	4065	4395	8460	225	242	467
बंगरा	10994	9600	20594	4967	4395	9362	4831	4204	9095	412	425	837
मऊरानीपुर	10567	9937	20504	4630	4358	8988	4468	4126	8597	373	371	747
गुरसरॉय	10552	9852	20404	4239	3980	8219	5933	4505	10438	639	593	1232
बड़ागाँव	8574	7857	16431	2987	2737	5721	4998	4661	9659	102	136	238
बबीना	9649	8128	17777	3432	2907	6339	5562	4604	10163	102	99	201
बामौर	8475	8464	16939	3614	3400	7014	3270	3719	6989	320	376	696
झाँसी नगर	4781	5133	9914	1953	2192	4145	1180	2110	6290	1540	1680	2220
मऊ नगर	1076	1121	2200	568	628	1196	265	309	575	219	243	462
योग	83373	77894	161267	34006	34560	68566	38334	36357	74619	4870	5118	9988

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र नामांकन वर्ष २००३–०४
(जातिवार)

विकासखण्ड	कुल नामांकन			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मोंठ	2411	1715	4126	938	601	1539	977	741	1718	995	213	508
चिरगाँव	1973	1502	3475	934	551	1485	877	747	1624	37	50	87
बंगरा	2966	2056	5022	1451	966	2417	1161	699	1860	112	97	209
मऊरानीपुर	3335	2196	553	1387	844	2231	1300	740	2040	117	111	228
गुरसरॉय	2676	1682	4358	1249	706	1955	1049	592	1641	100	71	171
बड़ागाँव	1409	868	2277	517	272	789	759	477	1236	07	05	12
बबीना	1277	894	2171	454	226	680	702	4[illegible]	1201	09	56	65
बामौर	2174	1301	3475	1050	550	1600	772	482	1234	86	73	159
झाँसी नगर	514	660	1174	223	304	527	191	194	385	78	126	204
मऊ नगर	40	23	63	26	08	34	08	06	14	03	08	11
योग	18775	12897	31672	8229	5028	13257	7796	5177	12973	844	810	1654

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्रांकन वर्ष २००३–०४

विकासखण्ड	कक्षा ६			कक्षा ७			कक्षा ८			कुल योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मोंठ	971	726	1697	831	610	1441	607	379	986	2409	1715	4124
चिरगॉव	724	663	1387	655	411	1066	594	427	1021	1973	1502	3475
बंगरा	1122	829	1951	952	643	1595	891	584	1475	2965	2056	5021
मऊरानीपुर	1216	774	1990	1114	766	1880	1005	656	1661	3335	2196	5521
गुरसरॉय	953	707	1660	893	556	1449	830	418	1248	2676	1681	4357
बड़ागॉव	529	339	868	452	305	757	427	225	652	1408	869	2277
बबीना	424	346	770	411	291	702	442	256	658	1277	893	2170
बामौर	791	535	1326	737	440	1177	646	325	971	2174	1300	3474
झॉसी नगर	212	305	517	162	225	387	140	130	270	514	660	1174
मऊ नगर	15	07	22	14	06	20	13	06	22	40	23	63
योग	6957	5231	12188	6221	4253	10474	5595	3409	9004	18771	12895	31666

जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के कुल ९७६५३ बच्चे चिन्हित किये गये थे जिनमें से ९४५३४ बच्चों का नामांकन परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हो चुका है । इस समय परि०उ०प्रा०वि० में ३१६६६ बच्चे नामांकित है ।

सारिणी 2.9
विद्यालयों में भौतिक सुविधायें
परिषदीय विद्यालय- ;(अ) प्राथमिक

ब्लॉक का नाम	सुविधा का प्रकार							
	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अ0	शौचालय युक्त	हैण्डपम्प युक्त
बडागॉव	-	18	148	01	05	-	90	103
बबीना	05	29	66	03	01	-	95	110
चिरगॉव	09	50	64	-	-	-	115	136
मोंठ	08	76	68	-	-	-	120	138
बंगरा	08	69	31	05	-	01	110	140
मऊरानीपुर	14	63	36	-	-	-	97	133
गुरसरॉय	03	77	47	-	-	-	102	132
बामौर	22	70	44	-	-	-	103	108
झॉसी नगर	02	17	09	-	01	-	08	70
मऊ नगर	-	01	06	02	02	-	-	12
योग	71	470	519	11	09	01	843	1077

(ब) पूर्व माध्यमिक

ब्लॉक का नाम	सुविधा का प्रकार							
	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अ0	शौचालय युक्त	हैण्डपम्प युक्त
बडागॉव	-	-	15	03	01	-	14	14
बबीना	-	-	-	14	02	-	08	13
चिरगॉव	01	01	-	24	-	-	26	26
मोंठ	01	01	01	17	01	-	19	04
बंगरा	-	05	-	21	03	-	06	23
मऊरानीपुर	-	01	06	11	01	-	06	22
गुरसरॉय	-	-	-	32	-	-	05	25
बामौर	-	-	-	23	-	-	02	21
झॉसी नगर	01	02	03	05	-	-	-	09
मऊ नगर	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	03	10	25	150	08	-	86	160

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता :-

जनपद की १०३ असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है जिसमें ५० डी०पी०ई०पी के अन्तर्गत व ५३ सर्व शिक्षा के अन्तर्गत खोले गये है । मानक के अनुसार १२० असेवित बस्तियों में उच्च प्रा०वि० की स्थापना की जा रही है । डी०पी०ई०पी के अन्तर्गत ४४० शौचालय प्राथमिक विद्यालयों में बनवाये जा चुके है । २८७ अति०कक्षा कक्षों का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत कराया जा चुका है । जिससे कि कक्षा कक्ष छात्र अनुपात संतुलित हो सके । अधिकांश प्रा०वि० में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है । उ०प्रा०वि० हेतु हैण्डपम्प एवं शौचालय की मांग की जा रही है ।

सारणी

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
१	२	३	४
१	विधालय पुर्ननिर्माण	-	02
२	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	581	50
३	पेयजल सुविधा	04	34
४	शौचालय	238	75
५	चहार–दिवारी	0	0

डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत ११५ विद्यालयों का पुर्ननिर्माण किया जा चुका है । सर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्रा०विद्यालय पुर्ननिर्माण हेतु कोई मांग नहीं की जा रही है । इसी प्रकार डी०पी०ई०पी० योजना से प्रदत २८७ अति०कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है । कक्षा कक्ष –छात्र अनुपात के हिसाब से ५८१ अति कक्षा कक्षों की मांग प्राथमिक विद्यालयों हेतु की जा रही है । इसी प्रकार उ०प्रा०विद्यालयों हेतु ५० अति०कक्षा कक्षों की मांग की जा रही है व प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु मात्र ०४ प्रा०वि० शेष है जिनकी मांग सर्व शिक्षा में की जा रही है । उ०प्रा०वि हेतु ३४ हैण्डपम्पों की स्थापना की मांग की जा रही है ।

डी०पी०ई०पी० योजना द्वारा अभी तक ४४० प्रा०वि० में शौचालय उपलब्ध करा दिये गये हैं व शेष विद्यालयों में जिला योजनान्तर्गत शौचालय बनवा दिये गये है मात्र २३८ प्रा०वि० हेतु शौचालयों की मांग की जा रही है । इसी प्रकार उ०प्रा०वि० हेतु ७५ शौचालयों की मांग की जा रही है ।

भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति प्राथमिक व उच्च प्राथमिक

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	योग
पुनर्निर्माण	-	-	-	-
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	225	225	181	631
पेयजल सुविधा	38	-	-	38
शौचालय	213	100	-	313
चहारदीवारी	-	-	-	-

वर्तमान में उपलब्ध एवं प्रस्तावित विद्यालय–संख्या

सारणी

	ग्रामीण	नगरीय
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	1001	80
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	–	-
वर्तमान में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय	311	11
प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) के लागू होने के पूर्व उसके बाद हुई परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं अध्यापकों की संख्यात्मक वृद्वि को अधोलिखित सारणी से जाना जा सकता है । डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत वर्ष २००१–०२ में कुल ४१० शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति की चुकी है ।

	डी०पी०ई०पी०(तृतीय) लागू होने से पूर्व १९९९–२०००	डी०पी०ई०पी०(तृतीय) लागू होने के बाद २००१–०२
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	917	1081
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	2475	2929

श्रोत :– विभागीय आंकड़े

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स, जनपद झाँसी ।

जनपद झाँसी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) से आच्छादित जनपद है । वर्ष २००० में इस जनपद में डी०पी०ई०पी० योजना संचालित की गई । इस योजनाके अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय में एक शैक्षिक सूचना प्रणाली का गठन किया गया , जिसके द्वारा कुछ शैक्षिक आंकड़े प्रदा न किये गये जो निम्नवत हैं ।

Distrcit Profile of Jhansi (2000-01)

S.N.	BLOCKS	Population Primary Schools Age Groups	No. of Schools	Enrolment	Total Teachers	Class-rooms	Student Classroom ratio
1	Babina	20844	134	23861	644	472	51
2	Bamore	17198	118	18451	324	283	65
3	Bangra	20707	123	21412	363	298	72
4	Baragaon	18686	119	18946	552	349	54
5	Chirgaon	18481	123	16907	382	294	58
6	Gursarin	20479	126	22782	363	327	70
7	Moth	22735	130	20117	287	278	72
8	Mauranipur	18233	113	20134	298	283	71
9	Jhansi NagarChetra	57313	183	35788	976	997	36
10	Mau NagarChetra	6805	37	7548	229	207	36
	Total	221481	1206	205746	4418	3788	54

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ठ है कि जनपद के १२०६ प्रा०वि०में ६–११ वर्ष के कुल २२१४८१ बच्चों के सापेक्ष २०५७४६ बच्चों अर्थात ९२.८ प्रतिशतका नामांकन हुआ । जिन्हें पढ़ानें हेतु कुल ४४१८ अध्यापक इस जनपद में थे । कुल नामांकित बच्चों के लिये ३७८८ कक्षा कक्ष थे जोकि ५४ बच्चोंके लिये मात्र एक कक्षा–कक्ष पड़ता है ।

SELECTED INDICATOR
2000-01

S.NO.	BLOCKS	G.E.R.	N.E.R	P.T.R.	% OF SINGLE TEACHER TEACHER
1	Babina	114.27	102.66	37.1	5.22
2	Bamore	107.29	96.43	56.9	16.1
3	Bangra	103.40	99.54	59.0	8.94
4	Baragaon	101.39	91.06	34.3	3.36
5	Chirgaon	91.48	82.26	44.3	8.13
6	Gursarin	111.25	99.22	62.8	9.52
7	Moth	88.48	81.44	70.1	22.31
8	Mauranipur	110.43	105.06	67.6	15.04
9	Jhansi NagarChetra	62.44	50.47	36.7	2.19
10	Mau NagarChetra	110.92	85.14	33.0	0
Total		92.80	82.86	46.6	9.37

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मऊरानीपुर एवं गुरसरॉय विकासखण्ड ऐसे हैं कि जहॉ छात्र अध्यापक अनुपात जनपद में सबसे अधिक है। गत वर्ष सकल नामांकन अनुपात **82.86** था ।
श्रोत : ई०एम०आई०एस० ।
गत वर्ष २०००—०१ में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कुल बच्चों में ७५५४४ बच्चे अनुसूचित आति के थे जिनमें ४१२४१ बालक तथा ३४३०३ बालिकायें थीं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से ज्ञात होता है

Enrolment Summary – SC Students

S.N	Blocks	Class-Total Students						Class - Boys					
		I	II	III	IV	V	I-V	I	II	III	IV	V	I-V
1	Babina	2417	1671	1528	1339	1139	8094	1294	960	808	765	656	4483
2	Bamore	1795	1406	1336	1466	1300	7303	945	767	740	792	719	3963
3	Bangra	2313	1802	1856	1816	1639	9426	1210	988	1052	1003	941	5194
4	Baragaon	1650	1365	1197	1135	888	6235	884	713	643	610	524	3374
5	Chirgaon	1432	1116	1160	1109	972	5789	800	610	630	589	552	3181
6	Gursarin	2055	1724	1704	1715	1494	8692	1081	918	893	958	842	4692
7	Moth	1934	1452	1370	1437	1175	7368	1063	765	735	759	645	3967
8	Mauranipur	2273	1548	1799	1532	1457	8609	1171	839	1010	866	818	4704
9	Jhansi NagarChetra	2647	2411	2377	2128	1881	11444	1438	1280	1302	1184	1068	6272
10	Mau NagarChetra	657	560	514	2128	369	2584	368	296	277	264	206	1411
	Total	19173	15055	14841	14161	12314	75544	10254	8136	8090	7790	6971	41241

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	योग	अनुपात
ग्रामीण	1001	311	56	247	4:1
नगरीय	80	11	46	57	2:1
योग	1081	322	102	294	3:1

श्रोत :— विभागीय आंकड़े ।

रिपोर्ट — ह्रास–अवरोध नमूना सर्वे

जनपद — झाँसी

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	कक्षा १ का नामांकन वर्ष १९९६–१९९७ में			वर्ष ९६–९७ में कक्षा १ के नामांकित बच्चे जो वर्ष २०००–०१ में उतीर्ण हुये		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	प्रा०वि०आदर्श बरुआसागर, बड़ागाँव	31	24	55	28	20	48
2	प्रा०कन्या, गुरसराँय	05	03	08	05	02	07
3	महावीर बाल शिक्षा संस्कार केन्द्र,गुरसराँय	09	06.	15	09	04	13
4	प्रा०वि०बालक,पुलिस लाइन्स,झाँसी न०क्षेत्र	04	03	07	04	02	06
5	प्रा०वि०बिरगुवां, बड़ागाँव	10	09	19	09	08	17
	कुल योग	59	45	104	55	36	91

योजनापूर्व ह्रास अवरोध दर 27.8%

योजना उपरान्त ,, ,, ,, 22.1%

कुल प्रगति ———— 5.7%

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की स्थिति एवं अनुपातदर

क्रमांक	विकासखण्ड	विद्यालयों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या	अनुपात
					छात्र अध्यापक
1	बबीना	124	414	31	40:1
2	बड़ागाँव	110	442	22	35:1
3	चिरगाँव	121	278	33	51:1
4	मोंठ	136	298	95	53:1
5	बंगरा	134	310	61	56:1
6	मऊरानीपुर	116	243	59	68:1
7	गुरसराँय	126	256	57	65:1
8	बामौर	115	232	49	60:1
9	मऊ नगर क्षेत्र	12	41	12	5:1
10	झाँसी नगर क्षेत्र	74	241	01	41:1
योग		1081	2750	410	54:1

जनपद में असेवित बस्तियों में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ५३ प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है ।

ट्रान्जिशन दर (कक्षा ५ से ६)

वर्ष	कक्षा ५	कक्षा ६	ट्रान्जिशन दर
1999-2000	31107	20686	66.5%
2000-01	32087	21819	68.1%
2001-02	28654	9458	33.0
2002-03	24150	11836	49.0

श्रोत :— विभागीय आंकड़े

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि वर्ष १९९९—२००० में कक्षा ५ से कक्षा ६ में बच्चों की ट्रान्जेक्शन दर ३०.२ थी जो वर्ष २००१ में कक्षा ५ के परिषदीय विद्यालय में नामांकित बच्चों २ ८६५८ में से कक्षा ६ में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या ९४५८ अर्थात ३३ प्रतिशत थी । इसी प्रकार वर्ष २००२—०३ में २४१५० बच्चों में से ११८३६ बच्चों नें कक्षा ६ में प्रवेश लिया ।

१९९७ से २००३ तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-00	12694	6960	19654	64.6	35.4	100
2000-01	14254	8165	22419	63.6	36.4	100
2001-02	16308	9559	25867	60.0	37.0	100
2002-03	18228	12521	30749	59.2	40.8	100

झाँसी जनपद में वर्ष १९९९–२००० में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) लागू है । परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्वि के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अभूतपूर्व वृद्वि हुई है । वर्ष १९९९–२००० में परिषदीय

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा ६	कक्षा ७	कक्षा ८	योग	गतवर्ष के सापेक्ष वृद्धि
1999-00	7224	6374	6056	19654	-
2000-01	8175	7588	6653	22419	12.3
2001-02	9458	8654	7755	25867	13.3
2002-03	11836	10170	8743	30749	15.0

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि डी०पी०ई०पी०(तृतीय) के क्रियान्वयन के पश्चात परि०उ०प्रा०वि० की प्रत्येक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है । इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उ०प्रा०वि० के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके वितरित की गई जिसका प्रभाव यह हुआ की वर्ष २००२–०३ में कुल ३०७४७ बच्चे नामांकित हुये जो गत वर्ष की तुलना में ४८७२ अधिक थे । अर्थात् १५ प्रतिशत बच्चे अधिक नामांकित हुये ।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका एवं** नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय-03

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी में समयवद्व समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने सम्बंधी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है । सर्व शिक्षा अभियान जिसमें देश के प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य २०१० तक ६–१४आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है ।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्वति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रुप में प्रदान करने सम्बंधी जरुरत को पूरा करने का एक प्रयास है । इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है ।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बधीं इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है । ऐसे प्रयास किये जायेगें जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके । पंचायती राज संस्थाओं , निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायते भी सम्मिलित है, की सहभागिता सुनिश्चित करने के अलावा गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा ।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–(तृतीय) के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है । इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के६–११ वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का ऑकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्व व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई । झॉसी जनपद में सर्वप्रथम २०००–०१ में सूक्ष्म नियोजन के अर्न्तगत २२२ ग्राम शिक्षा समितियों तथा २००१–०२ में शेष २३२ ग्रा०शि०समितियों का प्रशिक्षण कराकर सूक्ष्म नियोजन का कार्य कराया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा का निर्माण भी कराया गया । सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनांये एकत्रित की गई :–

- ग्राम में ६–११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या ,
- विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ,
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ,
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय, क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है ?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं ,
- यदि नहीं , तो इसके सुधार के लिये ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं ?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमित रुप से विद्यालय आते हैं ?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार ,

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये जायेंगे ।

१– परिवार सर्वेक्षण ,
२– स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र ,
३– सूचनाओं का विश्लेषण ,
४– ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण ।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी :–

२०००–०१में २२२ ग्रामों के सूक्ष्म नियोजन के लिये ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों–शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षणप्रपत्रों के माध्यम से गॉव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया ।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। किसी गॉव की शैक्षिक स्थिति को एक दृष्टि में चित्रित करना स्कूल मान–चित्रण कहलाता है। गॉव की मौजूदा शिक्षा व्यवस्थाओं के सुधार के लिये विस्तृत कार्य योजना बनाना जिससे गॉव के सभी बच्चों को नि:शुल्कव अनिवार्य रुप से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसे ग्राम शिक्षा योजना का नाम दिया गया है । प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना गई है ।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्न सूचनायें एकत्र की गई हैं–

- बस्ती की पूरी जनसंख्या ,
- विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ,
- स्त्री – पुरुष की जनसंख्या ,
- पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ,
- बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी ,
- विकलॉग बच्चों के विषय में जानकारी ,
- बालिका शिक्षा की स्थिति ।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवार/बस्तीवार ऑकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहा०बे०शि०अधिकारीयों की सहायता से वर्गीकृत कर विकासखण्डस्तर पर संकलित किया जाना है । ६–१४ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में बांटा जाना है सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ६–८ वर्ष तथा ९–१४ वर्ष समूहों में आंकलित की जानी हैं । इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या अलग–अलग ज्ञात किया जायेगा । इसके अलावा ऐसे बच्चों की संख्या भी शामिल की जायेगी जो कामकाजी हों व पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे हैं ।

सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है , जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये है । उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान केअर्न्तगत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी जायेगी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का ऑकलन करते हुये उनकी शिक्षा व्यवस्था

हेतु कार्यक्रम रखे गये है ।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्धकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना २००२–०३ के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों एवं सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना २००३–२००४ के अर्न्तगत कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा ।

नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत ऑकड़ों के संबंध में परियोजना के पूर्व की गतिविधियों के तहत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जोकि प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष २००३–०४ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करतें समय किया जायेगा ।

हाउस होल्ड सर्वे/ स्कूल चलो अभियान :२००३–२००४

जनपद में गत मई में अध्यापकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे कियागया । जिसमें ६से ११ वर्ष के ११८५६३ एवं ९८५०० बालिकाओं कुल २१७०६३ बच्चे चिन्हित किये गये । इसी प्रकार ११ से १४ वय वर्ग के ५४२३१ बालक एवं ४३४२२ बालिकायें कुल ९७६५३ बच्चे चिन्हित किये गये ।

उपर्युक्त बच्चों से गत २० मई २००३ तक १०७९५८ बालकों एवं ८७३३८ बालिकाओं कुल १९५२९६ बच्चों का नामांकन हो चुका था । इसी प्रकार से ११ से १४ वर्ष के ९७६५३ बच्चों में से ५२९२७ बालकों एवं ४१६०९ बालिकाओं का नामांकन हो चुका था ।

स्कूल चलों अभियान के तहत शेष बच्चों में से ६ से ११ वय वर्ग के ८००९ बालक एवं ७८८० बालिकाओं कुल १५८८९ बच्चों का नामांकन कराया गया । वर्तमान में ६ से ११ वय वर्ग के २५९६ बालक एवं ३२८२ बालिकाओं, कुल ५८७८ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं । इसी प्रकार से ११ से १४ वय वर्ग के १३०४ बालक एवं १८१३ बालिकाओं कुल ३११७ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं । इस प्रकार जनपद में ८९९५ बच्चे इस समय स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनके लिये इस वर्ष ५१ ब्रिज कोर्स ०३ एन०जी०ओ० द्वारा ब्रिज कैम्प , ०७ ब्रिज कैम्प एस०सी०/एस०टी० के बच्चों हेतु व २४ ए०आई०ई० उ०प्रा०स्तर पर एवं ५० ई०जी०एस० केन्द्र चलाये जायेगें जिससे कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ३० सितम्बर तक शत प्रतिशत नामांकन करानें का प्रयास किया जायेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Cluster Wise Out Of School Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04

Block Name	5+ to 6+		7 to 10+		11 to 14		Total	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
BABINA	780	694	778	855	508	671	2066	2220
BAMORE	451	454	208	238	244	282	903	974
BANGRA	900	868	325	502	328	485	1553	1855
BARAGAON	1007	884	307	366	438	557	1752	1807
CHIRGAON	1157	1018	429	1216	682	967	2268	3201
GURSARAIN	543	501	349	306	324	352	1216	1159
JHANSI NAGARCHETRA	672	812	173	319	399	442	1244	1573
MAURANIPUR	679	601	380	322	292	299	1351	1222
MAURANIPUR N.CHETR	14	16	13	19	196	129	223	164
MOTH	1030	787	410	384	347	379	1787	1550
Total	7233	6635	3372	4527	3758	4563	14363	15725

जनपद में गत मई माह में हाउस होल्ड सर्वे किया गया, जिसमें 5-6 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले 14363 बालक एवं 15725 बालिकाएं चिन्हित की गई सर्वे से ज्ञात हुआ कि बबीना एवं चिरगाँव विकास खण्डों में सर्वाधिक बच्चे स्कूल नही जा रहे थे। 6से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक संख्या पिछडी जाति के बच्चों की थी।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Out Of School Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04

Block Name	General		SC		ST		OBC		Minority		Total	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
BABINA	123	123	600	626	2	0	1313	1447	28	24	2066	2220
BAMORE	110	100	349	417	0	0	400	416	44	41	903	974
BANGRA	63	46	572	612	0	16	877	1129	41	52	1553	1855
BARAGAON	103	104	506	481	0	0	1076	1163	67	59	1752	1807
CHIRGAON	157	147	932	1181	0	0	1085	1791	94	82	2268	3201
GURSARAIN	153	135	398	394	0	0	585	568	80	62	1216	1159
JHANSI NAGARCHETRA	256	321	341	450	0	0	400	507	247	295	1244	1573
MAURANIPUR	166	151	514	501	0	0	647	542	24	28	1351	1222
MAURANIPUR N.CHETR	53	25	62	33	0	0	57	68	51	38	223	164
MOTH	250	227	542	488	6	5	797	675	192	155	1787	1550
Total	**1434**	**1379**	**4816**	**5183**	**8**	**21**	**7237**	**8306**	**868**	**836**	**14363**	**15725**

6 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जाति के बच्चों की थी। इस वर्ग के 7237 बालक एवं 8306 बालिकाएं स्कूल जाने से वंचित थी बबीना, बड़ागाँव एवं चिरगाँव विकास खण्डों में पिछड़ी जाति के सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक बच्चे भी चिरगाँव विकास खण्ड में थे। अनुसूचित जाति के कुल 4816 बालक एवं 5183 बालिकाएं कुल 9999 बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे।

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Block Wise Handicap Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04 *Page 1 of 1*

Sl. No.	Block Name	6 - 11		11 to 14		Total		
		Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Total
1	BABINA	54	35	26	16	80	51	131
2	BAMORE	104	48	51	39	155	87	242
3	BANGRA	84	46	57	33	141	79	220
4	BARAGAON	74	53	62	19	136	72	208
5	CHIRGAON	64	43	55	42	119	85	204
6	GURSARAIN	53	36	17	13	70	49	119
7	JHANSI NAGARCHETRA	37	33	25	14	62	47	109
8	MAURANIPUR	79	49	23	24	102	73	175
9	MAURANIPUR N.CHETR	17	12	15	11	32	23	55
10	MOTH	87	57	58	34	145	91	236
Total		653	412	389	245	1042	657	1699

जनपद में 1699 बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित थे। इनमें से 1042 बालक एवं 657 बालिकाएं थी।

DISTRICT-JHANSI		OUT OF SCHOOL REASONWISE -1 DOMESTIC WORK					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114
BABINA	2003-04	1	198	181	163	163	166
BAMORE	2003-04	1	105	111	115	82	128
BANGRA	2003-04	1	164	142	148	132	201
BARAGAON	2003-04	1	227	265	77	103	219
CHIRGAON	2003-04	1	103	48	118	104	85
GURSARAIN	2003-04	1	262	231	156	93	142
JHANSI NAGAR	2003-04	1	146	291	68	139	133
MAURANIPUR	2003-04	1	170	136	53	36	56
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	1	2	2	1	2	63
MOTH	2003-04	1	291	233	215	244	104

DISTRICT-JHANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 2-LABOUR					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	2	23	27	70	63	58	24
BAMORE	2003-04	2	2	0	0	0	18	0
BANGRA	2003-04	2	12	10	3	4	17	6
BARAGAON	2003-04	2	58	39	17	7	66	127
CHIRGAON	2003-04	2	10	12	6	1	21	1
GURSARAIN	2003-04	2	7	4	16	6	30	9
JHANSI NAGAR	2003-04	2	30	17	17	6	101	44
MAURANIPUR	2003-04	2	0	0	0	0	4	0
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	2	2	2	2	1	13	11
MOTH	2003-04	2	0	0	8	7	49	10

...HANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 3-SIBBLING CARE					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	3	102	72	80	104	16	77
BAMORE	2003-04	3	34	46	26	116	16	37
BANGRA	2003-04	3	140	161	73	167	66	104
BARAGAON	2003-04	3	154	152	70	114	33	90
CHIRGAON	2003-04	3	126	96	62	69	20	38
GURSARAIN	2003-04	3	114	104	80	81	62	63
JHANSI NAGAR	2003-04	3	112	269	26	115	32	164
MAURANIPUR	2003-04	3	75	100	18	16	9	47
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	3	2	2	2	4	73	34
MOTH	2003-04	3	331	71	9	22	27	37

DISTRICT-JHANSI	OUT OF SCHOOL CHILDR...							
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	4	44	46	17	31	24	53
BAMORE	2003-04	4	13	10	2	0	0	0
BANGRA	2003-04	4	31	17	35	63	11	25
BARAGAON	2003-04	4	63	60	64	42	20	45
CHIRGAON	2003-04	4	6	7	0	0	8	16
GURSARAIN	2003-04	4	16	16	0	14	4	8
JHANSI NAGAR	2003-04	4	116	91	8	10	10	8
MAURANIPUR	2003-04	4	13	12	7	1	14	31
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	4	3	4	2	4	41	17
MOTH	2003-04	4	0	0	0	0	0	37

DISTRICT-JHANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 5-OTHER REASONS					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	5	415	366	448	494	224	310
BAMORE	2003-04	5	297	287	66	41	63	98
BANGRA	2003-04	5	663	648	69	136	43	58
BARAGAON	2003-04	5	485	378	79	100	60	66
CHIRGAON	2003-04	5	913	655	243	1042	548	807
GURSARAIN	2003-04	5	142	144	97	112	96	130
JHANSI NAGAR	2003-04	5	266	124	52	49	123	28
MAURANIPUR	2003-04	5	421	354	305	269	209	182
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	5	6	6	6	6	6	6
MOTH	2003-04	5	406	483	176	111	167	202

स्कूल चलो अभियान २००३ –०४

जनपद: झाँसी ।

बच्चों की कुल संख्या	हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित बच्चे							३१ अगस्त २००३ तक नामांकित बच्चें						
	५ से ६ वय वर्ग		७ से १० वय वर्ग		११ से १४ वय वर्ग		योग	५ से ६ वय वर्ग		७ से १० वय वर्ग		११ से १४ वय वर्ग		योग
314694	7233	6635	3372	4527	3758	4563	30088	6142	5300	1867	2580	2454	2750	2109

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष ६ से ११ वर्ष के ८००९ बालकों एवं ७८८० बालिकाओं कुल १५८८९ बच्चों का नामांकन कराया गया । इसी प्राकर ११ से १४ वर्ष के २४५४ बालकों एवं २७५० बालिकाओं कुल ५२०४ बच्चों ने नामांकन कराया ।

वर्ष २००३–०४ से २००६–०७ तक ६–१४ वय वर्ग के विद्यालय से बाहर स्कूल न जाने वाले बच्चों एवं शालात्यागी बच्चों का स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा ।

2003-04	नामांकन रणनीति	2004-05	2005-06	2006-07
१ जुलाई से ३१ जुलाई तक चिन्हित बच्चे ३००९३ ३१ अगस्त ०३ तक नामांकित बच्चे २१०९३	५१ ब्रिजकोर्स ०७ ब्रिजकैम्प कोर्स ०३ ब्रिजकोर्स एन०जी०ओ० द्वारा, २४ ए०आई०ई० उ०प्रा०वि० ५० ई०जी०एव० केन्द्रों के माध्यम से	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण –

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
–	२३० ग्रा०शि०समितियों का प्रशिक्षण एवं १२० वार्ड शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण	२२२ ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं १११ वार्ड शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण	–

बाल मेला :

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
–	३५ न्याय पंचायतों में	३० न्याय पंचायत स्तर पर	–

ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
०८ ग्राम शिक्षा समिति	०८ ग्राम शिक्षा समिति	०८ ग्राम शिक्षा समिति	०८ ग्राम शिक्षा समिति

झॉसी जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये :—

१— **नियोजन टीम का गठन** :— किसी भी कार्य को आरम्भ करने के लिये किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है , इतने बड़े सार्थक उद्देश्य के लिये छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया है ।

२— बस्ती/ग्राम स्ता पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठके की गई । योजना को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच हैव शिक्षा से क्या —क्या अपेक्षायें हैं तथा वह इस में किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, राय जानना आवश्यक है , बिना इसके सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती है । एफ०जी०डी० प्रक्रिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके । समाज में कुछ व्यक्ति होतें हैं जो इस तरह के कार्यों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन्हें कार्यक्रम के चलने पर सम्पर्क व्यक्ति (सोशल एक्टीविस्ट) के रुप मेंसहयोग ले सकते हैं । सन्दर्म व्यक्तियों की पहचान, स्वयसेवी संस्थाओं की पहचान,पंचायती रात संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ०जी०डी० से ही हो सकती है । यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनानें में सहायक सिद्व हुआ ।

परियोजना के पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ०जी०डी० टीम का गठन किया गया। उनमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल है, जिन्होंने प्लान बनानें के लिये सीमेट , इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया हैं । इनके अलावा डी०पी०ई०पी० के जिला समन्वयक , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी०आर०सी०, एन०पी० आर०सी०, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वंयसेवी संगठनों के प्रतिनिधि व कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला। एफ०जी०डी०के निष्कर्षो से आवश्य—कता अनुसार प्लान बनाने में सहायता मिले ।

फ्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अर्न्तगत प्रत्येक ग्राम में प्रधान,पंचन्नत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश एन०पी०आर०सी० के द्वारा गया कि ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है इसकी योजना एफ०जी०डी०के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रुट लेबिल प्लानिग' के आधारपर निर्मित की जायेगी । योजना के निर्माण के बाद इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा , विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमे नियोजन/प्रबंधन सम्बधी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बंधी भी उनकी भागीदारी होगी । स्वयसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थो में यह जनताका अभियन बन सके ।

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन, क्षेत्रीय स्तर पर तथा विविध स्तरीय नियोजन । यहॉ पर जनपद विशेष में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रुट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरुप निर्धारण किया गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप फोकस ग्रुप डिस्कसन व सूक्ष्म नियोजन की प्रणाली द्वारा ग्राम/बस्ती स्तर पर अपनी योजनायें बनाने की दिशा में कार्यवाही की गई। झॉसी जनपद की विभिन्न विकास खण्डों में विद्यालय न जाने वाले बच्चों ड्रापआउट बच्चों, ११–१४ वय वर्ग के बच्चों के लिये पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता व उनके अभिभवकों की विभिन्न समस्याओं के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने हेतु निम्न प्रयास किये गये :–

- जनपद स्तर पर दो बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें विभिन्न जनपदीय/विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओंकर उपस्थिति रही ।
- सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना बनाने के लिये नियोजन/पर्यवेक्षण टीम का गठन किया गया ।
- विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार की नियोजन/पर्यवेक्षण टीम का गठन किया गया ।
- न्याय पंचायत स्तर , बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकताओं, अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं । इस अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय को शिक्षा की उपादेयता व इस अभियान से क्या अपेक्षायें हैं व इसमें समुदाय का सहयोग कहॉ तक अपेक्षित है इस पर विचार विमर्श किया गया ।
- इस अभियान में एफ०जी०डी० की प्रक्रिया द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रख कर सर्व शिक्षा अभियान का प्रास्पेक्टिव प्लान तैया किया गया ।

इसमें समाज के उत्साही युवक/युवतियों को अभियान चलाने के लिये कॉन्ट्रेक्ट पर्सन के रूप में सहभागी बनाया जायेगा तथा संदर्म व्यक्तियों की पहचान, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज्य संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच व सहयोग की जानकारी एफ० जी०डी० द्वारा की जायेगी ।

- परियोजना पूर्व गतिविधयों के अंर्तगत जिले में एफ०जी०डी० टीम का भी गठन किया गया इसमें वे अधिकारी सम्मलित किये गये जिन्होंने प्लान बनाने के लिये सीमेट, इलाहाबाद की कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त जिला समन्वयक डी०पी०ई०पी०, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक, प्राथमिक/पूर्व माध्यपकों, स्वयं सेवी संस्थाओं व अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग मिला जिससे आवश्यकता के अनुरूप " नीड वेस्ड प्लान

बनाने में सफलता प्राप्त हुई ।

- विकासखण्ड स्तर पर बैठक के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख , वी०डी०सी० सदस्यों, प्रधानों को यह अवगत कराया गया कि सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण रूपेण सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर है । इस योजना को एफ०जी०डी०के द्वारा बस्ती/ग्राम की आवश्यकताओं व प्राथमिकता का ध्यान में रख कर "ग्रास रूट लेवल प्लानिंग"के आधर पर किया गया है । इस अभियान में समाज के हर वर्ग को योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन हेतु जोड़ा जायेगा । विशेष कर ग्राम पंचायतों को नियोजन एवं प्रबंधन और प्र्यापत वित्तीय/प्रशासनिक आधार होंगे व ग्राम शिक्षा समितियों की नियोजन/अनुश्रवण संबंधी भागीदारी भी होगी सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जनपद की आवश्यकता के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपदीय स्तर पर ०२, विकासखण्ड स्तर पर ०८, नगर क्षेत्र स्तर पर ०३, ग्राम पंचायत स्तर पर ६५ व ग्राम स्तर पर ६५ बैठकें आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जन प्रतिनिधि, डायट प्राचार्य, डी०डी०आर०, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक,बेसिक , जिला शिक्षा समिति के सदस्य , स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी सम्मिलित हुये । विकासखण्ड स्तर पर ए०बी०एस०ए०, एस०डी०आई०, ब्लॉक प्रमुख, बी०डी०सी० सदस्य व प्रधान, न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, एन०पी०आर०सी०, शिक्षा समिति के सदस्य तथा ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान,

बी०डी०सी० , शिक्षा समिति के सदस्य, अध्यापक व विशिष्ट समुहों से विचार विमर्श किया गया । सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया पर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों , मलिन बस्तियों अनु०जाति, साहारीय व कबुतरों की बस्तियों में भी बैठक कर विचार विमर्श के उपरान्त कार्ययोजना को तैयार किया गया । नियोजन प्रक्रिया में सहभाकिता हेतु कार्यवाही विवरण निम्न सारिणीयों द्वारा दष्टिगत है :—

सर्व शिक्षा के नियोजन में सहभागिता हेतु कृत कार्यकारिणी का विवरण

दिनॉक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी
9-11-2001	जनपद स्तर –१	जिला परियोजना कार्यालय, डी०पी०ई०पी०(तृतीय) झॉसी ।	१— डी०डी०आर०
			२— ए०डी०(बेसिक)
			३— जिला विद्यालय निरीक्षक
			४— डायट प्राचार्य
			५— बी०एस०ए०
			६— समस्त जिला समन्वयक
			७— समस्त ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०
			८— नगर शिक्षा अधिकारी

विचार विमर्श बिन्दु :–

१– सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना बनाने के लिये जनपद स्तर पर नियोजन/पर्यवेक्षण टीम का गठन किया गया । इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर किया गया ।

२– बस्ती/ग्राम स्तर के व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं का सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा ।

३– ६–१४ वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा जिससे समुदाय, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं व अन्य प्रचार माध्यमों का सहयोग लिया जायेगा ।

४– ४०:१ के अनुपात में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

दिनॉक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी
12-11-01	जनपद स्तर –२	माडल जूनियर हाई स्कूल, झॉसी	१– जिला पंचायत अधिकारी २– जिला पंचायत उपाध्यक्ष (अध्यक्ष शिक्षा समिति)
			३– जिला विकास अधिकारी
			४– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
			५– डायट प्राचार्य
			६– जिला विद्यालय निरीक्षक
			७– बी०एस०ए०
			८– सचिव जिला साक्षरता समिति
			९– डी०पी०आर०ओ०
			१०–प्रधानाचार्य नवोदय विद्यालय, बरूआसागर
			११–लेखाधिकारी (बेसिक)
			१२–नेहरू युवा कल्याण अधिकारी
			१३–समाज कल्याण अधिकारी
			१४–अल्पसंख्यक अधिकारी
			१५–पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
			१६–सहायक लेखाधिकारी , डी०पी०ई०पी० (तृतीय)
			१७– स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य

विचार विमर्श बिन्दु :–

१– सामुदायिक सहभागिता में कमी को दूर करने के उपाय ।

२–शिक्षकों को नवीन शैक्षिक विधाओं पर आधारित अध्यापन पर जोर ।

३– शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे रहनें से उनकी गुणवत्ता में ह्रास ।

४– छात्र, अध्यापक अनुपात के आधार पर अध्यापकों की कमी ।

५– अध्यापकों की नियमित विद्यालयों में उपस्थिति ।

६– मलिन बस्तियों के बच्चों/बालिकाओं का विद्यालयों में कम संख्या में विद्यालय में जाना ।

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

सर्व शिक्षा अभियान बैठक स्तर

१—नगर क्षेत्र

दिनॉक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी	विचार–विमर्श बिन्दु
18-11-01	नगर क्षेत्र, झॉसी	लक्ष्मीबाई जू०हा०स्कूल,शहर	नगर शिक्षा अधिकारी	१— सतत मूल्यांकन का अभाव
			वार्ड मेम्बर	२— बालिका शिक्षा पर जोर
			शिक्षा समिति ,महिला सदस्य	३— बालिका विद्यालयों की कमी
			प्रधान अध्यापिका	
19-11-01	नगर क्षेत्र, झॉसी	जू०हा०स्कूल,डडियापुरा	वार्ड मेम्बर	१— सामाजिक सहभागिता की कमी
			प्रधान अध्यापिका	२— पर्यवेक्षक/निरीक्षण की कमी
			अध्यापक	३— विद्यालय में रूचिकर साधनों का अभाव
			अभिवावक	
20-11-01	नगर क्षेत्र, मऊरानी पुर	प्रा०वि०कटरा	नगर शिक्षा अधिकारी	१— शिक्षा की समस्याओं को दूर करना
			वार्ड मेम्बर	२— शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीन
			अध्यापक	३— बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाना ।
			अध्यापक	

सर्व शिक्षा अभियान बैठक स्तर

२— ब्लॉक स्तर

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी	विचार–विमर्श बिन्दु
19-11-01	विकासखण्ड बबीना	बी०आ०सी० बबीना	१— ब्लॉक प्रमुख	१—शिक्षा के प्रति फैले अंधविश्वास को मिटाना
			२— बी०आर०सी०	२—बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	३—असेवित बस्ती/ग्रामों में प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का अभावग्रस्त क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये
			४— समस्त एन०पी०आर०सी०	४—८०० आबादी वाले ग्रामों में जू०हा०स्कूलों की स्थापना
19-11-01	विकासखण्ड बड़गाँव	बी०आ०सी० बड़गाँव	१— ब्लॉक प्रमुख	१—अभिवावक विशेषकर महिलाओं की बच्चों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन न करना जिससे बच्चों की नियमित उपस्थिति न हो पाना
			२— बी०आर०सी०	
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	२—अध्यापकों में शिक्षण कार्य के प्रति अरूचि
			४— समस्त एन०पी०आर०सी०	३—बच्चों में शिक्षा की रूचि पैदा करना
9-11-01	विकासखण्ड बामौर	बी०आ०सी० बड़गाँव	१—बी०डी०ओ०	१—शिक्षा की उपादेयता को समझाना
			२— बी०आर०सी०	२—शिक्षा के प्रति फैले अंधविश्वास को मिटाना
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	३—विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव जैसे—शौचालय,चहारदीवारी पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	४—छात्रवृति व पोषाहार का समयवद्व वितरण किया जाये
				५—असेवित बस्ती/ग्रामों में प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का अभावग्रस्त क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये
19-11-01	विकासखण्ड चिरगाँव	बी०आ०सी० चिरगाँव	१— ब्लॉक प्रमुख	१—बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता
			२— ए०बी०एस०ए०/एस०बी०आई	२—जिन ग्रामों में मानक के अनुसार विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकती उनमें ई०जी०एस० व ए०आई०ई० सेन्टर को खोलना
			३— बी०आर०सी०	
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	३—जिन ग्रामों में मानक के अनुसार विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकती उनमें ई०जी०एस० व ए०आई०ई० सेन्टर को खोलना
				४—घरेलू कामकाजी बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय न आना
				५—घमन्तु समुदाय जैसे सहारीया, कबूतरे के बच्चों की व्यवस्था नहीं
19-11-01	विकासखण्ड गुरसराँय	बी०आ०सी० गुरसराँय	१—बी०डी०ओ०	१—घरेलू कामकाजी बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय न आना
			२— बी०आर०सी०	२—छात्रवृति व पोषाहार का समयवद्व वितरण किया जाये
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०बी०आई	३—जिन ग्रामों में मानक के अनुसार विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकती उनमें ई०जी०एस० व ए०आई०ई० सेन्टर को खोलना
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	
19-11-01	विकासखण्ड मऊरानीपुर	बी०आ०सी० मऊरानीपुर	१—बी०डी०ओ०	१—अभिवावक विशेषकर महिलाओं की बच्चों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन न करना जिससे बच्चों की नियमित उपस्थिति न हो पाना
			२— बी०आर०सी०	
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	२—असेवित बस्ती/ग्रामों में प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का अभावग्रस्त क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	
				३—विद्यालय में अध्यापकों की कमी
				४—विद्यालय का आकर्षक न होना
19-11-01	विकासखण्ड मोंठ	बी०आ०सी० मोंठ	१—बी०डी०ओ०	१—छात्रवृति व पोषाहार का समयवद्व वितरण किया जाये
			२— बी०आर०सी०	२—रोजगार परक शिक्षा का अभाव
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	३—सतत् मूल्यांकन/पर्यवेक्षण का अभाव
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	४—ग्रेनाइट फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध न होना
19-11-01	विकासखण्ड बंगरा	बी०आ०सी० बंगरा	१—बी०डी०ओ०	१—भेदभाव रहित बालिका शिक्षा को बल
			२— बी०आर०सी०	२—छात्रवृति व पोषाहार का समयवद्व वितरण किया जाये
			३— ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई	३—विद्यालयों का अधिक दूरी पर होना
			४—समस्त एन०पी०आर०सी०	४—असेवित बस्ती/ग्रामों में प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का अभावग्रस्त क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये

सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी बैठक

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक बबीना)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
21-11-01	न्याय पंचायत	घिसौली	ग्राम प्रधान	१–भेदभाव रहित बालिका शिक्षा को बल
			महिला सदस्य–२	२–समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता
			अध्यापक–२	३–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन
			अभिवावक–२	४–शिक्षा की उपादेयता को समझाना
22-11-01	न्याय पंचायत	खैलार	अधिकारी–१	१–शिक्षा के प्रति फैले अंधविश्वास को मिटाना
			ग्राम प्रधान	२–लिंग भेद समाप्त करना
			स्वयं सेवी–२	३–शिक्षा की उपादेयता को समझाना
			अध्यापक–२	
			अभिवावक–२	
24-11-01	न्याय पंचायत	बैढोरा	ग्राम प्रधान	१–बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता
			उप ग्राम प्रधान	२–स्थानीय समुदाय का कृषि एवं अन्य मजदूरी कार्यों में लगे होने से बालिकायें शिक्षा से वंचित रहे
			अध्यापक–२	
			अभिवावक–३	
26-11-01	न्याय पंचायत	गढ़ियागाँव	अध्यापक–२	१–अध्यापकों में शिक्षण कार्य के प्रति अरूचि
			अभिवावक–३	२–अध्यापकों का अन्य कार्यों में व्यस्त रहना
			ग्राम प्रधान	३–रोजगार परक शिक्षा का अभाव
			शिक्षा समिति सदस्य–२	४–विद्यालयों तक पहुँच मार्ग का अभाव
28-11-01	न्याय पंचायत	रक्सा	ग्राम प्रधान	१–अध्यापकों/अभिवावकों में सामाजस्य का न होना
			अध्यापक–२	२– सतत मूल्यांकन/पर्यवेक्षण का अभाव
			अभिवावक–३	३– विकलांग बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था
			शिक्षा समिति सदस्य–२	४–गरीब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव
30-11-01	न्याय पंचायत	राजापुर	अध्यापक–२	१–छात्रवृति व पोषाहार का समयवद्ध वितरण किया जाये
			अभिवावक–३	२–शिक्षा की उपादेयता को समझाना
			शिक्षा समिति सदस्य–२	३–विद्यालय का आकर्षक न होना
30-11-01	न्याय पंचायत	बबीना रूरल	अध्यापक–२	१– विकलांग बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था
			अभिवावक–३	२– बच्चों में शिक्षा की रूचि पैदा करना
			शिक्षा समिति सदस्य–२	३–विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव जैसे--शौचालय,चहारदीवारी पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव

सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी बैठक

३— न्याय पंचायत स्तर (ब्लॉक बड़ागॉव)

दिनॉक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
22-11-01	न्याय पंचायत	अम्बावाय	ग्राम प्रधान–२	१–असेवित बस्ती/ग्रामों में प्रा०/उच्च प्रा०विद्यालयों का अभावग्रस्त
			सदस्य ग्राम शिक्षा समिति–३	क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाये
			अध्यापक–८	२–शिक्षा के प्रति फैले अंधविश्वास को मिटाना
			अभिवावक–२	३–सतत मूल्यांकन/पर्यवेक्षण का अभाव
			समन्वयक न्याय पंचायत	
24-11-01	न्याय पंचायत	भोजला	ग्राम प्रधान–१	१–अध्यापकों में शिक्षण कार्य के प्रति अरूचि
	"		अध्यापक–२	२–अभिवावक विशेषकर महिलाओं की बच्चों के प्रति नैतिक
			अभिवावक–३	जिम्मेदारी का निर्वहन न करना जिससे बच्चों की नियमित उपस्थिति न हो पाना
			बी०डी०सी० सदस्य	३–पर्यवेक्षण का अभाव
25-11-01	न्याय पंचायत	बराटा	ग्राम प्रधान–१	१–विकलॉग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था
			अध्यापक–२	२–२०–स्थानीय समुदाय का कृषि एवं अन्य मजदूरी कार्यो में लगे होने से बालिकायें शिक्षा से वं
			अभिवावक–२	चत
			शिक्षा समिति सदस्य –२	
27-11-01	न्याय पंचायत	पालर	उप प्रधान	१–अध्यापकों में शिक्षण कार्य के प्रति अरूचि
			अभिवावक–२	२–विद्यालय का आकर्षक न होना
			अध्यापक–२	३–अध्यापकों का अन्य कार्यो में व्यस्त रहना
			नागरिक–२	४–विद्यालयों तक पहुँच मार्ग का अभाव
28-11-01	न्याय पंचायत	भगवन्तपुरा	ग्राम प्रधान	१–शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार अपेक्षित
			अध्यापक–३	२–विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव जैसे–शौचालय,वहारदीवारी
			अभिवावक–३	पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव
			नागरिक–२	३– समय से विद्यालय का खुलना
			सदस्य बी०डी०सी०–३	
30-11-01	न्याय पंचायत	फुटेरा	ग्राम प्रधान–२	१– कृषि एवं अन्य मजदूरी कार्यो में लगे होने से बालिकायें शिक्षा से
			उप प्रधान–२	वंचित, उनकी शिक्षा की व्यवस्था
			अध्यापक–६	१– बालिका शिक्षा की गिरती स्थिति में सुधार अपेक्षित
			अभिवावक–४	२– बालिका शिक्षा हेतु लोगों की सोच में परिवर्तन

सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी बैठक

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक बमौर)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
21-11-01	न्याय पंचायत	अस्ता	ग्राम प्रधान–२	१– समाज में महिलाओं की बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता
			महिला सदस्य–२	२– बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन
			अध्यापक–२	३– भेदभाव रहित बालिका शिक्षा पर बल
			अभिवावक–२	
22-11-01	न्याय पंचायत	इस्किल बुजुर्ग	अधिकारी –१	१– शिक्षा से अंधविश्वास को मिटाना
			ग्राम प्रधान–२	२– शिक्षा के साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल
			स्वयं सेवी–२	३– लिंगभेद समाप्त करना
			अध्यापक–२	
			अभिवावक–२	
24-11-01	न्याय पंचायत	करगुवां खुर्द	ग्राम प्रधान–२	१– मेहनत मजदूरी करनेवालों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना
			उप प्रधान–१	२– बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता
			अध्यापक–२	
			अभिवावक–३	
26-11-01	न्याय पंचायत	कुरैठा	ग्राम प्रधान–२	१–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाये
			शिक्षा समिति सदस्य–२	२–शिक्षा के साथ अन्य ज्ञान भी प्रदान करें
			अध्यापक–२	३–आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन
			अभिवावक–२	
28-11-01	न्याय पंचायत	विलाटी करके	ग्राम प्रधान–३	१– अध्यापकों/अभिवावकों में सामंजस्य का न होना
			शिक्षा समिति सदस्य–२	२– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अध्यापक–३	३– विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना
			अभिवावक–२	
30-11-01	न्याय पंचायत	वीरपुरा	अध्यापक–३	१– विद्यालय में बच्चों में ठहराव
			अभिवावक–३	२– विद्यालय वातावरण का अकर्षक न होना
			शिक्षा समिति सदस्य–२	३– गरीब छात्रों की छात्रवृति की व्यवस्था करना
30-11-01	न्याय पंचायत	ककरवई	अध्यापक–२	१– बच्चों में व्यक्तिगत रूचि की कमी
			अभिवावक–२.	२– विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव
			शिक्षा समिति सदस्य–२	३– विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना
01-12-01	न्याय पंचायत	घनौरा	ग्राम प्रधान – १	१– भेदभाव रहित बालिका शिक्षा पर बल
			महिला सदस्य–२	२– बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन
			अध्यापक–२	३– समाज में महिलाओं की बराबरी देने की आवश्यकता
			अभिवावक–२	
02-12-01	न्याय पंचायत	सरसैड़ा	अधिकारी–१	१– शिक्षा से अंधविश्वास को हटाना
			ग्राम प्रधान – १	२– लिंग भेद समाप्त करना
			अभिवावक–२	३– शिक्षा के साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल
			स्वयं सेवी – २	
			अध्यापक–२	

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक बंगरा)

दिनाँक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
18-11-01	न्याय पंचायत	बंगराघवा	अध्यापक–२	१–बालकों का विद्यालय में ठहराव
			अभिवावक–२	२– बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन
			प्रधान–१	३– बिना भेदभाव के महिला शिक्षा पर जोर
			महिला सदस्य–२	
19-11-01	न्याय पंचायत	सकरार	ग्राम प्रधान –१	१– पिछड़े वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
			अध्यापक–२	२– शिक्षा से अंधविश्वास को मिटाना
			अभिवावक–२	३– बालिका शिक्षा पर जोर
			महिला सदस्य–२	
20-11-01	न्याय पंचायत	कुआँगांव	ग्राम प्रधान –२	१– सामाजिक रूढ़ियों व अंधविश्वास प्रगति में बाधक
			उप प्रधान–१	२– अभिवावकों को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करना
			अध्यापक–२	
			अभिवावक–२	
21-11-01	न्याय पंचायत	नोय	ग्राम प्रधान –३	१– मेहनत मजदूरी करने वाले अभिवावकों के बच्चों की व्यवस्था
			उप प्रधान–१	२– पूरे समय तक शिक्षण कार्य न कराया जाये
			अध्यापक–२	३– शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था

दिनाँक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
			अभिवावक –२	
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
22-11-01	न्याय पंचायत	उल्दन	अध्यापक–२	१–जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करना
			अभिवावक –२	२–छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी पूरी करना
			ग्राम प्रधान–२	३–श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना
			महिला अभिवावक–२	
24-11-01	न्याय पंचायत	लारौन	अध्यापक–३	१– भौतिक कठिनाईयों के कारण शिक्षा व्यवस्था में बाधा
			अभिवावक –२	२– शिक्षा की उपदेयता में संदिग्धता
			ग्राम प्रधान–२	
28-11-01	न्याय पंचायत	खिसनी बुजुर्ग	ग्राम प्रधान–२	१– शिक्षा के प्रति अभिवावकों का जाग्रत करना
			उप प्रधान–२	२– शिक्षकों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में कमी
			अध्यापक–३	
			सदस्य शिक्षा समिति–३	
29-11-01	न्याय पंचायत	देवरीसिंह पुरा	ग्राम प्रधान–२	१–गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अभ्यास पुस्तिकाओं की व्यवस्था
			उप प्रधान–१	२– मानक के अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना

दिनाँक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
			अभिवावक–३	३– अध्यापकों से अन्य विभागों के कार्य कराये जाना
			अध्यापक–३	
30-11-01	न्याय पंचायत	पलरा	ग्राम प्रधान–२	१– अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
			अभिवावक–४	२– बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना
			अध्यापक–४	३– शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करना
			महिला सदस्य–२	
			सदस्य शिक्षा समिति–३	

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक चिरगाँव)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
18-11-01	न्याय पंचायत	पहाड़ी बुजुर्ग	ग्राम प्रधान–१	१–बालकों का विद्यालय में ठहराव
			अभिवावक–२	२– बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन
			अध्यापक–२	३– बिना भेदभाव के महिला शिक्षा पर जोर
			महिला सदस्य–२	
19-11-01	न्याय पंचायत	सेमरी	ग्राम प्रधान–१	१– पिछड़ेवर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
			अभिवावक–२	२– शिक्षा से अंधविश्वास को मिटाना
			अध्यापक–२	३ - बालिका शिक्षा पर जोर
			महिला सदस्य–२	
20-11-01	न्याय पंचायत	अमरगढ़	ग्राम प्रधान–२	१– सामाजिक रूढ़ियों व अंधविश्वास प्रगति में बाधा
			उप प्रधान–१	२– अभिवावकों को बालिका शि[illegible] हेतु प्रेरित करना
			अभिवावक–२	३– शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा पर जोर
			अध्यापक–२	
21-11-01	न्याय पंचायत	बघेरा	ग्राम प्रधान–३	१– मेहनत मजदूरी करने वाले अभिवावकों की शिक्षा व्यवस्था
			उप प्रधान–१	२– पूरे समय तक शिक्षण कार्य न कराया जाना
			अभिवावक–२	३– शिक्षण में गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था
			अध्यापक–२	
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
22-11-01	न्याय पंचायत	सिमथरी	अध्यापक–२	१–जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करना
			अभिवावक –२	२–छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी पूरी करना
			ग्राम प्रधान–२	३–श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना
			महिला अभिवावक–२	
24-11-01	न्याय पंचायत	सिया	अध्यापक–३	१– भौतिक कठिनाईयों के कारण शिक्षा व्यवस्था में बाधा
			अभिवावक –२	२– शिक्षा की उपदेयता में संदिग्धता
			ग्राम प्रधान–२	
28-11-01	न्याय पंचायत	चंदवारी	ग्राम प्रधान–२	१– शिक्षा के प्रति अभिवावकों का जाग्रत करना
			उप प्रधान–२	२– शिक्षकों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में कमीं
			अध्यापक–३	
			सदस्य शिक्षा समिति–३	
29-11-01	न्याय पंचायत	घमनाखुर्द	ग्राम प्रधान–१	१–गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अभ्यास पुस्तिकाओं की व्यवस्था
			उप प्रधान–१	२– मानक के अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना
			अभिवावक–३	३– अध्यापकों से अन्य विभागों के कार्य कराये जाना
			अध्यापक–५	

४– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक गुरसराय)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
18-11-2001	ग्राम पंचायत	सिलौरी	ग्राम प्रधान	१– शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
			बी०डी०ओ०सदस्य	२– बालिका शिक्षा पर जोर
			अभिवावक – ४	३– सतत् मूल्यांकन किया जाना चाहिये
			अध्यापक–२	
19-11-01	ग्राम पंचायत	महेबा	ग्राम प्रधान	१– अभिवावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना
			अभिवावक – ४	२– विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना
			अध्यापक–२	३– भौतिक संसाधनों की कमी को दूर किया जाना
			महिला सदस्य	
20-11-01	ग्राम पंचायत	मोतीकटरा	ग्राम प्रधान	१–सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की माँग

			उप प्रधान	२–विधालय में नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जाना।
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
			अध्यापक–२	
			अभिभावक–२	
21-11-01	ग्राम पंचायत	सुजवाँ	बी०डी०सी०सदस्य	१–बच्चो में शिक्षा प्रति रूचि पैदा करना।
			ग्राम प्रधान	२–महिला अभिभावको को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना।

			अध्यापक	३–शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है।
			अभिभावक	
22-11-01	ग्राम पंचायत	इटौरा	ग्राम प्रधान	१–मानक के अनुरूप अध्यापक की कमी
			उप प्रधान	२–सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
			अध्यापक	३–बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाये।
			अभिभावक	
			महिला सदस्य	
24-11-01	ग्राम पंचायत	बिजौरा	बी०डी०सी० सदस्य	१–अभिभावको को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना।
			ग्राम प्रधान	२–नामांकन वृद्धि के लिये प्रयास करना।
			अध्यापक	३–विधालय को आकर्षक बनाना।
			महिला सदस्य	
25-11-01	ग्राम पंचायत	बसारी	ग्राम प्रधान	१–भेदभाव रहित शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
			अभिभावक–२	२–बालिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये।
			अध्यापक–३	३–मजदूरी करने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना।
			सदस्य शिक्षा समिति–३	
26-11-01	ग्राम पंचायत	खेरी	ग्राम प्रधान	१–अभिभावको को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना
			अभिभावक–३	२–नामांकन में कमी को दूर किया जाना।
			अध्यापक–२	३–सभी गरीब बच्चो को छात्रवृत्ति दी जाये।
			सदस्य शिक्षा समिति	
27-11-01	ग्राम पंचायत	सोनकपुर	बी०डी०सी० सदस्य	१–समाजिक सहयोग का आभाव।
			महिला अभिभावक–२	२–विधालय में भौतिक संसाधनों का आभाव
			ग्राम के नागरिक–४	३–शौचालय व चहार–दिवारी का आभाव।
			अध्यापक–२	

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक मऊरानीपुर)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
09-11-01	न्याय पंचायत	रूपाधमना	ग्राम प्रधान–२	१–शिक्षा के प्रति अभिावावकों में जागरूकता लाना
			अभिवावक–४	२–बालिका शिक्षा पर जोर
			अध्यापक–५	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			उप प्रधान–१	
21-11-01	न्याय पंचायत	रेवन	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक–४	२– पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक–४	३– सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
23-11-01	न्याय पंचायत	स्यावरी	ग्राम प्रधान–२	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति
			अध्यापक–६	जागरूकता का अभाव
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–४	
24-11-01	न्याय पंचायत	अकसेव	ग्राम प्रधान–३	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना
			अभिवावक–४	२–विद्यालयों में संसाधनों की कमी
			अध्यापक–३	३–अध्यापको की अपेक्षित नीति
			सदस्य शिक्षा समिति–२	

25-11-01	न्याय पंचाय त	घाटलहचूरा	अधिकारी	१–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			अध्यापक–४	२–विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक –४	
			ग्राम प्रधान–२	
26-11-01	न्याय पंचाय त	धवाकर	अध्यापक–३	१–विद्यालय भवनों व कक्षों का आकर्षक न होना ।
			अभिवावक –२	२–शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			नागरिक–४	
			महिला सदस्य –२	
27-11-01	न्याय पंचाय त	भदरवारा	ग्राम प्रधान–२	१– विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति पर जोर
			नागरिक–४	२– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			अध्यापक–३	
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
28-11-01	न्याय पंचाय त	पठा	ग्राम प्रधान–२	१–गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अभ्यास पुस्तिकाओं की व्यवस्था
			उप प्रधान–१	२– मानक के अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना
			अभिवावक–३	३– अध्यापकों से अन्य विभागों के कार्य कराये जाना
			अध्यापक–५	

29-11-01	न्याय पंचायत	भण्डरा	ग्राम प्रधान–२	१–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			अध्यापक–४	२–विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक –४	३– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
30-11-01	न्याय पंचायत	चुरारा	अध्यापक–३	१–विद्यालय भवनों व कक्षों का आकर्षक न होना ।
			अभिवावक –२	२–शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			नागरिक–४	३–विकलाँग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	

३– न्याय पंचायत स्तर

(ब्लॉक मोंठ)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
19-11-01	न्याय पंचायत	पूंछ	ग्राम प्रधान–२	१–शिक्षा के प्रति अभिवावकों में जागरूकता लाना
			अभिवावक–४	२–बालिका शिक्षा पर जोर
			अध्यापक–५	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			उप प्रधान–१	
21-11-01	न्याय पंचायत	टौड़ी	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक–४	२– पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक–४	३– सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
23-11-01	न्याय पंचायत	बम्हरौली	ग्राम प्रधान–२	१–विकलाँग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति
			अध्यापक–६	जागरूकता का अभाव
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–४	
24-11-01	न्याय पंचायत	भरोसा	ग्राम प्रधान–३	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना
			अभिवावक–४	२–विद्यालयों में संसाधनों की कमी
			अध्यापक–३	३–अध्यापकों की अपेक्षित नीति
			सदस्य शिक्षा समिति–२	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी

25-11-01	न्याय पंचायत	सिमिरिया	अधिकारी	१—बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			अध्यापक—४	२—विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक —४	३—विकलॉक बच्चों का नामांकन
			ग्राम प्रधान—२	
26-11-01	न्याय पंचायत	पहाड़पुरा	अध्यापक—३	१—विद्यालय भवनों व कक्षों का आकर्षक न होना ।
			अभिवावक —२	२—शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			नागरिक—४	३— छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य —२	
27-11-01	न्याय पंचायत	साकेत	ग्राम प्रधान—२	१— विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति पर जोर ।
			नागरिक—२	२— बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता
			अध्यापक—२	
			सदस्य शिक्षा समिति—२	

३— ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक बबीना)

दिनॉक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
22-11-01	ग्राम पंचायत	लहरठकुरपुरा	ग्राम प्रधान—१	१—शिक्षा के प्रति अभिवावकों में जागरूकता लाना
			अभिवावक—२	२—बालिका शिक्षा पर जोर
			अध्यापक—२	३—बालिका विद्यालयों की कमी ।
			उप प्रधान—१	
24-11-01	ग्राम पंचायत	बड़ौरा	ग्राम प्रधान—१	१— सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक—४	२— पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक—३	३— सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति—२	
27-11-01	ग्राम पंचायत	खजराहा बुजुर्ग	सहा०बे०शि०अधिकारी	१—विकलॉग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये
			अभिवावक—२	२—बाल श्रमिकों के अभिवावक. । शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
			अध्यापक—२	३— अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन
			सदस्य ग्रा०शि०समिति—२	
28-11-01	ग्राम पंचायत	खैरा	ग्राम प्रधान—१	१—शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना
			अभिवावक—२	२—विद्यालयों में संसाधनों की कमी
			अध्यापक—२	३—अध्यापकों की अपेक्षित नीति
			महिला सदस्य —१	४—बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा की कमी

28-11-01	ग्राम पंचायत	पठारी	सहा०बे०शि०अधिकारी	१—बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			अध्यापक—२	२—विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक —२	३—विकलॉग बच्चों का नामांकन
			ग्राम प्रधान—१	४—पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
29-11-01	ग्राम पंचायत	सिजवाहा	अध्यापक—२	१—विद्यालय भवनों व कक्षों का आकर्षक न होना ।
			अभिवावक —२	२—शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			नागरिक—४	३— छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य —२	४— अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।
30-11-01	ग्राम पंचायत	इमिलिया	ग्राम प्रधान—१	१— विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति पर जोर ।
			नागरिक—२	२— बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना ।
			अध्यापक—२	३— अल्प संख्यक जाति के छात्रों का नामांकन ।
			सदस्य शिक्षा समिति—२	

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक बड़ागाँव)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
24-11-01	ग्राम पंचायत	करारी	ग्राम प्रधान–१	१–शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता लाना
			अभिवावक–२	२–बालिका शिक्षा पर जोर
			अध्यापक–२	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य –१	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
25-11-01	ग्राम पंचायत	पाइरी	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक–४	२– पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक–३	३– सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति–२	४– विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी ।
26-11-01	ग्राम पंचायत	जौरी बुजुर्ग	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
28-11-01	ग्राम पंचायत	रनगुवाँ	ग्राम प्रधान–१	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना।
			उप प्रधान –१	२–विद्यालयों में संसाधनों की कमी ।
			बी०डी०सी० सदस्य–१	३–अध्यापकों की अपेक्षित नीति ।
			महिला सदस्य –१	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

29-11-01	ग्राम पंचायत	सिमराहा	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			ग्राम प्रधान –१	२–विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक –२	३–विकलांग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
01-12-01	ग्राम पंचायत	घुघुवा	अध्यापक–२	१– बालिका शिक्षा हेतु लोगों के विचार हेतु परिवर्तन ।
			अभिवावक –२	२–शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			नागरिक–४	३– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	४– अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक बामौर)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
22-11-01	ग्राम पंचायत	मड़ोरी	ग्राम प्रधान–१	१–लिंग भेद समाप्त करना ।
			अभिवावक–२	२–बालिका शिक्षा पर जोर ।
			अध्यापक–२	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य –१	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
23-11-01	ग्राम पंचायत	खडैनी	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक–४	२– पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक–३	३– सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति–२	४– विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी ।
25-11-01	ग्राम पंचायत	बैदा	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
27-11-01	ग्राम पंचायत	दखनेश्वर	ग्राम प्रधान–१	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना।
			उप प्रधान –१	२–विद्यालयों में संसाधनों की कमी ।
			बी०डी०सी० सदस्य–१	३–अध्यापकों की अपेक्षित नीति ।
			महिला सदस्य –१	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

29-11-01	ग्राम पंचायत	सगौनी	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			ग्राम प्रधान –१	२–विद्यालयों में रूचिकर साधनों का अभाव ।
			अभिवावक –२	३–विकलांग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
01-12-01	ग्राम पंचायत	भदवारा खुर्द	उप प्रधान –१	१– बालिका शिक्षा हेतु लोगों के विचार हेतु परिवर्तन ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			पिछड़ी जाति सदस्य–१	३– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	४– अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।
02-12-01	ग्राम पंचायत	कचौरि	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा ।
			ग्राम प्रधान –१	२–सतत् मूल्यांकन में कमी ।
			अभिवावक –२	३–विकलांग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
02-12-01	ग्राम पंचायत	लखौरा	उप प्रधान –१	१– मेहनत मजदूरी करने वाले अभिवावकों के बच्चों की व्यवस्था ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–पूरे समय तक शिक्षा कार्य न कराया जाना ।
			पिछड़ी जाति सदस्य–१	३– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	४– अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।
03-12-01	ग्राम पंचायत	बरौरा	उप प्रधान –१	१– शिक्षा में गुणवत्ता
			महिला सदस्य	२– जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करना
			अध्यापक – २	३– छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी पूरी करना
			अभिवावक – २	

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक बंगरा)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
08-11-01	ग्राम पंचायत	बगरौनी	ग्राम प्रधान–१	१–लिंग भेद समाप्त करना ।
			अभिवावक–२	२–बालिका शिक्षा पर जोर ।
			अध्यापक–२	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य –१	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
20-11-01	ग्राम पंचायत	जावन	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव
			अभिवावक–४	२– पर्यवेक्षक/निरीक्षक की कमी
			अध्यापक–३	३– सामाजिक सहभागिता की कमी
			सदस्य शिक्षा समिति–२	४– विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी ।
21-11-01	ग्राम पंचायत	बसारी	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
22-11-01	ग्राम पंचायत	हारी	ग्राम प्रधान–१	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर किया जाना।
			उप प्रधान –१	२–विद्यालयों में संसाधनों की कमी ।
			बी०डी०सी० सदस्य–१	३–अध्यापकों की अपेक्षित नीति ।
			महिला सदस्य –१	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

23-11-01	ग्राम पंचायत	विजना	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में जागरूकता की कमी ।
			ग्राम प्रधान –१	२–विद्यालयों में रूचिकर सामग्री का अभाव ।
			अभिवावक –२	३–विकलांग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
24-11-01	ग्राम पंचायत	पठगुवाँ	उप प्रधान –१	१– बालिका शिक्षा हेतु लोगों के विचार हेतु परिवर्तन ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–शिक्षा के प्रति अभिवावकों की उदासीनता
			पिछड़ी जाति सदस्य–१	३– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	४– अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।
25-11-01	ग्राम पंचायत	अडजार	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा ।
			ग्राम प्रधान –१	२–सतत् मूल्यांकन में कमी ।
			अभिवावक –२	३–विकलांग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
26-11-01	ग्राम पंचायत	भदौरा	उप प्रधान –१	१– मेहनत मजदूरी करने वाले अभिवावकों के बच्चों की व्यवस्था ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–पूरे समय तक शिक्षा कार्य न कराया जाना ।
			पिछड़ी जाति सदस्य–१	३– छात्रांकन के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था ।
			महिला सदस्य –२	४– अनु०जाति०/अनु०जनजाति के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करना ।
28-11-01	ग्राम पंचायत	पचवारा	उप प्रधान –१	१– शिक्षा में गुणवत्ता
			महिला सदस्य	२– जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था करना
			अध्यापक – २	३– छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी पूरी करना
			अभिवावक – २	

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक चिरगाँव)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
19-11-01	ग्राम पंचायत	बगरौनी	ग्राम प्रधान–१	१–अनुसुचित जाति वर्ग की शिक्षा के प्रति जागरूकता अभाव ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–सामाजिक कुरीतियों को दूर करना ।
			अध्यापक–२	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य –१	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
20-11-01	ग्राम पंचायत	नांदरवास	ग्राम प्रधान–१	१– बालिका शिक्षा पर जोर
			अभिवावक–४	२– अभिवावकों को अपने नामांकित बच्चों को पूरे समय भेजने के लिये
			अध्यापक–३	३– पिछड़े वर्ग में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता ।
			महिला सदस्य	४– विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी ।
21-11-01	ग्राम पंचायत	बकुंवा बुजुर्ग	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			सदस्य ग्रा०शि०समिति–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
22-11-01	ग्राम पंचायत	पिपरा	बी०डी०सी०सदस्य	१–जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करना ।

			प्रधान –१	२–खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			महिला सदस्य–१	३–छात्रांकन के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था करना ।
			अध्यापक –१	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

29-11-01	ग्राम पंचायत	रमपुरा	सहा०बे०शि०अधिकारी	१–छात्र अध्यापकों के अनुपात पर चर्चा
			ग्राम प्रधान –१	२–पूर्व मा०वि०में चहारदीवारी व शौचालय की व्यवस्था करना ।
			पूर्व ब्लॉक प्रमुख –१	३–विकलाँग बच्चों का नामांकन
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
30-11-01	ग्राम पंचायत	उजयान	प्रधान –१	१– मानक अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना ।
			उप प्रधान –१	२–सतत् मूल्यांकन में कमी ।
			अध्यापक–२	३– विकलाँग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			महिला सदस्य –२	
			अध्यापक – २	३– छात्र अनुपात में अध्यापकों की कमी पूरी करना
			अभिवावक – २	

३– न्याय पंचायत स्तर
(ब्लॉक गुरसराँय)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
17-11-01	न्याय पंचायत	ठहरौलह किला	ग्राम प्रधान–२	१–विद्यालय विहीन ग्रामों में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–बालिका शिक्षा में जागरूकता हेतु प्रयास ।
			अध्यापक–५	
			अध्यापक–४	
18-11-01	न्याय पंचायत	पंडवाहा	ग्राम प्रधान–२	१– बालिका शिक्षा पर जोर ।
			अभिवावक–४	२– अभिवावकों को अपने नामांकित बच्चों को पूरे समय भेजने के लिये
			अध्यापक–३	३– पिछड़े वर्ग में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता ।
			सदस्य शिक्षा समिति–२	४– विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी ।
19-11-01	न्याय पंचायत	रमपुरा	ग्राम प्रधान–३	१–विकलाँग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			उप प्रधान –२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–४	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			अभिवावक–४	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
20-11-01	न्याय पंचायत	अतनियाँ देहात (बेला)	बी०डी०सी०सदस्य	१–जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करना ।
			प्रधान –३	२–खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			महिला अभिवावक–२	३–छात्रांकन के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था करना ।
			अध्यापक –१	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

21-11-01	न्याय पंचायत	भस्नेह	अधिकारी	१–छात्र अध्यापकों के अनुपात पर चर्चा ।
			ग्राम प्रधान –३	२–पूर्व मा०वि०में चहारदीवारी व शौचालय की व्यवस्था करना ।
			बी०डी०सी०सदस्य –१	३–विकलाँग बच्चों का नामांकन ।
			अनु०जाति सदस्य–१	४–पूरे समय विद्यालय में शिक्षण कार्य न कराया जाना ।
23-11-01	न्याय पंचायत	हेवत पुरा	ग्राम प्रधान –२	१– मानक अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना ।
			बी०डी०सी० सदस्य–१	२–सतत् मूल्यांकन में कमी ।
			अध्यापक–४	३– विकलाँग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			महिला सदस्य –२	४– शिक्षा के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाना ।
			अभिवावक – २	५– शौचालयों एवं चहारदीवारी की कमी ।
24-11-01	न्याय पंचायत	घुरैया	ग्राम प्रधान –२	१– अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव ।
			उप प्रधान–४	२– नामांकन में कमी को दूर किया जाना ।
			अध्यापक–४	३– बालिका शिक्षा का पिछड़ापन ।
			अभिवावक – २	
			शिक्षा समिति सदस्य–२	

25-11-01	न्याय पंचायत	सिमरवा	अध्यापक–४	१– भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था की कमी ।
			अभिवावक – ५	२–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन ।
			शिक्षा समिति सदस्य–४	३– बालिका शिक्षा का पिछड़ापन ।
			महिला अभिवावक–४	४– बालिका शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करना ।
26-11-01	न्याय पंचायत	मारकुआँ	प्रधान–२	१– मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए ।
			उप प्रधान–२	२– सभी गरीब बच्चों को छात्र वृति व अन्य सामग्री दी जानी चाहिए ।
			सदस्य शिक्षा समिति–२	३– विकलांग शिक्षा पर जोर
			महिला सदस्य–२	
			अध्यापक–५	

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक मऊरानीपुर)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
20-11-01	ग्राम पंचायत	झांकरी	ग्राम प्रधान–१	१–अनुसुचित जाति वर्ग की शिक्षा के प्रति जागरूकता अभाव ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	२–सामाजिक कुरीतियों को दूर करना ।
			अध्यापक–३	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			अभिवावक–३	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
22-11-01	ग्राम पंचायत	बेरवई	ग्राम प्रधान–१	१– सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना ।
			अभिवावक–४	२– मानक के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था करना ।
			अध्यापक–२	
23-11-01	ग्राम पंचायत	ककवारा	उप प्रधान	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–२	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			बी०डी०सी०सदस्य–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
24-11-01	ग्राम पंचायत	तिलैरा	ग्राम प्रधान	१–जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करना ।
			अध्यापक–२	२–खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			अभिवावक–४	३–छात्रांकन के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था करना ।
			महिला सदस्य–२	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

25-11-01	ग्राम पंचायत	सिजारी बुजुर्ग	ग्राम प्रधान –१	१–सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अर्न्तगत शिक्षा की मांग ।
			उप ग्राम प्रधान –१	२–विद्यालय में नामांकन हेतु प्रयास किया जाना ।
			सदस्य शिक्षा समिति –१	
			अध्यापक–२	
26-11-01	ग्राम पंचायत	घमनापायक	ग्राम प्रधान –१	१– मानक अनुरूप अध्यापकों की कमी को पूरा करना ।
			अध्यापक–२	२–सतत् मूल्यांकन में कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	३– विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			अध्यापक–३	
27-11-01	ग्राम पंचायत	खरकामाफ	ग्राम प्रधान–१	१–मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी ।
			उप प्रधान –१	२– सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था ।
			अध्यापक–२	३– बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाना ।
			अभिवावक–३	
28-11-01	ग्राम पंचायत	डकरवारा	ग्राम प्रधान –१	१–अभिवावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना ।
			उप ग्राम प्रधान –१	२–नामांकन में वृद्वि के लिये प्रयास करना ।
			अध्यापक–२	३– विद्यालय को आकर्षक बनाना ।
			अभिवावक–४	
29-11-01	ग्राम पंचायत	घाटकोटरा	ग्राम प्रधान –१	१– भेद भाव रहित शिक्षा की व्यवस्था की जाये ।
			अध्यापक–३	२–बालिका शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये ।
			सदस्य शिक्षा समिति–१	३– मजदूरी करने वाले बच्चों की व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–२	

30-11-01	ग्राम पंचायत	घोर्रा	बी०डी०सी०सदस्य–१	१–समाज में सहयोग का अभाव ।
			अभिवावक–३	२– विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव।
			अध्यापक–३	३–शौचालय व चहारदीवारी का अभाव ।
			महिला सदस्य–३	

३– ग्राम पंचायत स्तर

(ब्लॉक मोंठ)

दिनांक	बैठक स्तर	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
19-11-01	ग्राम पंचायत	सेसा	ग्राम प्रधान–१	१–शिक्षा के प्रति अभिवावकों में जागरूकता लाना ।
			उप प्रधान–२	२–बालिका शिक्षा पर जोर ।
			बी०डी०सी०सदस्य–२	३–बालिका विद्यालयों की कमी ।
			अभिवावक–२	४– बच्चों को कृषि कार्यों में लगाये रखना ।
20-11-01	ग्राम पंचायत	अमरोख	ग्राम प्रधान–१	१– सतत् मूल्यांकन का अभाव ।
			अभिवावक–२	२– सामुदायिक सहभागिता की कमी ।
			अध्यापक–३	३– पर्यवेक्षक/निरीक्षण की कमी ।
			सदस्य शिक्षा समिति–२	
21-11-01	ग्राम पंचायत	जौरा	अधिकारी –१	१–विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाये ।
			अभिवावक–४	२–बाल श्रमिकों के अभिवावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये
			अध्यापक–२	३– अल्प संख्यक बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
			बी०डी०सी०सदस्य–२	४– सतत् मूल्यांकन का कार्य किया जाये ।
23-11-01	ग्राम पंचायत	अटरिया	ग्राम प्रधान –१	१–शिक्षा की समस्याओं को दूर करना ।
			अध्यापक–२	२–खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			अभिवावक–४	३–छात्रांकन के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था करना ।
			बी०डी०सी०–२	४–बालिका शिक्षा के संम्बन्ध में शिक्षा की कमी ।

24-11-01	ग्राम पंचायत	शाहजहाँपुर	ग्राम प्रधान –१	१–सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अर्न्तगत शिक्षा की मांग ।
			बी०डी०सी०सदस्य –२	२–विद्यालय में नामांकन हेतु प्रयास किया जाना ।
			अभिवावक –३	३– बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाना ।
			अध्यापक–२	
26-11-01	ग्राम पंचायत	बरनाया	ग्राम प्रधान –१	१– विद्यालय में संसाधनों की कमी ।
			अध्यापक–२	२–अध्यापकों में अपेक्षित नीति ।
			बी०डी०सी०सदस्य–१	३– विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना ।
			अभिवावक – ३	
28-11-01	ग्राम पंचायत	करई	ग्राम प्रधान–१	१–मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी ।
			बी०डी०सी०सदस्य–२	२– सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था ।
			अध्यापक–३	३– बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाना ।
			अभिवावक–४	

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढ़ग से सहयोग प्राप्त किया जाता है –

(अ) **आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय** :– जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन०जी०ओ० .आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्म समूह तथा विकास खण्ड संदर्म समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है –

- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है ,
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या निकट की जाती है ,
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ,
- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है ,
- केन्द्रों के संचालन के अलावा समस्या हेतु आनुपालिक ढ़ग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है ।

(ब) **स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय** :– स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा । जिससे चिन्तिह रोगी छात्र– छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके । स्वास्थ्य कार्ड का रख–रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती है । चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है ।

(स) **समाज कल्याण विभाग से समन्वय** :– समाज कल्याज विभाग के सहयोग से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु०जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमश: रु०३००/– व रु०४८०/ – प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है ।

(द) **ग्राम पंचायतों से समन्वय** :– असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारानि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहॉ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है ।

(य) **खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय** :– खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में ८० प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं को तीन किलाग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजना अर्तगत खाद्यान वितरित कराया जाता है ।

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

(र) **विकलॉग कल्याण विभाग से समन्वय :–** विकलॉग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलॉग छात्र –छात्राओं को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने हेत् सहयोग प्राप्त किया जाता है ,बच्चों के चिन्हिकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलॉगों की सहायतार्थ उपकरणों/सयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये ।

(ल) **उ०प्र०जल निगम/यू०पी०ऐग्रो से समन्वय** :– इन दोनो विभागों के सहयोग से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है ।

(व) **युवा कल्याण विभाग से समन्वय :–** युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता संपादित करायी जाती है ताकि उनमे खेल भावना का विकास हो सके । नेहरु युवा केन्द्रों तथा मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्वि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानिय समुदाय की समुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है ।

(स) **पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय**:– इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को रु०३००/प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृति वितरित कराई जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके ।

(ह) **जिला ग्राम विकास अभिकरण विभाग से समन्वय :–** शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम विकास अभिकरण से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनोंके निर्माण हेतु ४० प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष ६० प्रतिशत धनराशि ग्राम विकास से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों का आछादित किया जा सके ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा । उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्वसे ही कनवर्जेन्स स्थापित है , जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा ।

::::::::::::::::

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

जैसा कि हमारे संविधान के ४५वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों का यह दायित्व होगा कि वे ६–१४ वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगें अत: भारत सरकार द्वारा कक्षा १ से ८ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में , सर्व शिक्षा अभियान, संचालित करने का निर्णय लिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रुप में चलाया जायेगा। नवीं पचंवर्षीय योजनाकी अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत ८५: १५, दसम् पचंवर्षीय योजना में अशदान का प्रतिशत ७५–२५ तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत ५०:५० रहेगा ।

जनपद में गत मई माह में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया जिसमें ६ से १४ वय वर्ग के ३१४६७४ बच्चे चिन्हित किये गये जिनमें से ३००८८ बच्चे थे जो विद्यालय पढ़नें के लिये नही जा रहे है । इनमे से ६ से ११ वय वर्ग के १५८८९ बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत करा दिया गया है शेष ६ से ११ वय वर्ग के ५८७८ बच्चों का नामांकन ई०जी०एस०, ए०आई०ई, ब्रिज कोर्स व ब्रिज कैम्प के माध्यम से किया जायेगा । इसी प्रकार ११ से १४ वय वर्ग के ५२०४ बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत उ०प्रा०वि० में कराया गया । इस वय वर्ग के शेष ३११७ बच्चों का नामांकन ए०आई०ई०, ब्रिज कैम्प एव ब्रिज कोर्स के माध्यम से किया जायेगा । उपर्युक्त नामांकन प्रक्रिया का प्रयास ३० सितम्बर २००३ तक जारी रहेगा ।

सर्व शक्षा अभियान के उद्देश्य :–

१) प्रारभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण ।
२) ग्रास रूट से जुड़ी संस्थाओं , पंचायत, वी०ई०सी०, यु०ई०सी०, पी०टी०एं०, तथा एम०टी०ए० आदि की विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना ।
३) केन्द्र राज्य तथा स्थानीय निकायों के मध्य सशक्त और सार्थक गठबंधन तथा राज्यों को प्राथमिक शिक्षा का अपना विजन विकसित करने का अवसर प्रदान करना ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा १से ८ तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रुप निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :

उद्देश्य –

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत-प्रतिशत नामांकन ।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों के द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना ।
- गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना ।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 201 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन , ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना ।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव

अभियान की रणनीति

सर्वशिक्षा अभियान की रणनीतियॉ निम्न हैं –

- प्रदान किये जाने वाले विभिन्न अवयवों के प्रभावी निष्पादन हेतु संस्थागत ढ़ाचें में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा ।
- कार्यक्रम के प्रति समुदाय में ओनरशिप पैदा करने के लिये प्रभावी विकेन्द्रीकरण ।
- कार्यक्रम को सस्टेनएविल बनाने हेतु केन्द्र तथा राज्यों के मध्य लम्बी अवधि का करार
- संस्थागत दक्षता सम्वर्धन हेतु नीपा , एन०सी०ई०आर०टी०, एन०सी०टी०ई०, एस०सी०ई० आर०टी०, सीमेट तथा डायट जैसी संस्थाओं का वकास जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास तथा उसे सतत बनाये रखनें में सहयोग मिल सके ।
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित अनुश्रवण, ई०एम०आई०एम० तथा माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का मिलान किया जायेगा ।
- बस्ती के नियोजन की इकाई बनाना ।
- बालिका शिक्षा विशेषकर अनु०जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- विशेष समूहों के बच्चों – झुग्गी झोपड़ी, अपवंचित, विकलॉग वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान ।
- <u>प्रोजेक्ट पूर्व क्रिया कलाप</u> – घर–घर सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण, समुदाय का प्रशिक्षण, परीक्षण अध्ययन, जनजागरण आदि कार्य किये जायेगें ।
- <u>गुणात्मक शिक्षा पर बल</u> – उपयोगी एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम का निर्माण, बाल केन्द्रित एवं प्रभावी शिक्षा अधिगम क्रियायें करायी जायेंगी ।
- <u>अध्यापक की भूमिका पर बल</u> :योग्य अध्यापकों चयन तथा उन्हें दक्ष बनाने के लिये बी०आर०सी० /एन०पी०आर०सी० का निर्माण, पाठ्य क्रम से जुड़ी सामग्री विकास में उनका योगदान, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से जागरूक बनाया जायेगा ।
- <u>जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण</u> – उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक परिप्रेक्ष्ययोजना का निर्माण किया गया जो अपनें में समग्र है । साथ ही प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा और पूर्व की सफलता/असफलताओं से सीख ली जायेगी ।

(१) **वर्ष २०१० तक सार्वभौमिक ठहराव** :– उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है । उक्त लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जिनका विवरण आगे लिखा है ।

(१)नामांकन के लक्ष्य :–

(१) बाल संख्या तथा प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा :– जनगणना २००१ से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं । जनगणना १९९१ की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मानतें हुये १० वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्वि के आधार पर नीपा , नई दिल्ली केमाड्यूल में वृजित कम्पाउन्ड रेट आफ ग्रोथ मेथड ो जनपद की वार्षिक वृद्वि दर ज्ञात की गयी । जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्वि दर २.२२ है । इस वार्षिक वृद्वि दर से २००२ से २०१० तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गई है ।

जनगणना २००१ की आयु वर्ग के जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । अत: जनगणना १९९१ की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुये वर्ष २००१ तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या मे ६–११ बर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये १४.९ प्रतिशत तथा ११–१४ की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये ६.२ प्रतिशत का अनुपात लिया गया है । वर्ष २००१ की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनंख्या ग्रामीण/नगरीय अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ो का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक कार्ययोजनाओं में किया जा सकता है ।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर को आधार मानते हुये नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंण्ट रेशियों मेंथड से २००२ से २०१० तकजी०ई०आर प्रक्षेपित किया गया है । वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से इस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है । प्राथमिक स्तर (६–११) के लिये २००३ तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (११–१४) के लिये वर्ष २००७ तक शत–प्रतिशत नांमाकन का लक्ष्य रखा गया है । चूंकि नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अत: जी०ई०आर० का लक्ष्य १०० से अधिक रखा गया है यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००३के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००७ के बाद जी०ई०आर०मेंवृद्वि कम होगी , क्योंकि जितने बच्चे ६–११ वर्ष व ११–१४ वर्ष में बढ़ेगें उतनें ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें ।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

क्र०सं०	वर्ष	६–११ वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	NER
1	2002-03	225863	211020	48570	141160	14843	95
2	2003-04	217063	217063	55796	162167	0	100
3	2004-05	247451	247451	63607	183844	0	100
4	2005-06	282094	282094	72511	209582	0	100
5	2006-07	321587	321587	82663	238923	0	100

जनपद में गत मई माह में हाउस होल्ड सर्वे किया गया जिसमें ६ से ११ वर्ष के कुल २२१७०६३ बच्चें चिन्हित किये गये। इनमें मई २००३ तक १९५२९६ बच्चों का नामांकन हो चुका था । स्कूल चलो अभियान के तहत ६ से ११ वर्ष के १५८८९ बच्चों का नामांकन कराया गया व शेष ८९९५ बच्चों का ई०जी०एस०, ए०आई०ई० एवं ब्रिज कोर्स तथा ब्रिज कैम्प के माध्यम से किया जा रहा है । इस प्रकार शत प्रतिशत नामांकन का हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जायेगा ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन २००३–०४

सारिणी ४.२

क्र०सं०	वर्ष	११–१४ वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	NER	बालिका+अनुजाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1	2003-04	97653	94516	62844	31672	0	98	21061
2	2004-05	111324	111324	77752	33572	0	100	22325
3	2005-06	126909	126909	91323	35586	0	100	23664
4	2006-07	144676	144676	106955	37721	0	100	25084

जनपद में ११–१४ वय वर्ग के इस वर्ष कुल बच्चे ९७६५३ बच्चे हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित किये गये थे । जिसमें से ८९३१२ बच्चों का नामांकन मई माह में हो चुका था । स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत ५२०४ बच्चों का नामांकन कराया गया । ११ से १४ वय वर्ग के ३११७ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं ।

(२) **ठहराव हेतु लक्ष्य** :—सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना निर्माण में वर्ष २००७ त
क प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष २०१० तक उच्च प्राथ—
मिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जो निम्नलिखित है :—

सारणी ४.३

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उ॰प्रा॰वि॰की ड्राप आउट दर
2000-2001	**26**	13
2001-2002	**22**	11
2002-2003	**18**	09
2003-2004	**13**	07
2004-2005	**08**	05
2005-2006	**03**	04
2006-2007	**00**	03

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बधं में हुई प्रगति
तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष बाद प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट
तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक—पृथक कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी ।

अध्याय –५

समस्यायें एवं रणनीतियॉं

समस्याएं एवं रणनीति :– जनपद में विकास खण्डवार शैक्षिक परिवेश का अध्ययन कर ग्राम शिक्षा समिति, क्षेत्र शिक्षा समिति व जनपद के विभिन्न स्तरपर फोकस ग्रुप विचार विमर्श किया गया जिसका विस्तृत विवरण अध्याय–३ में किया गया है। विभिन्न स्तरों पर की गयी बैठकों एवं के विचार–विमर्श से जो समस्यायें उभर कर सामनें आयीं उनके समाधान के लिये उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत कर व्यवहारिक एवं सन्तुलित कार्य योजना बनायी गयी है ।

इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नये विद्यालयों की स्थापना , भवनों का निर्माण , जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत, हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुद्रढीकरण हेतु निम्न प्रयास किया गया है । इसके अतिरिक्त सभी स्कूल के बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़नें तथा उनके ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा ।

अ) शिक्षा की पहुंच

समस्याएं	समाधान हेतु रणनीति
१– **आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन**	बच्चों एवं उनके अभिवावको की सोच में बदलाव लाने के लिए जनता में जागरुकता पैदा करने के लिये सभी प्रयास किये जायेगें। इसमें नेहरु युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, बाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं अन्य जागरुक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी ।

२– **असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना**

१.५ कि०मी० तथा ३०० की आबादी वाले ग्रामों एवं बस्तियों में प्रा०वि० की व्यवस्था डी०पी०ई०पी० से की जायेगी तथा ३० बच्चों में १ कि०मी०की दूरी से मानक पर ई०जी०एस० केन्द्र खोले जायेगें तथा २ से १४ वर्ष के लिए वैकल्पिक व नवाचार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों जहाँ छात्र संख्या कम है इसे असेवित मलिन बस्तियों में स्थानांतरित कर पुनःस्थापित किया जायेगा ।

३–**शिक्षा की उपादेयता स्पष्ट नहीं है**

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों मे व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे छात्र/छात्राओं के स्वालम्बन एवं स्वयं करके सीखने की आदत का विकास हो सके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के लिये सिलाई कढ़ाई, बुनाई, स्थानीय क्राफट, सब्जियों एवं फलों का सरक्षण, एवं नगर क्षेत्र व इससे जुड़े इलाकों में, फाईन आर्ट , ब्यूटी पार्लर, चटाई निर्माण, जूट के कपड़े का निर्माण आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जाएगा । सिलाई शिक्षा के लिये मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है , इसके लिये जनपद में आंगनबाड़ी सहायिकाओंसे भी सहयोग लिया जायेगा । कढ़ाई बुनाई के लिये नीटिंग मशीनों की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है । इन मशानों की मरम्मत व रख रखाव विद्यालय अनुदान से कराया जायेगा ।

४– **भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले, पहाड़ आदि के कारण शिक्षा में अवरोध**

भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने व कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा ।

ब) <u>नामांकन सम्बन्धी समस्याएं</u>

<u>समाधान हेतु रणनीति</u>

१— विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे फर्नीचर, बिजली, छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का छात्रांकन के अनुसार कक्षा कक्षों की अनउपलब्धता, शौचालय, पेयजल, निर्माण कराया जायेगा । जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय,चहारदिवारी की कमी भवन चहारदिवारी नहीं है वहॉ इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा । उच्च प्रा०वि०के बच्चों के लिये प्लास्टिक मैट,कुर्सी आदि की व्यवस्था की जायेगी ।

२— **बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना**

अभिवावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरुकता लाते हुये बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा ।

३— **अभिभावकों में जागरुकता का अभाव** : शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना, जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ़कर नौकरी करे, आज की स्थिति में रोजगार के अवसर सीमित हैं इसे बल देकर यह लाया जायेगा कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े, इस सोच को विकसित किया जायेगा ।

४— **छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/ प्रोत्साहन के सदुपयोग की कमी** विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद को दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पोषाहार, छात्रवृति तथा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा । इसे इस प्रकार कराया जायेगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके ।

स) <u>ठहराव सम्बन्धीसमस्याएं एवं समाधान हेतु रणनीति</u>

१– **जनसहयोग एवं समर्थन की कमी –** सामाजिक रुढ़ियों तथा अभिभावको की उदासीनता को समाप्त करते हुये जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा ।

२– **विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना –** विद्यालय की पुताई, रंगाई तथा बागवानी, साज–सज्जा से सज्जित करते हुये आकर्षक बनाया जायेगा, १६X६ की प्लास्टिक की चटाई आवश्यक्ता अनुसार क्रय की जायेगी । सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरुप होगी । इससे उनकी सीखने की क्षमता की विकास होगा, प्रत्येक कक्षा के लिये खेलकूद का सामान निर्धारित होगा जिससे बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा । जब बच्चों में यह भावना जाग्रत होगी तो ड्रापआउट की समस्या स्वत: कम हो जायेगी ।

३– **पेयजल व शौचालय का अभाव –** पेयजल सुविधा विहीन प्रा०वि०/उ०प्रा०वि० में शत प्रतिशत हैण्डपम्प स्थापित किये जायेगें । शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुये विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को बढ़या जायेगा ।

४– **शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरण की कमी तथा बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना ।** शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्य की प्रेरणा दी जायेगी । प्रशिक्षण के दौरान बहुश्रेणी शिक्षकों को बढ़ावा दिया जायेगा व कक्षा शिक्षण में व्यवहारात्मक रुप भी रखा जायेगा ।

ट) गुणवत्ता संबर्धन

समस्याएं
समाधान हेतु रणनीति

१— **नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी** — शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा ।

२— **विद्यालय परिस्थितियों के अनुरुप शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव** — सामाजिक रीति रिवाज , स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों में उनके अनुरुप ढालने की क्षमता का विकास एस०ओ०पी०टी० प्रशिक्षण के माध्यम से कराया जायेगा ।

३— **निरीक्षण कर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण** — नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन व शिक्षकों के गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों को एस०ओ०पी०टी०प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

४— **अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरुप न होना** —विद्यालय अध्यापकों की कमी या अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन—पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बन रहा है । ४०: १ के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है । पूर्व मा०वि० में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरुप गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं संस्कृत /उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है । बालिकाओं के विद्यालयों में गृहविज्ञान की अध्यापिकाओं का अभाव है गुणवत्ता में वृदि हेतु उपरोकतानुसार अध्यापिकओं की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

५— **अध्यापकों का गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना** — विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनायें संकलित करनें, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्य गैर विभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उन

का पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रबंधन की क्षमता विकसित की जायेगी ।

६– **सतत मूल्यांकन का अभाव** – कोटि परक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन, अति महत्वपूर्ण मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के रुप में कराया जायेगा । मूल्यांकन के पश्चात कमजोर बालक व बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे ठहराव बढ़ेगा ।

न) <u>संस्थागत क्षमतायों संबंधी</u>

<u>समस्याएं</u>
<u>समाधान हेतु रणनीति</u>

१– **न्याय पंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु** –न्याय पंचायत तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का मुख्य

अपर्याप्त क्षमताएं होना विद्यालयों को सतत् रुप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना– दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं क्षमता विकास हेतु निर्धारित कियाजायेगा । एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० पर सूक्ष्म संकलन में बिताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरुचि उत्पन्न करनें, विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा । एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० को क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि वे विद्यालयों मे शैक्षिक सपोर्ट प्रदान क सकें ।

२– **डायट में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरुप प्रशिक्षण न दिया जाना** – डायट में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरुप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें । साथ ही बहु कक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायेगा ।

३– **शोध कार्य की कमी** – प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें, प्रगति तथा विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन संबंधी शोधकार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी व सुझाये गये तरीको का उपयोग करते हुये लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा । प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा ।

समस्याएं
समाधान हेतु रणनीति

१) शिक्षा की पहुँच –

- आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़पन समाज में जागरूकता लाई जायेगी । इसमें वी०ई०सी०, एन०जी०ओ० की सहायता ली जायेगी ।
- असेवित बस्तियों में सुविधाओं का न होना नये प्रा०वि०,उच्च प्रा०वि०,ई०जी०एस०,ए०आई० ई०स्थापित किये जायेगें ।
- उपादेयता स्पष्ट न होना व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जायेगा व स्थानीय व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की उपादेयता बतायी जायेगी ।
- भौगोलिक कठिनाई ई०जी०एस०, नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित कर मुख्य धारा से जोड़ जायेगा ।

२) नामांकन सम्बन्धी

- भौतिक संसाधनों की कमी भवन, फर्नीचर, शौचालय, चार दीवारी, पेयजल उपलब्ध कराये जायेगें
- अभिभावकों में जागरूकता का अभाव शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा व बच्चों को अन्य कार्यों में न लगाने के लिये बताया जायेगा ।
- छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं छात्रों को पोषाहार, पुस्तकें, छात्रवृति, स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधायें दी जायेंगी ।

३) ठहराव सम्बन्धी

- जन सहयोग की कमी कला जत्था के माध्यम को बढ़ाया जायेगा ।
- विद्यालय वातावरण आकर्षक न होना विद्यालय की पुताई, सफाई,मैट की व्यवस्था । स्थानीय परिस्थतियों के अनुरूप सहायक शिक्षण सामग्री न होना ।
- पेयजल/शौचालय शत प्रतिशत सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

४) <u>गुणवत्ता सम्बन्धी</u>

- नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी प्रति वर्ष प्रशिक्षण व रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट कराये जायेंगें ।
- निरीक्षण कर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण अधिकारियों को पाठ्यक्रम गुणवत्ता संर्वधन मार्गदर्शन हेतु एस०ओ०पी०टी०प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरूप न होना गुणवत्ता बढ़ाने के लिये ४०:१ के अनुपात से अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी ।
- सत्त मूल्यांकन का अभाव गुणवत्ताप्रद शिक्षा के लिये सत्त प्रभावी मूल्यांकन ।

५) <u>संस्थागत समस्याये</u>

- एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० अकादमिक सर्पोट न मिलना समन्वयकों को प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा विद्यालयों में अकादमिक सपोर्ट दिया जायेगा ।
- डायट में कक्षा–कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना स्थानीय परिस्थितियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाये यह सुनिश्चित किय जायेगा ।

अध्याय 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (i)

1 प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों कीआवश्यकता : जनपद में 1999 के पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 164 असेवित बस्तियां चिन्हित की गई थी , जहॉ राज्यकीय मानक के अनुसार नवीन प्रा0वि0 की आवश्यकता थी, किन्तु संसाधनों की कमी के कारण इन असेवित बस्तियों में विद्यालय नही खोले जा सके थे । परन्तु जनपद के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आछादित हो जाने के पश्चात 111 नवीन प्रा0वि0 की स्थापना की गई तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 53 विद्यालयों की स्थापना की जा रही है । अब इस जनपद में मानक के अनुसार कोई भी बस्ती असेवित नही है । अतः नवीन प्रा0वि0 के लिये कोई प्रस्ताव नही है । जनसंख्या वृद्धि के कारण 2005-06 मे 05 प्रा. वि प्रस्तावित है।

नवीन प्रा0वि0 का निर्माण

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
स्थापित नवीव प्रा0वि0	61	50	53	-	05	-

2- उ0प्रा0वि0 की आवश्यकता:- जनपद में मानक के अनुसार 144 असेवित बस्तियॉ चिन्हित की गई थीं , जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में 24 उ0प्रा0वि0 तथा 2003-04 में 96 उ0प्रा0वि0 कुल 120 उ0प्रा0वि0 की स्थापना की जा रही है शेष 24 स्थान पर ए0आई0ई0 खोले जा रहे है । इस प्रकार समस्त असेवित बस्तियॉ सेवित हों चुकी हैं । अतः उ0प्रा0वि0 के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव आगामी वर्ष में नही रखा गया है । जनसंख्या वृद्धि के कारण 2005-06 मे 05 उ. प्रा. वि प्रस्तावित है।

उच्च प्रा0वि0 का निर्माण

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
स्थापित नवीव उ0प्रा0वि0	-	24	96	-	05	-

सारणी 6.3

परिषदीय प्रा0वि0 में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की आवश्यकता

वर्ष	परि0कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	40:1 की दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	शिक्षकों की मांग	शिक्षा मित्रों की मांग
2003-04	161267	2929	463	3392	4031	639	319	—
2004-05	164814	3248	783	4031	4120	89	44	365
2005-06	168439	3292	828	4120	4210	90	45	45
2006-07	172145	3337	873	4210	4303	93	46	47

शिक्षक की आवश्यकता :– प्रत्येक नवीन प्रा०वि० में एक प्रधान अध्यापक तथा एक स०अ०की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र सं० के अनुपात में बढ़ाईजायेगी। प्रत्येक नवीन उ०प्रा०वि० में एक प्रधानाध्यापक तथा दो स०अ०सहित कुल तीन अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है । चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी । सारिणी 6.3

विद्यालय साज सज्जा :– प्रत्येक नवीन प्रा०वि० को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमेंटाट पट्टी, श्याम पट, मेज कुर्सी, अध्यापकों के लिये अलमारी , संदूक पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी नवीन उ०प्रा०वि० में काष्ठोपकरण शिक्षक सामग्री, खेल सामग्री, पुस्ताकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्थाग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी । प्रत्येक विद्यालय को प्रति वर्ष रू०५०००/–की दर से सर्व शिक्षा अभियान अवधि में प्रदान किये जाने का प्रधान है ।

पेयजल, शौचालय :– नवीन प्रा०एवं उ०प्रा०वि० में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प लगाये जायेगें व प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा । बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टिगत व विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

निर्माण कार्यदायी संस्था :– सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों को दायित्व सौंपा गया है ।

नवीन उ०प्रा०वि०की स्थापना :–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्रा०वि०पर एक उ०प्रा०वि० की उपलब्धता बनायी गयी है । पूर्व से संचालित प्रा०वि० में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है ।

जनपद में नवीन उ०प्रा०वि खोलने की योजना १:२ के अनुपात के आधार पर बनाई गयी है । समय विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उ०प्रा०वि० की स्थापना वर्तमान प्रा०वि० का उच्चीकरण करते हुये प्रा०वि०परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्रा०वि० उपलब्ध भूमि भवन हैण्ड पम्प , शौचालय , चहारदिवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिक्तम उपयोग किया जा सके । फलस्वरुप नवीन उ०प्रा०वि०की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जायेगी ।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वे : प्रथमत: नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्रा०वि० की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी । बस्ती में छात्र–छात्राओ की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्रा० व उच्च प्रा०वि०की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा । जिसके आधार पर आगामी वर्ष में बजट एवंवार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मलित किया जायेगा । सर्वेक्षण मार्ग के लिये रु०२ लाख का वित्तीय प्रावधान प्रति वर्ष रखा गया है । सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा ।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :– विद्यालय भवन, शौचालय , हैण्डपम्प चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कियेजायेगें । निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लधु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा । इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाका विवरण परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है ।

शिक्षा मित्र उपलब्धता व चयन :– शिक्षा की सर्वग्राहता व सार्वजनिकरण के उद्देश्य से एकल/बंद/अध्यापक की कमी वाले अति पिछड़े छेत्रों व परियोजना के तहत स्थापित होने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक–एक शिक्षा मित्र दिये जाते हैं । इनके स्थान व विद्यालय का अनुमोदन जिला शिक्षा परियोजना समिति करती है । शिक्षा मित्र जोकि स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं व इनको न्यूनतम योग्यता इण्टर उत्तीर्ण होती है साथ ही महिलाओं की सहभागिता व जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कुल संख्या का ५० प्रतिशत महिलायें चुनी जाती हैं । इनको शासन स्तर से रू०२२५०/– प्रतिमाह दिया जाता है ।

शिक्षा मित्र का चयन ग्राम शिक्षा समिति सर्वसम्मति से सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों का चयन करती है, इसमें ग्राम में खुली मुनादी कराकर निर्धारित तिथि को खुली सभा बुला कर आवेदन मांगती है व मेरिट बनाकर उपयुक्त व्यक्ति का नाम जिला परियोजना कार्यालय को भेजती है जिसका अनुमोदन होने के उपरान्त ३० दिवस का डायट में प्रशिक्षण के बाद व विद्यालय में कार्य करते हैं । डी०पी०ई०पी० के तहत १४६:२६४ शिक्षा मित्रों का चयन कर सफलतापूर्वक पठन–पाठन कार्य कराया जा रहा है ।

भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
पुननिर्माण (प्रा०वि०एवं उ०प्रा०वि०)	0	0	02	-	-	02
अतिरिक्त कक्षा कक्ष (,, ,,)	-	-	200+ 25	200+ 25	181	631
पेयजल सुविधा (प्रा०वि०एवं उ०प्रा०वि०)	-	38	-	-	-	38
शौचालय (प्रा०वि०एवं उ०प्रा०वि०)	-	-	75+ 250	[illegible] 150	-	475
चहारदीवारी	-	-	-	-	-	-

जनपद में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत ११३ प्रा०वि० का पुन:निर्माण कराया जा चुका है । ०२ उ०प्रा० वि० के पुन: निर्माण की आवश्यकता है ' जनपद के प्रत्येक प्रा०वि० को तीन कक्षीय बनाने के लिये ५८१ अति०कक्षा कक्षें की आवश्यकता है । उ०प्रा०वि० को चार कक्षीय बनाने के लिये ५० अति०कक्षा कक्षों की आवश्यकता है ' जनपद के ३८ विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है जिसके लिये मांग की जा रही है । जनपद के 475 विद्यालयों में ७५ उ०प्रा० एवं ४०० प्रा०वि० में शौचालय नहीं है जिसकी मांग सर्व शिक्षा अभियान में की जा रही है ।

अध्याय –७

शिक्षा के पहुँच का विस्तार –(२)

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरुप को परिवर्तित करते हुये शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा हैं ।

<u>अनौपचारिक शिक्षा</u> :–

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कुछ विशेष और अतिरिक्त प्रयासभी किये हैं । देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्चरुप देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ वर्ष १९७९–८० से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया । इसके अर्न्तगत ६–११ आयु वर्ग के ऐसे बच्चों कोजो विद्यालय नहीं जा पाये है ,या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिन्हें किन्हीं कारणवश विद्यालय छोड़ देना पड़ा हो तथा कुछ बाधाओंवश स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई । यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में , शहरी मलिन बस्तियों , पर्वतीय जन जातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रुप से चलायी गई । अनौपचारिक शिक्षा योजना सहशिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु ६०:४० तथा बालिकाओं के लिये केन्द्र संचालित करने हेतु १०: १० के अनुपात में केन्द्र और सम्बधित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलाई गई । यह योजना वर्तमान समय तक ९ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत पूरे देश में चलाये जा रहे २ लाख ९० हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में ७२ लाख ५० हजार बच्चे नामांकित है। इन केन्द्रोंमें १ लाख १८ हजार केन्द्र केवल बालिकाओं के लिये शिक्षा सुलभ करा रहे हैं ।

उ०प्र० में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया व प्रदेश में कुल ५९१परियोजनाये संचालित रही है। प्रत्येक परियोजना में १००अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रति वर्ष संचालित किये गये। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय है जिसको पूरा करने के बाद बालक कक्षा ५ की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा ६ में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता है । प्रत्येक केन्द्र पर २५ बच्चे नामांकित किये गये जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया ।

उपलब्धियॉ :— प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से कार्यक्रम से उपलब्धियॉ हो रही हैं, परन्तु संकल्पनाओं , आशा आकांक्षा से यह कार्यक्रम संचालित किया गया था उतनी परिलब्धियॉ नहीं रहीं ।

विश्लेषण :— प्रति परियोजना १०० केन्द्र संचालित किये गये । प्रत्येक केन्द्र में २५ बच्चे नामांकन का लक्ष्य रखा गया । इस प्रकार एक परियोजना में२५०० छात्रों कानामांकन दो वर्षों के लिये किया गया । कक्षा ५ की परीक्षा में करीब १००० छात्र सम्मिलित होते हैं उनमें से ८०० उत्तीर्ण होते हैं । उनमें से २५० निर्गम प्रमाण—पत्र(टी०सी०) प्राप्त करते हैं व २०० बच्चे कक्षा ६ में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हैं । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्रापआउट बालक की शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है जो कि इतने व्यय के बाद भी संभव नहीं हो सका ।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाने वाले ई०जी०एस०, वैकल्पिक एवं मदरसा ।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ई०जी०एस०	-	-	-	100	100
वैकल्पिक	16	16	16	16	16
मदरसा	-	-	-	30	30

शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत विद्या केन्द्र

वर्ष २०००—०१

1	पतगंबाद	बम्हौरी सुहागी	देवरीसिंहपुरा	बंगरा
2	सिंदरा	लुहरगॉव रानीपुर	,,	,,
3	फुटयारा	एवनी	मारकुऑ	गुरसरॉय
4	आनन्दपुरा	,,	,,	,,
5	टपरीयन	रेवन	रेवन	मऊरानीपुर
6	कंचनपुरा	मऊ देहात	रुपाभगना	,,
7	गुमानपुरा	रक्सा	रक्सा	बबीना
8	कोड़रा—जनकपुरा	,,	,,	,,
9	देवरासारन	पथरेड़ी	करगुवॉ खुर्द	बामौर
10	कलरया	पठारी	गड़ियागॉव	बबीना
11	फतेहपुर खैरा	करकोंस	सेमरी	चिरगॉव
12	धरमपुरा	पचार	रिमधरी	,,
13	गोपालपुरा	भौराधाट	बम्हरौली	मोंठ
14	शंकरगढ़	अम्बावाय	अम्बावाय	बड़ागॉव
15	उड़ैना	पालर	पालर	,,

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रुप में सुदृढ़ीकरण मकतब/मदरसा

वर्ष २०००–०१

1	अल्लादीन इस्लामिया स्कुल कुरैचा नाका, मऊ	नगरक्षेत्र मऊरानीपुर
2	मदरसा इस्लामियॉ अहले–सुन्नत चिरगॉव	पहाड़ी बुजुर्ग
3	मदरसा इस्लामियॉ नूरिया मेवातीपुरा, झॉसी	नगरक्षेत्र झॉसी
4	मदरसा इस्लामियॉ पुरानी कोतवाली १८ चन्द्रशेखर, झॉसी	,,
5	मदरसा इस्लामियॉ तालीय–उल–कुरआन कटरा बाजार मोंठ	मोंठ

शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत विद्या केन्द्र

वर्ष २००१—०२

1	मछलीकॉछ	बरमाइन	ककरवाई	बामौर
2	निबूजा	बेदा	करगुवां खुर्द	,,
3	मंजूवारा खिरक	मगरवारा	बंगरा धवा	बंगरा
4	पथैरया खिरक	खिसनी खुर्द	खिसनी बुजुर्ग	,,
5	खोरयाना—रौतयाना	कटेरा देहात	लारौन	,,
6	नदीपार कछियाना	उल्दन	उल्दन	,,
7	कंजर खिरक	भकौरा	देवरीसिंहपुरा	,,
8	कुम्हारों का डेरा	सिमरा	अम्बाबाय	बड़ागॉव
9	खोरन का खिरक	तैंदोल	फुटेरा	,,
10	कुँवरलाल का खिरक	हरपुरा	,,	,,
11	रिछौरा खुर्द	रिछौरा	बराठा	,,
12	पुराना भटपुरा	भटपुरा	धवाकर	मऊरानीपुर
13	भैरोंखिरक	टकटौली	चुरारा	,,
14	मैरा	बरौरा	रुपाधम्ना	,,
15	गड़रियनपुरवा—कुवरपुरा	खकौरो	पठा	,,
16	कछियाना	इटायल	अक्सेव	,,
17	आदिवासी खिरक	पठा	पठा	,,
18	विशालगंज	चुरारा	चुरारा	,,
19	पारिया	मथुपुरा	चुरारा	,,
20	रावतपुरा	स्यावरी	स्यावरी	,,
21	वृषिंगपुरा	परगहना	अम्मरगढ़	चिरगॉव
22	पहाड़ी बुजुर्ग	इटवॉं खुर्द	धमना खुर्द	,,
23	संतरी डेरा	चिरगॉव देहात	पहाड़ी बुजुर्ग	,,
24	खुशीपुरा	टोड़ीफतेहपुर	रमपुरा	गुरसरॉय
25	रमौरा	मोतीकटरा	,,	,,
26	नहदौरा	निपान	,,	,,
27	नमरौरा	कोटरा	पण्डवाहा	,,
28	बुढ़ेरी खुर्द	बुढ़ेराघाट	साकिन	मोंठ
29	गजगॉव	बसाई	बैदोरा	बबीना
30	मोटा	खैलार	खैलार	,,
31	धर्मकापुरवा	डगरवाहा	राजपुर	,,
32	सिलारी	पनारी	बम्हरौली	मोंठ
33	रोंता—बड़ेरा	बाजना	राजपुर	बबीना
34	मड़ा	मऊ देहात	रुपाधम्ना	मऊरानीपुर
35	नतुरेशपुरा	बहादुरपुर	पहाड़पुरा स्टेट	मोंठ

वैकल्पिक शिक्षा केन्द के रुप में सुदृढ़ीकरण मक़तब/मदरसा

१— मदरसा दारुलउलूम शुहदाये करबला मऊ	नगरक्षेत्र झाँसी ।
२— फहमीदा मकतब एरच	बामौर
३— मदरसा गुल्जारे इस्लाम गरौठा	बामौर
४— मदरसा मु०पायगा	गुरसराँय
५— मदरसा हमदिया इस्लामिया	नगरक्षेत्र झाँसी ।

उपर्युक्त ५० विद्याकेन्द्रों में से निम्न क्रमांको पर अंकित विद्याकेन्द्रों के स्थान पर नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है :—

वर्ष २०००—०१ के विद्याकेन्द्रो में से — क्रमांक संख्या २,६,९,११,१२ एवं १५ (कुल ६)
वर्ष २००१—०२ के विद्या केन्द्रो में से — क्रमांक संख्या १,२,३,४,५,६,१०,१२,१३,१८,२२,२५,२६, २९,३०,३२ (कुल १६)

इस प्रकार कुल २२ स्थानों पर जहाँ विद्या केन्द्र संचालित हैं , नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है ।

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Cluster Wise Out Of School Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04

Block Name	5+ to 6+		7 to 10+		11 to 14		Total	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
BABINA	780	694	778	355	508	671	2066	2220
BAMORE	451	454	208	238	244	282	903	974
BANGRA	900	868	325	502	328	485	1553	1855
BARAGAON	1007	884	307	366	438	557	1752	1807
CHIRGAON	1157	1018	429	1216	682	967	2268	3201
GURSARAIN	543	501	349	306	324	352	1216	1159
JHANSI NAGARCHETRA	672	812	173	319	399	442	1244	1573
MAURANIPUR	679	601	380	322	292	299	1351	1222
MAURANIPUR N.CHETR	14	16	13	19	196	129	223	164
MOTH	1030	787	410	384	347	379	1787	1550
Total	7233	6635	3372	4527	3758	4563	14363	15725

जनपद में गत मई माह में हाउस होल्ड सर्वे किया गया, जिसमें 5 -6 से 14, वर्ष के स्कूल न जाने वाले 14363 बालक एवं 15725 बालिकाएँ चिन्हित की गईं। सर्वे से ज्ञात हुआ कि बबीना एवं चिरगाँव विकास खण्डों में सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 6 से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जाति के बच्चों की थी।

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Out Of School Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04

Block Name	General		SC		ST		OBC		Minority		Total	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
BABINA	123	123	600	626	2	0	1313	1447	28	24	2066	20
BAMORE	110	100	349	417	0	0	400	416	44	41	903	974
BANGRA	63	46	572	[illegible]	0	16	877	1129	41	52	1553	1855
BARAGAON	103	104	[illegible]	481	0	0	1076	1163	67	59	1752	1807
CHIRGAON	157	147	932	1181	0	0	1085	1791	94	82	2268	3201
GURSARAIN	153	135	398	394	0	0	585	568	80	62	1216	115
JHANSI NAGARCHETRA	256	321	341	450	0	0	400	507	247	295	1241	157
MAURANIPUR	166	151	514	501	0	0	647	542	24	28	1351	1222
MAURANIPUR N.CHETR	53	25	62	33	0	0	57	68	51	38	223	164
MOTH	250	227	542	488	6	5	797	675	192	155	1787	1550
Total	1434	1379	4816	5183	8	21	7237	8306	868	836	14363	15725

6 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों में सर्वाधिक संख्या पिछड़ी जाति के बच्चों की थी। इस वर्ग के 7237 बालक एवं 8306 बालिकाएँ स्कूल जाने से वंचित थीं। बबीना, बड़ागाँव एवं चिरगाँव विकास खण्डों में पिछड़ी जाति के सर्वाधिक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक बच्चे भी चिरगाँव विकास खण्ड में थे। अनुसूचित जाति के कुल 4816 बालक एवं 5183 बालिकाएँ कुल 9999 बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे।

U.P. Education For All (D.P.E.P & S.S.A)

Block Wise Handicap Children By Age Category

Dated : 9/6/03 Survey Year : 2003-04

Sl. No.	Block Name	6 - 11		11 to 14		Total		
		Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Total
1	BARINA	54	35	26	16	80	51	131
2	BAMORE	104	48	51	39	155	87	242
3	BANGRA	84	46	57	33	141	79	220
4	BARAGAON	74	53	62	19	136	72	208
5	CHIRGAON	64	43	55	42	119	85	204
6	GURSARAIN	52	36	17	13	70	49	119
7	UHANSI NAGARCHETRA	37	33	25	14	62	47	109
8	MAURANIPUR	79	49	23	24	102	73	175
9	MAURANIPUR N.CHETR	17	12	15	11	32	23	55
10	MOTH	87	57	58	34	145	91	236
Total		653	412	389	245	1042	657	1699

जनपद में 1699 बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित थे। इनमें से 1042 बालक एवं 657 बालिकाएं थीं।

DISTRICT-JHANSI		OUT OF SCHOOL REASONWISE -1 DOMESTIC WORK					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114
BABINA	2003-04	1	196	181	163	163	188
BAMORE	2003-04	1	105	111	115	82	128
BANGRA	2003-04	1	154	142	145	132	201
BARAGAON	2003-04	1	227	265	77	103	219
CHIRGAON	2003-04	1	103	48	118	104	85
GURSARAIN	2003-04	1	262	231	156	93	142
JHANSI NAGAR	2003-04	1	146	291	66	139	133
MAURANIPUR	2003-04	1	170	135	53	36	56
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	1	2	2	1	2	63
MOTH	2003-04	1	291	233	215	244	104

DISTRICT-JHANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 2-LABOUR					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	2	23	27	70	63	66	24
BAMORE	2003-04	2	2	0	0	0	16	0
BANGRA	2003-04	2	12	10	3	4	17	6
BARAGAON	2003-04	2	56	39	17	7	86	127
CHIRGAON	2003-04	2	10	12	5	1	21	1
GURSARAIN	2003-04	2	7	4	16	6	30	9
JHANSI NAGAR	2003-04	2	30	17	17	8	101	44
MAURANIPUR	2003-04	2	0	0	0	0	4	0
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	2	2	2	2	1	13	11
MOTH	2003-04	2	0	0	5	7	49	10

-JHANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 3-SIBLING CARE					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	3	102	72	80	104	16	77
BAMORE	2003-04	3	34	44	26	116	18	37
BANGRA	2003-04	3	140	161	73	167	88	104
BARAGAON	2003-04	3	164	162	70	114	33	90
CHIRGAON	2003-04	3	128	96	62	69	20	38
GURSARAIN	2003-04	3	114	104	80	81	82	83
JHANSI NAGAR	2003-04	3	112	239	28	116	32	164
MAURANIPUR	2003-04	3	78	100	16	16	5	47
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	3	2	2	2	4	73	34
MOTH	2003-04	3	331	71	8	22	27	37

DISTRICT-JHANSI	OUT OF SCHOOL CHILDR...							
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	4	44	46	12	31	24	53
BAMORE	2003-04	4	13	10	2	0	0	0
BANGRA	2003-04	4	31	17	35	63	11	25
BARAGAON	2003-04	4	83	60	64	42	20	45
CHIRGAON	2003-04	4	6	7	0	3	5	15
GURSARAIN	2003-04	4	15	16	0	14	4	6
JHANSI NAGAR	2003-04	4	116	91	8	10	10	6
MAURANIPUR	2003-04	4	13	12	7	1	14	31
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	4	3	4	2	4	41	17
MOTH	2003-04	4	0	0	0	0	0	37

DISTRICT-JHANSI			OUT OF SCHOOL REASONWISE 5-OTHER REASONS					
blkname	ac_year	reason	boys56	girls56	boys710	girls710	boys1114	girls1114
BABINA	2003-04	5	415	368	440	494	224	310
BAMORE	2003-04	5	297	287	65	41	83	98
BANGRA	2003-04	5	663	648	89	135	43	58
BARAGAON	2003-04	5	465	378	79	103	60	65
CHIRGAON	2003-04	5	913	856	243	1042	548	607
GURSARAIN	2003-04	5	142	144	97	112	96	130
JHANSI NAGAR	2003-04	5	268	124	82	49	123	28
MAURANIPUR	2003-04	5	421	354	305	269	209	162
MAURANIPUR NAGAR	2003-04	5	8	6	6	8	6	6
MOTH	2003-04	5	408	463	138	111	167	202

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 30088 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। सर्वे के अनुसार घरेलू कार्यो में लगे 8306 बच्चें, मजदूरी में लगे, 1112 बच्चें भाई बहनों की देख भाल में लगे होने के कारण 4568, विद्यालय दूर होने के कारण 1266 बच्चें एवं अन्य कारणों से 14836 बच्चें स्कूल जाने से वंचित थे। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है--

क्रमांक	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	4086	4220	8306
2.	मजदूरी	680	432	1112
3.	भाई बहनों की देखभाल	1967	2601	4568
4.	विद्यालय का दूर होना	594	672	1266
5.	अन्य कारण	7038	7798	14836
	योग	14365	15723	30088

इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु निम्न रणनीति अपनायी गई स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत उपर्युक्त 30088 बच्चों में से 21093 बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया गया। इनमें से 15889 बच्चें 6 से 11 वर्ष के थे। 5204 बच्चें 11 से 14 वर्ष के थे शेष 8995 बच्चों के लिए अधोलिखित, कार्यक्रम चलाये जायेगें।

घरेलू कार्य में लगे बच्चें:– इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाये जायेगें। यह कोर्स इन बच्चों के घरों के पास इनकी सुविधा के अनुसार चलाये जायेगें।

क्रम	कार्यक्रम / कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ब्रिज कोर्स एनपीआरसी स्तरीय	51	3060	65	3900	65	3900	65	3900
2.	विद्यालय केन्द्र / वैकल्पिक केन्द्र	60	2400	75	3000	75	3000	75	3000

2. मजदूरी करना: कुछ बच्चें मजदूरी करने के कारण विद्यालय नही आ पाते है। यह समस्या 11 से 14 वर्ष के बच्चों की है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए ए0आई0ई0 खोले जायेंगे। इन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है–

क्रम	कार्यक्रम / कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ए0आई0ई0	48	1920	48	1920	48	1920	48	1920
2.	आवासीय ब्रिज कोर्स	3	180	3	180	3	180	3	180

3. भाई बहनों की देखभाल करना: छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण जपद में कुल 4568 बच्चें स्कूल नहीं जा पा रहे है। इन बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ईसीसीई केन्द्रों एवं समर कैम्प की व्यवस्था की गई है।

क्रम	कार्यक्रम / कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1.	ईसीसीई	100	400	100	800	200	800	200	800
2.	समर कैम्प	40	1600	40	1600	40	1600	40	1600

4. विद्यालय का दूर होनाः ऐसी बस्तियाँ जहां मानक के अनुसार विद्यालय नहीं खुल सकता है वहा ईजीएस और एआईई खोले जायेंगे।

5. अन्य कारणः उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक कारणों एवं रूढ़ी वादिता के कारण कुछ बच्चें स्कूल नहीं जाते हैं। उनके लिए स्कूल चलो अभियान एवं जन जागरण अभियान चलाया जायेगा मुस्लिम बालिकाओं के लिए जनपद में 10 मकतब मदरसों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। एससी/एसटी के बालक एवं समस्त बालिकाओं एवं गरीब बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों के लिए मध्याहन भोजन दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के अधिक सहभागिता के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन एवं मीना मंच का गठन किया जायेगा।

है । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिदृश्य जिससे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक वर्गों की पहचान हो सके ।

शिक्षा गारंटी योजना (ई०जी०एस०)

इस योजना के अर्न्तअत ६–८ वय वर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा । ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरे/टोल/मुहल्ले जो विद्यालय से १ कि०मी० की परिधि के बाहर है तथा ६–८ वय वर्ग के ३० बच्चे उपलब्ध हों । वहॉ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । इन केन्द्रों में कक्षा १ से कक्षा २ तक की पढ़ाई होगी । इन केन्द्रों का संचालन ' सर्व शिक्षा अभियन ' के अन्दर चिन्हित 'स्टेट सोसाइटी ' उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज, लखनऊ द्वारा किया जायेगा । इन केन्द्रों पर एक अनुदेश प्रति केन्द्र प्रस्तावित है ।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम

ड्रापआउट होने के कारण तथा अधिक आयु हो जाने की वजह से झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंछित बच्चे विशेषकर काम–काजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जायेगी , जिन ग्राम/बस्ती /मजरे/मुहल्ले/टोले में १५बालक/बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होगे वहॉ पर ए०आई०ई ० केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाये जायेगें । प्राथमिक स्तर के केन्द्र में ०१ अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ०२ अनुदेशक की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता

अनु०जाति , अनु०जनजाति क्षेत्र व ऐसे क्षेत्र जहॉ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो व जहॉ ड्रापआउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो तथा ऐसे क्षेत्र जहॉ स्ट्रीट चिल्ड्रेन, बाल श्रमिक, धुमन्तू एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में सलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो ।

शिक्षा गारंटी केन्द्र(ई०जी०एस०), वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रो का स्वरुप

उपरोक्त असेवित बस्तियॉ एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिये शिक्षा गारटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्व रुप से खोले जाने प्रस्तावित है ।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय विशेष परिस्थतियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शामएवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा । ये केन्द्र ०४ घन्टे संचालित किये जायेगें ।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहॉ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है । उसी ग्राम का सही व्यक्ति न मिलने पर निकटके गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है । अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । अनुदेशक की न्यूनतम आयु १८ वर्ष होगी तथा उसका चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त हाईस्कूल परीक्षा के अंकोंके प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा । तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा । किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति २/३ बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटा सकती है व उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में अनुदेशक का चयन,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकरी, शिक्षा अधिक्षक, क्षेत्र सभासद,सम्बधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यानक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा ।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसा में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इक्छुक होने की स्थिमि में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बधित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्हत व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु १८ वर्ष से कम न हो को मकतबों में सचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रुप में चयनित कर शिक्षण कार्यहेतु आमन्त्रित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बंध में जानकारी हो गई है । ग्राम शिक्षासमिति सम्बधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी । चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो शामिल किया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो के लिये अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु २१ वर्ष की होगी । स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकता है ।

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

अनुदेशक के चयन के सम्बंध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारुप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा ।

अनुदेशक का प्रशिक्षण

अनुदेशक का तीस दिवसीय प्रशिषण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा । प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई०/ब्लॉक प्रोग्राम आफीसर/ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रु०१५००/— प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध करायी जायेगी । प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रुप में कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

अनुदेशक मानदेय वितरण

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रु०१०००/— प्रति अनुदेशक की दर से सम्बंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी, जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चैक के द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । मानदेय की एक बार में छःमाह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित करा दी जायेगी ।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशको के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीद्वारा संयुक्त रुप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बधित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । यहधनराशि नगरक्षेत्र के सम्बधित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानांतरित की जायेगी । तत्पश्चात् चैक द्वाराअनुदेशक को भुगतान किया जायेगा ।

पर्यवेक्षण

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई/ब्लॉक रिसोर्स पर्सन/ब्लॉक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा । नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक / नगर प्रोग्राम आफीसर / नगर रिसोर्स पर्सन/ सहायक शिक्षा अधीक्षक/ जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रप्रभारी/बी०आर०सी० प्रभारी द्वारा अनुदेशक कीवार्षिक बैठकें भी ली जायेगीं । जिसमें ब्लॉक आफीसर/रिसोर्स पर्सन/सहायक बे०शि० अधिकारी/जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय–समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगें । निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों केप्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को भी अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे ।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रुप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी । डायट में डी०आर०यू० प्रभारी एवं उनके सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगें । पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों के द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके ।

नि:शुल्क शिक्षण सामग्री

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातेमें सीधे स्थानान्तरित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी ।

शिक्षा केन्द्रो पर संचालित सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथाइस धनराशि कासमायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु०८४५/—प्राथमिक तथा रु०१२००/— उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा । शिक्षण सामग्री मद का ५प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा ।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेंगी ।

छात्र—छात्राओं का मूल्यांकन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा । इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिकडायरी तैयार कीजायेगी । बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षाकेन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये । अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समितितथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा । अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्यनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा । केन्द्रो में अध्ययनरत बच्चे जोकक्षा ५ हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे , उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् , उ०प्र०द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के तहत निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी ।

प्रबंधन लागत

उक्त केन्द्रों की अधिक्तम लागत में ५ प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्र बंधन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है ।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी –

80-100 केन्द्रों के मध्य	2.50 लाख रू०प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	2.00 लाख रू०प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	1.5 लाख रू०प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	100.00 रू० प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित शिविर :–सड़क/प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चें जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिकों/खतरें के उद्योगों में लगे वच्चे जिनका वय वर्ग ९–१४ है ,के ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचा–लित किये जायेंगे । इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में ९–१४ वर्ष तक के न्यूनतम ५० बच्चे शामिल किये जायेगें तथा ये शिविर आवासीय होंगे । इनमें बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था नि:शुल्क होगी ।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिये एक केयर टेकर , दो पैरा टीचर, एक रसोईया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । जिसके लिये जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था , छात्र–छात्राओं के लिये नि:शुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिये वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी । केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की नि:शुल्क व्यवस्था एवं साज–सज्जा आदि के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था मे ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर नि:शुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके व यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हो

ब्रिज कोर्स का वर्षवार विवरण

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ब्रिज कोर्स	2	2	3	2	2
बैक टू स्कूल कैम्प	10	40	40	80	80

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी।जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे –

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकरी	उपाध्यक्ष
3	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई०जी०एस०)	सदस्य
5	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
8	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)	सदस्य
9	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य

नोंट :–स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करनें एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिये ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है :–

६–१४ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना ।

- कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना ,
- अनुदेशकों का चयन करना ,
- केन्द्रो की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना ,

- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना ,
- अनुदेशकों की उपस्थिति , बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबंधन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना ,
- केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना ,
- नियमित रूप से अनुदेशको के मानदेय का भुगतान करना ।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है –

ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना , ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था करना । जनपद एवं विकास खण्ड स्तरपर उपलब्ध संदर्भ दाताओं की सहायत से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना ।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :

जनपद में शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति के निम्नलिखित दायित्व प्रस्तावित है –

शिक्षा गारंटी /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग का आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्नयोजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना ।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन /क्षेत्र विशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना ।

कार्यक्रमों का कार्यन्वयन कराना ।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ का कनवरजेन्स कार्यक्रमों का संचालन करना । कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकासखण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनोंके कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना ।

विकलॉग बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जनपद झाँसी में न पढ़ने वाले विकलॉग बच्चों की संख्या ४९० है, जिनका विकासखण्डवार चिन्हांकनकर प्राथमिकता के आधार पर ई०जी०एस०एवं ए०आई०ई० केन्द्रोंकी स्थापना की जायेगी ।

विकलॉग बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम १४ वर्ष के स्थान पर १८ वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है । इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को १५ सेकम भी किया जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलॉग बच्चे है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर छात्र संख्या एवं उसकी उम्र में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। कोई भी विकलॉग छात्र शिक्षा से वंछित न रह जाये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल या बैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है ।

बालिकाओं के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :—

जिन ग्रामों/बस्तियों/मजरों/टोलों/मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें तथा महिला अनुदेशका की व्यवस्था की जायेगी । इसमें सामुदायिक सहभागिता, कला जत्था, महिला मंगल दल, माँ–बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षामें रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा ।

अल्पसंख्यकों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :—

जनपद का अधिकांश ६ से १४ आयु का निरक्षर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बधित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है । इस कार्यक्रममें मकतबों व मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकसग्रुप डिस्कशन के अन्दर आया तथा माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मकतबों/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित कियाजाये और वहाँ पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये ।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ई०जी०एस० केन्द्रो की संख्या
1	बड़ागाँव	08
2	बबीना	06
3	बंगरा	01
4	बामौर	04
5	चिरगाँव	04
6	मोंठ	03
7	गुरसराँय	08
8	मऊरानीपुर	06
योग		40

विकासखण्डवार प्रस्तावित ई०जी०एस० केन्द्रों के स्थलों के नाम

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	केन्द्रों के नाम
1	बड़ागॉव	हयूम पाइप कालोनी
		बचावली खुर्द (छपरा)
		कबूतरों का डेरा (गोरामछिया)
		बराटा धाट (बराटा)
		शंकरगढ़ (अम्बावाय)
		ढिमरपुरा (पालर)
		खिंरिया (मवई गिर्द)
		कबूतरों का डेरा (पाड़री)
2	मऊरानीपुर	जलालपुरा
		कॅजा
		अटारन
		मढ़ा
		कंजा बाग
		ढिमलौनी
3	गुरसरॉय	करनपुरा (सिर्वो)
		कर्रो
		विराटी
		शंकरगंज (जसवतपुरा)
		गुन्दहा
		रमौरा (मोतीकटरा)
		बहादुरगंज (एवनी)
		पहाड़पुरा
4	बामौर	शहपुरा बुजुर्ग
		अजनारी
		निबूजा
		परगहना
5	चिरगॉव	दिनेरा
		शंकरगढ़ (कुकरगॉव)
		बेरवई का खिरक (परसा)
		गड़रियन का खिरक (वारेई)

6	मोंठ	बुढेरी धाट (बुढ़ेराधाट)
		बुढ़ेरी कला (बुढ़ेराधाट)
		धमधौली
7	बंगरा	छिग्गेवारा खिरक (नगरवारा),रौतयाना मुहल्ला हाटी
8	बबीना	पुराटिया
		प्रेमपुरा
		कटैला
		चोचनयाऊ
		छेवलाखिरक
		सहरियापुरा
		तला
		पथरया

विकासखण्डवार प्रस्तावित ए०आई०ई० केन्द्रों के स्थलों के नाम

क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	केन्द्रों के नाम
1	बबीना	अवधपुर
		डिमरियान
		कुम्हरगढ़ा
		नयाँकुआँ
		ढ़ंगा
		चनौआ
		नैकुआँ
		बढ़इयावारो
2	बड़ागाँव	कोलवा
		मैरी
		कोटी
		आरी
		पोहरा
		पहलगुआँ
		मुस्तरा
		कैलोथरा
		हस्तिनापुर
		दातारनगर
3	बंगरा	रमपुरा
		बधौरा
		बासार
		दादपुरा
		कुरैना का खिरक
		नैकुआँ का खिरक
4	बामौर	दमनौड़
		बैंदा
		खरवाँच
		अड़जरा

		बरगॉव खंगार
		जरवनपारा
5	चिरगॉव	दहगुवॉ
		महेवा
		अतबेई
		ध्वानी
		नीवो
		धवारा
		इटवांखुई
6	गुरसरॉय	खेरी
		जलालपुरा
		गढ़ा
		कोटरा
		सैपुरा
		केदारताई
		इमलौटा
		दहरौली खास
7	मऊरानीपुर	खदरका
		खरकामऊ
		सितौरा
		धायपुरा
		बख्तर
8	मोंठ	काशीपुरा
		सिकंदरा
		सौजना
		सारन
		बहादुरपुर

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ए०आई०ई० केन्द्रो की संख्या
1	बड़ागॉव	11
2	बबीना	08
3	बंगरा	06
4	बामौर	07
5	चिरगॉव	07
6	मोंठ	05
7	गुरसरॉय	08
8	मऊरानीपुर	05
योग		57

अध्याय – ८

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक के प्रयासो के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक–बालिकाओं का विधालयो में नामाकन तो हो जाता है , परन्तु किन्ही कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप–आउट की समस्याआ जाती है सर्वशिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे है जिनके मुख्य प्रयास निम्नांकित है।

सारणी

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
१	२	३	४
१	विधालय पुर्ननिर्माण	-	02
२	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	581	50
३	पेयजल सुविधा	04	34
४	शौचालय	238	75
५	चहार–दिवारी	0	0

जनपद में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत ११३ प्रा०वि० पुन:निर्माण कराया जा चुका है । पुन: निर्माण हेतु मात्र २३ प्रा०वि० की मांग की जा रही है । इसी प्रकार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को तीन कक्षीय कक्षों की आवश्यकता है । पेयजल की सुविधा ०४ प्रा०वि० एवं ३४ उ०प्रा०वि० में नहीं है । इसी प्रकार २३८ प्रा०वि० एवं ७५ उ०प्रा०वि० में शौचालयों की आवश्यकता है ।

शौचालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	विकासखण्ड	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	बामौर	30	11
2	चिरगॉव	26	08
3	बड़ागॉव	36	05
4	बंगरा	27	08
5	मोंठ	20	06
6	बबीना	30	13
7	मऊरानीपुर	15	12
8	गुरासरॉय	42	12
9	नगरक्षेत्र मऊ	12	-
योग		238	75

भौतिक सुविधाओं की वर्षवार पूर्ति

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	योग
पुनर्निर्माण प्रा०वि०	-	-	02	-	-	-	02
अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०	230	361	200+ 24	200+ 24	181	-	1320
पेयजल सुविधा	-	38	-	-	-	-	38
शौचालय प्रा०वि०/ उ०प्रा०वि०	-	-	138 75	100 -	-	-	238 75
चहारदीवारी	-	-	-	-	-	-	-

निर्मित होने वाले नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण वर्षवार

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
प्राथमिक विद्यालय	-	53	-	-	53
उच्च प्रा०वि	30	30	40	44	144

सारणी

प्राथमिक स्तर अतिरिक्त कक्षो की मांग निम्न आधार पर निकाली गई है–

१– एक कक्षीय ७१ विद्यालयों मे दो अतिरिक्त कक्ष दिया जायेगा

२– दो कक्षीय ५६८ विधालयों में एक अतिरिक्त कक्ष दिया जायेगा ।

डी०पी०ई०पी०–।।। के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षो के लिये वर्ष २००१–२००२ में निर्माण कराने का प्रावधान है अत: कुल १४४ अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है।

पुनर्निर्माण प्राथमिक विद्यालय :–

जनपद में ५५ प्राथमिक विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है इनके पुनर्निर्माण हेतु २०००–२००१,२००१–२००२ एवं २००२–२००३ में लक्ष्य रखा गया हैं।

विद्यालय सुविधायें:–

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन के रख–रखाव के प्रतिवर्ष रू० ५०००/– का अनुदान दिया जायेगा। २०००/– विधालय रंगाई–पुताई हेतु दिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :–

जनपद झाँसी में प्राथमिक विद्यालयो में कुल १५४४ अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में ७८ अतिरिक्त कक्षा–कक्षो की आवश्यकता है। तदोपरान्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हो जायेगे। अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु वर्ष २००३–२००४ एवं २००५ में कक्षो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा०वि०अति०कक्षा कक्ष	-	-	200	200	181
उच्च प्रा०वि०अति०कक्षा कक्ष	-	-	24	24	-

शौचालय :–

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयो में ७५ विद्यालय ऐसे है जिनमें शौचालय उपलब्ध नही है। २००२–२००३ एवं २००३–२००४ में शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयो में कुल २२५ विद्यालय ऐसे है , जिनमें शौचालय उपलब्ध नही है। २००२–२००३ एवं २००३–२००४ में शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिक विद्यालयो का लक्ष्य सर्वे के आधार पर संशोधित किया गया है जो कि ज्ञान में पूर्व पृष्ठो पर एवं Financial Data sheet मे अंकित किया गया

वर्तमान में

प्राथमिक विद्यालय–जर्जर भवन :–

जनपद में कुल जर्जर प्राथमिक विद्यालय ५५ है। इनके निर्माण हेतु २००३–२००४ एवं २००४–२००५ में पुनर्निर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है। जबकि जनपद में वर्तमान मे कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर नही है।

पेयजल व्यवस्था :–

जनपद में समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयो में पेयजल व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है और जिन भवनो का निर्माण कार्य हो रहा है उनको डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत निर्माण कार्य के साथ पेयजल व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है।

विद्यालय की मररम्त एवं रख–रखाव :–

जनपद कें समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो को रू० ५०००/– प्रति विद्यालय प्रति वर्ष वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में कुल. ३५० प्राथमिक विद्यालय मररम्त योग है। जबकि एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय मरम्मत योग नहीं है। जिसकी मरम्मत हेतु रू० २०,०००/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालय विकास अनुदान – डी०पी०ई०पी० के सकारात्मक अनुभवों को देखते हुये सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रति विद्यालय रु०२०००/– प्रति दर से विद्यालय विकास अनुदान देने का प्रस्ताव है

बालिका शिक्षा :–

देश की उन्नति एवं विकास हेतु सभी जन समुदाय के लोगो को शिक्षित होना अति आवश्यक है। भारतीय संविधान में ६–१४ वय वर्ग के बच्चो की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचनवद्वता व्यक्त की है। ६–१४ वय वर्ग के बच्चो के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्राविधान है।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार सभी नागरिको को सभी प्रकार के भेद–भाव,धर्म,जाति,लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित प्रताड़ना से रक्षा करते है। पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संविधान में बालिकाओ की शिक्षा हेतु कई आवश्यक कार्यक्रमो को प्रारम्भ किया गया है। १९८६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालिकाओं कीसमान्यता हेतु शिक्षा के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। महिलाओं की निरक्षरता को समाप्त करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं अन्य कठिनाईयो को दूर करने हेतु विशेष सहायक सेवाये,समयबद्व लक्ष्य तथा अनुश्रवण किया जायेगा। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर वर्ष १९९१ में ४१.६० प्रतिशत के विपरीत ५१.६० प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरूषो की राष्ट्रीय साक्षरता दर ५७.३९ प्रतिशत है प्रतिशत है जनपद झाँसी में पुरूष साक्षरता दर ५५.७३ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर २५.३ प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोध तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग की जटिल समस्या है इसके मुख्य कारण जैसे: विधालय का पास में न होना,जागरूकता की कमी, महिला शिक्षिका काअभाव,आर्थिक स्थिति का ठीक न होना एवं समाज में फैले अंधविश्वास इत्यादि। विद्यालय में शौचालय तथा अन्य शैक्षिक वातावरण का अभाव रहता है जिससे बालिकाओ को शिक्षा की ओर अग्रसार होने का सही प्रोत्साहन नही मिल पाता। बालिकाओ को खेती, शादी, त्यौहार एवं घर के अन्य कार्यो हेतु घर में ही रोक लिया जाता है जिसकी बजह से बालिकाओ को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा बनी रहती है। जिससे विद्यालय में उपस्थिति कम बनी रहती है।

१– बालिकाओं की आवश्यकतानुसार जागरूकता अभियान चलाकर विधालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

२– लिंग संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओ की शिक्षा प्रदान कराने हेतु अग्रसर हो सके।

३– ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें।

४– अध्यापको को लिंग भेद–भाव आधारित क्रिया–कलाप को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिये प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना।

५– बैकल्पिक शिक्षा तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र स्थापित करना ।

६– महिलाओं को शिक्षित करने के लिये महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमो के लिये संगठित करना।

७– प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयो में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य सम्पादित कराना।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षा की सामूदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सामाजिक सहभागिता का होना अति आवश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिताओं का बढ़ावा देना है।

ग्राम शिक्षा समिति (बी०ई०सी०) में से तीन महिला सदस्यों के होने का प्रावधान है इनमे से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला तथा एक नामांकित मॉ का होना आवश्यक है।

बालिकाओ की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता निम्नवत् होगी :–

१– बालिकाओं की नामांकन,ठहराव तथा विद्यालय प्रबंधन में स्थानीय समुदाय का सहयोग।

२– महिला समूहो का संगठन एवं महिला समाख्या का समन्वयन।

३– ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

४– ग्राम शिक्षा समिति,अभिभावक शिक्षक, माता शिक्षक संघ।

५– बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढ़ावा।

मॉ–बेटी मेला एवं महिलाओ की संसद :–

बालिकाओ की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना अत्यन्त आवश्यक है इस उद्देश्य से मॉ–बेटी मेले का आयोजन किया जाता है। इसके क्रियान्वयन के एक वर्ष के अन्दर लगभग ६५ मॉ –बेटी मेले एवं महिला संसदो का आयोजन किया जाना है।

उद्देश्य :–

१– वर्तमान शिक्षा प्राणाली पर कार्यकताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूहो से इस प्राणाली को दी गई आवश्यताओ के प्रति उत्तरदायी और प्रभावशाली बनाने हेत वातालाप करना ।

२– बालिकाओ की शिक्षा हेतु माताओ को शिक्षित करके बालिकाओं को शिक्षित बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

३– बालिकाओं के शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता सामग्री तैयार वितरित कराना।

४– शिक्षको एवं अभिभावको के बीच एक क्रियाशील समन्वय स्थापित करना एवं उनकी समस्या को समझना तथा उन समस्याओ का निराकरण करना।

५– बालक एवं बालिकाओ के प्रति लोगो के विचारो को समझने हेतु जेण्डर आधारित

वार्ताओ का आयोजन करना।

मीना अभियान :—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु ''मीना कैम्पेन'' नामक एक विशिष्ट योजना का आरम्भ किया गया हैयूनीसेफ द्वारा विकसित ''मीना'' नामक बालिका पर यह तैयार किया गया है। जनपद में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है,इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुये है।

समानता के लिये शिक्षा :

महिला संगठनो के अलावा महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आय वर्गो के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक तथा अन्य हस्तक्षेप समुदायो यथा महिला संघो के साथ रहकर विकसित किये गये है। इन प्रयासो से (६—१४ वय वर्ग के बालिकाआ एवं बालको हेतु) किशोरी केन्द्र महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है। महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति कई दृष्टिकोण है जो कि निम्नवत् है :—

१— महिलाओ की शैक्षित प्राथमिकताओं का सम्मान।

२— व्यैक्तिक रूप से सोच—विचार करने के लिये प्रर्याप्त समय।

३— ग्रामीण क्षेत्रो में शैक्षिक कार्यक्रमो में महिला संघो की भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।

४— बालिकाओ एवं महिलाओ की शिक्षा हेतु अनुकूल वातावरण सजृन करना इत्यादि।

बाल केन्द्र :—

महिला संगठन की महिलाओ ने जब अपने बच्चो की शिक्षा की महत्व को समझा तब उन्होने अपने घर के आस—पास के बच्चो की शिक्षा के लिये शिक्षण व्यववस्था की मॉग की तत्पश्चात बाल केन्द्रो की संकल्पना तथा स्थापना कराई गई। इसके अन्तर्गत ऐसी बालिकाओ को शिक्षा के अवसर प्रदान किये गये जिनकी पहुॅचऔपचारिक शिक्षा सुविधाओ तक नहीं है।

किशोरी केन्द्र :—

बाल केन्द्र बच्चो की शैक्षिक आवश्यकताओ को पूर्ण करने में सक्षम है लेकिन वे ऐसी किशोरियॉ जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् विधालय छोड़ दी है उनके ज्ञान की तृष्ण की तृप्ति नहीं हो पाई है । अत: समुदाय की महिलाओ का संघ एवं किशोरियो से गहन विचार—विमर्श करने पश्चात् इस आयु वर्ग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुयें किशोरी केन्द्रो की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक शिक्षा कीं ओर प्रोत्साहित करने हेतु समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षिका के माध्यम से प्रवेश दिलाने हेतु प्रयास करना ।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ का उद्‌भव किशोरी केन्दों से हुआ है। किशोरी संघ किशोरियों का समूह जिसका गठन पर्यावरण,कानूनी साक्षरता,स्वास्थ्य शिक्षा,व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि विषयो को दृष्टिगत रखते हुयें किया गया है।

बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

प्राथमिक शिक्षा में बच्चो की भागीदारी को बढ़ाने हेतु ऐसी बालिकाओ को बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नामांकित किया जायेगा जो कि किन्ही कारणो से विधालय में नहीं जा पाती है।

स्वेत पाठयक्रम व ग्रीष्मकालीन सत्र चलाये जायेगे। विधालयो में बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन तथा उनके ठहराव पर विशेष जोर दिया जायेगा तथा ऐसे सभी प्रयास किये जायेगे जिससे कि उनका ठहराव हो सकें।

बालशाला :–

बालशाला का लक्ष्य छोटे बच्चो एवं उनके ११ वर्षीय भाई–बहनो पर आधारित है। बड़े बच्चो के समूह को प्राथमिक शिक्षा एवं ६–६ वर्ष के बच्चो को स्कूल में प्रोत्साहित पैकेज दिये जायेगे,जिन बालिकाओ को अपने छोटे भाई बहनो की देखभाल का दायित्व रहता है वे इसी कारण से स्कूल से वाहर रहती है। इस बालशाला के अन्तर्गत दोनो आयु वर्ग के बच्चो को एक साथ रखा जाता है।

प्रहर पाठशाला :–

यह पाठशाला मुख्तया: ९ से अधिक वय वर्ग बालिकाओं के लिये है। जो बालिकाये विधाल य जाना प्रारम्भ नही की है अथवा विधालय छोड़ चुकी है ऐसी बालिकाओं के लिये (९ से १४ व य वर्ग) १५ बालिकाओ के साथ एक प्रहर पाठशाला आरम्भ किया जायेगा।

मकतब–मदरसा :–

मुस्लिम बालिकाओ जो अधिक संख्या में विधालय से बाहर है ऐसी बालिकाओ के लिये मकतब/मदरसो के लिये नीति तैयार की गई है। यह सुस्पष्ट है कि सामुदायिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि बालिकाये औपचारिक स्कूलो से बाहर थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य यह है कि मदरसो के वातावरण में बालिकाओ एवं शिक्षको को औपचारिक शिक्षा में लाने हेतु प्रेरित करना तथा साथ ही साथ औपचारिक कार्यक्रम को भी मदरसो/मकतबो में प्रारम्भ करना ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा (समेकित शिक्षा) :–

समेकित शिक्षा का आश्रय विकलांग बच्चो को न्यूनतम बाधा रहित वातावरण तैयार कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा प्रदान कराना भारत वर्ष में लगभग १० ,प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के उदेदश्य की पूर्ति तब

तक नही होगी जब तक कि अश्रमता के विभिन्न प्रकारो से ग्रसित बच्चो को विधालय नही लाया जाये

सामान्य बच्चो और अक्षमता ग्रस्त बच्चो के मध्य सभी स्तर पर स्वास्थ्य समाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है इसके लिये अध्यापको को विकलांग बच्चो के प्रति अत्यधिक संबेदनशील होने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे बच्चो को चेलेंज के रूप में स्वीकार किया गया है साथ ही इन्हें ''फिजीकली चेलेन्ज'' संज्ञा प्रदान की गई है।

अक्षमता/चैलेन्ज के प्रकार :—

१— दृष्टिवाधित

२—श्रवणबाधित

३— अस्तिबाधित

४— मानसिक मंदता

५—अधिगत अक्षमता

उक्त ५ प्रकार की अक्षमता वाले बच्चो का चिकित्सीय प्रशिक्षण कराकर चिकित्सको की संस्तुति अनुसार उन्हें सहायक उपकरण/कृतिम अंग,स्वयंसेवी संगठन, विकलांग कल्याण केंद्र इत्यादि के माध्यम से प्रदान कराने हेतु व्यापक कदम उठाया जायेगा।

अक्षमता का कारण :—

अक्षमता/विकलांगता के कई कारण हो सकते है। तथा सभी विकलांग बच्चो के अलग—अलग कारण हो सकते है। मुख्यत: निम्नांकित कारण है :—

१— जन्म के पूर्व : वशानुगत , मॉ का लम्बे समय तक बीमार रहना इत्यादि ।

२— जन्म के समय : बच्चे का जन्म के समय देर से रोना , कम वजन, प्रीमेच्योर बर्थ इत्यादि ।

३— जन्म के बाद : बच्चे का लम्बे समय तक बीमार रहना, बच्चे को संतुलित अहार की कमी होना , किसी दुर्घटना के कारण इत्यादि ।

जनपद में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र/छात्रायें वर्ष २००३—०३ (परिषदीय विद्यालयों में)

विकलांगता का प्रकार	कक्षा १		कक्षा २		कक्षा ३		कक्षा ४		कक्षा ५		कक्षा ६		कक्षा ७		कक्षा ८		योग		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
OH	51	30	72	39	75	39	106	57	110	53	74	39	32	11	17	07	541	275	816
MR	11	04	19	10	15	08	18	07	05	03	05	03	05	02	-	-	78	37	115
VI	01	04	23	12	14	07	18	09	07	04	15	12	05	02	02	-	85	50	135
HI	09	02	12	06	19	08	16	15	13	07	13	05	-	-	-	-	82	43	125
LD	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	04	03	07
TOTAL	72	40	127	67	123	63	158	88	137	68	108	60	42	15	19	07	790	408	1198
DROPOUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनपद में विकलॉग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या (०–१८ वय वर्ग) सत्र २००३–०४

(१) विद्यालय में बच्चों की संख्या

विकलांगता के प्रकार	0-3			3-5			5-14			14-18			TOTAL		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
अस्ति बाधित	-	-	-	-	-	-	442	190	632	27	07	34	469	197	666
मानसिक मन्दता	-	-	-	-	-	-	68	36	104	-	-	-	68	36	104
दृष्टि बाधित	-	-	-	-	-	-	87	48	135	1	-	01	88	48	136
श्रवण बाधित	-	-	-	-	-	-	89	49	138	1	-	01	90	49	139
अधिगत अक्षमतॉ	-	-	-	-	-	-	03	02	05	-	-	-	03	02	05
योग	-	-	-	-	-	-	689	325	1014	29	07	36	718	332	1050

(२) विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या

विकलांगता के प्रकार	0-3		3-5		5-14		14-18		TOTAL			SUB TOTAL		
	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
अस्ति बाधित	29	14	59	23	237	141	80	51	405	229	634	874	426	1300
मानसिक मन्दता	-	-	09	05	57	33	22	11	88	49	137	156	85	241
दृष्टि बाधित	05	02	06	03	47	32	19	09	77	46	123	165	94	259
श्रवण बाधित	02	03	15	12	69	53	21	16	107	84	191	197	133	330
अधिगत अक्षमतॉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	02	05
योग	36	19	89	43	410	259	142	87	677	408	1085	1395	740	2135

अक्षम बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में कई भ्रान्तियां हैं । कुछ का मानना है कि ये बिलकुल नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ का मानना है कि ये पढ़ सकते हैं । जबकि सच यही है कि अक्षम बच्चे पढ़ सकते हैं व रोज मर्रे का कार्य कर सकते हैं बशर्ते इन्हें प्रशिक्षित करनें की आवश्यकता है ।

समेकित शिक्षान्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रम का वर्षवार विवरण

कार्यक्रम का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
दिवसीय वातावरण सृजन हेतू गोष्ठी	08	10	10	10
मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प	16	18	18	18
सहायक उपकरण वितरण शिविर	04	08	08	08
मास्टा ट्रेनर का प्रशि० १० दिवसीय	16	-	-	-
फाउडेशन कोर्स ४५ दिवसीय	08	-	-	-
शिक्षक प्रशिषण ५ दिवसीय १२७६ शिक्षकों को	1060 P.S. 216 U.P.S.	-	-	-
पुनर्वोधात्मक प्रशिषण ५ दिवसीय	-	1000 teachersX4 blocks	1276 teachers	-
अभिवावक परामर्श एवं प्रशि०१दिवस	400	400	400	400
खेल कूद	Block level	Block level	Block level	Block level
स्वास्थ्य परीक्षण	All P.S. students	All P.S. students	All P.S. students	All P.S. students

समेकित शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य :–

१– कम एवं मध्यम श्रेणी के अक्षम बच्चों को समान्य बच्चों के साथ न्यूनतम बाधारहित बना कर शिक्षा प्रदान करना ।
२– ६–११ वय वर्ग के अक्षम बच्चों की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना ।
३– स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे की इन बच्चों में आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास हो ।
४– समुदाय एवं अभिवावकों का सम्वेदीकरण/निर्देशन एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ।
५– विकास खण्ड एवं जिले स्तर पर रिर्सोस सेन्टर की स्थापना करना ।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता :–

१– सब के लिये शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ।
२– शिक्षा के स्तर में कमी होने के कारण समेकित शिक्षा की आवश्यकता ।
३– ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होने शिक्षित वर्ग कम होने एवं यातायात की कमी के कारण ।
४– अक्षम बच्चों में हीन भावाना को समाप्त होने उन्हें कुछ कर दिखाने की भावना का विकास होना इत्यादि ।

समेकित शिक्षा का प्रारूप :–

१– संसाधन अध्यापक योजना ।
२– भ्रमणशील अध्यापक योजना ।
३– कोओपरेटिव अध्यापक योजना ।
४– संयुक्त योजना ।
५– क्लस्टर माडल योजना ।
६– दोहरी शिक्षा योजना ।

समेकित शिक्षा योजना को सर्व शिक्षा अभियान की योजना में प्रभावकारी बनाया जायेगा । इसमें अक्षम/चैलेंजिग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नियमित अध्यापक के साथ–साथ भ्रमण

शील विशिष्ट योग्यता वाले प्रशिक्षित अध्यापक/एन०पी०आर०सी०समन्वयक के सहयोग से सुनिश्चित की जायेगी । समेकित शिक्षा के अर्न्तगत नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व मई माह में धर–धर जाकर अध्यापकों द्वारा सर्वे कराया जायेगा । इसके लिये अध्यापकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति अध्यापक रू५००/– दिये जायेगें । जून माह में अभिवावक प्रेरक शिविर लगाये जायेंगें जिसके द्वारा अक्षम छात्रों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं व विभिन्न रोजगारों आदि में लगे अक्षम व्यक्तियों पर बनाई गई वृतचित्र, पोस्टर इत्यादि दिखाये जायेंगें जिससे सामामजि जागरूकता उत्पन्न हो सके तथा इसी शिविर में अक्षम बच्चों को सहायक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध करायें जायेगें । जुलाई में चैलेंजर बच्चों का नामांकन किया जायेगा , जिन चिन्हाकित बच्चों का नामांकन किसी परिस्थिति वश नहीं हो पाता है , उन बच्चों का नामांकन विशिष्ट अध्यापक, जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) व सामान्य अध्यापक की सहायता के पश्चात ३०सितम्बर तक अनिवार्य रूप से करा लिये जायेगें । प्रत्येक एन०पी०आर०सी०केन्द्र में अक्षम बच्चों के लिये सहायक शिक्षण सामग्री क्रय की जायेगी एवं विशिष्ट अध्यापक एवं सामान्य अध्यापक मिल कर जिला समन्वयक के परामर्श से वितरण वितरित करेंगें । ऐसे बालक एवं बालिकाओं को यूनीफार्म, पाठय पुस्तकें , लेखन सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी । इसके लिये विकलॉग कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित करके विलॉगता छात्रवृति आदि दिलाई जायेगी , इसी के साथ विश्व विकलॉग दिवस (३ दिसम्बर) के अवसर पर एन०पी ०आर०सी०से जिला स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कृत किया जायेगा ।

जिला स्तर पर अति गंम्भीर विकलॉग बच्चों हेतु (दृष्टिबाधित , श्रवणबाधित ,अस्थिबाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित) आवासीय विद्यालय खोला जायेगा इसमें सम्पूर्ण सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जायेगी । समेकित शिक्षा योजना सर्व भौमिक शिक्षा को प्राप्त करनें का एक महत्वपूर्ण साधन है, यदि गम्भीर विकलॉग बच्चों को वंचित रखा गया तो इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी । एक शिक्षण सत्र में कम से कम दो बार जनपद के सभी अक्षम छात्र छात्राओं को अलग अलग समूहों में विभाजित कर उनका तीन दिवसीय शिविर लगाया जायेगा ताकि आपस में एक दूसरे से अपने विचारों का आदान एवं समस्याओं का समाधान कर सकें ।

प्रशिक्षण :–

समेकित शिक्षा अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्ड चार–चार मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दस दिवसीय प्रदान कराया जायेगा तथा प्रत्येक विकासखण्ड के दो–दो एन०पी०आर०सी०समन्वयकों का ४५ दिवसीय फाउडेशन कोर्स कराया जायेगा । ततपश्चात उक्त मास्टर ट्रेनर्स एवं फाउडेशन कोर्स कर आये प्रशिक्षकों द्वारा सेवारत अध्यापकों कापांच दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

विकलॉग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करेंमें हेतु दो दिवसीय संवेदनशीलता का प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तरीय अभिवावक/समुदाय के लोगों को कराया जायेगा ।

स्वयंसेवी सास्थाओं से सहयोग :–

विकलॉगता के क्षेत्र में कार्य कर रही एन०जी०ओ० से सम्पूर्ण सहयोग लिया जायेगा ।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र होने,आर्थिक सामाजिक विकास न होने व स्कैटर्ड एरिया होने से यहॉ बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है । साथ ही कृषिगत जन बाहुल्य होने व रूढ़वादि समाज के चलते शिक्षा के प्रति लोंगों में जागरूकता का अभाव है । इस लिये बालिकाओं के स्कूल में नामांकन एवं ठहराव हेतु विशेष नीति अपनाई जायेगी जो निम्नानुसार है :–

समुह का निर्माण एवं प्रशिक्षण –

१– माता शिक्षक संध (एम०टी०ए०) :– ऐसे गांव जहॉ प्रा०वि०हैं, उस गॉव की सक्रिय माताओं एवं शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा । ये एम०टी०ए० विशेष रूप से बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर ने हेतु प्रयास करेगें । वर्तमान में डी०पी०ई०पी० में एम०सी०डी०ए० में कार्य कर भी रहे हैं , जिसके परिणाम संतोषजनक हैं ।

२– अभिवावक शिक्षक संध (पी०टी०ए०) – ऐसे गांव जहॉ प्राथमिक विद्यालय हैं उस गॉव के दस सक्रिय अभिवावक एवं शिक्षक के समूहों का निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा । ए०पी०टी०ए० विशेष रूप से उपस्थित समस्याओं के निराकरण व विद्यालय से जनता को जोड़ने व स्वामित्व की भावना विकसित करने में कार्य करेंगें ।

३– महिला प्रेरक दल (डब्लू०एम०जी०) – ऐसे गॉव मजरे जो विद्यालय से कम दूरी पर होगे

वहॉ की बालिकाओ को विद्यालय में नियमित उपस्थिति व ठहराव सुनिचित करनेहेतु महिला प्रेरित दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल स्थानीय स्तर पर बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र विद्या केन्द्र,शिशु शिक्षा केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव वनाने के लिये प्रयास करेंगे।

एन०जी०ओ० का प्रशिक्षण :—

स्थानीय स्तर एन०जी०ओ० सहयोग लिया जायेगा। जो रैली जनसम्पर्क कर समाज बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेंगें।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :—

(अ)— छात्रो की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह ग्राम स्तर पर ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी। जिसमें ग्राम के गणमान्य नागरिक अभिभावक छात्र शामिल होगें। परिक्रमा के दोरान जो बच्चे कम उपस्थित रहेते हैं। उनके यहॉ थोड़ी देर ठहरकर विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

(ब)— बच्चो की उपस्थिति के प्रति अभिभावको एवं बच्चो को हरा,पीला,लाल,स्टार निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। जो निम्नानुसार होगा—

- ✯ माह में १५ दिन या उसकी अधिक उपस्थिति ''हरा निशान''
- ✯ माह में १४ दिन से ०७ दिन तक उपस्थिति ''पीला निशान''
- ✯ माह में ०६ दिन या उससे कम उपस्थिति ''लाल निशान''

बच्चो तथा अभिभावको को मिले निशान से अवगत करा कर बी०वी०सी० बैठक में चर्चा कर बच्चो को इनके सामने प्रदान किया जायेगा। जिससे दबाव बन सके।

अभिभावक सम्मेलन :—

छात्रो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सत्र के प्रारम्भ में विधालय मे संचालित योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। तथा मध्य में सम्मेलन कर सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चो को सम्मिलित किया जायेगा व सत्र के अन्त में समारोह में गॉव में समस्त अभिभावको को कुल ऐसे बच्चों तथा अभिभावको को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विधालय आ रहे हैं। इन्हें अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी :—

विद्यालय के पिछले पॉच वर्षो की शालत्याग दर देखने के लिये अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयो को निकालकर सूचीबद्व किया जायेगा व फिर रजिस्टर से पिछले पॉच वर्षो के शालात्यागी बच्चो की सूचीबद्व किया जायेगा। इन बच्चो को ग्रीष्मकालीन शिविरो के माध्यम से पुन: विद्यालय में लाने का प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर (समरकैम्प) :—

माह मई व जून में कोहाट स्टडी से चयनित बच्चे ऐसे गॉव सभा जहॉ न्यूनतम ४० बालिकॉये शालात्यागी के रूप में चिन्हित कर उसे १० दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुन: विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

जनपद में वर्ष २०००—२००१ में डी०पी०ई०पी० के २७ केन्द्र चलाकर ९५३ बालिकाओं का प्रवेश कराया गया है।

कला—जत्था अभियान :—

बालिका शिक्षा के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करके समाज में व्याप्त रूढियो पर चुटिला प्रहार करने व शिक्षा के प्रति सामूदायिक सहभागिता सुनिश्चित करनेहेतु कला—जत्था अभियान चलाया जायेगा। कला—जत्था विशेष रूप से वहॉ चलेगा जहॉ महिला साक्षरता दर कम है। तथा बालिकाओं के नामांकन की दर कम है व शालात्याग की दर कम है।

प्रशिक्षण :—

बालिका शिक्षा के प्रति समाज अभिभावक व शिक्षको का नजरिया बदलने व उन्हें संवेदनशील बनाने के विशेष रूप से अलग से जेण्डर संवेदीकरण का प्रशिक्षण किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओ व बच्चो के बीच में स्कूल छोड़ देने के कारण व उनके निराकरणो तथा उपायो पर चर्चा की जायेगी। डी०पी०ईपी० में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आये है।

शिशु शिक्षा केन्द्र :—

बालिकाओ का स्कूल बीच में छोड़ देने का प्रमुख कारण अपने छोटे भाई बहनो की देख—रेख में लगा रहना है इससे उनका विधालय में ठहराव में सुनिश्चिता नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिये संचालित आइ०सी०डी०एस के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में ३ से ६वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा । इन्हें खेल सामग्री व साज सज्जा प्रदान की जायेगी । साथ ही इनकों ऑगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायकायों को प्रशिक्षित किया जायेगा । इन्हें अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा । जनपद मे आई०सी०डी०एस० विभाग द्वारा ८ ब्लॉकों व २ नगर क्षेत्र मे आगनबड़ी केन्द्रोका संचालन किया जा रहा है ।

डी०पी०ई०पी० के तहत इस तरह कुल चार विकास खण्डों में संचालित है जहॉ लगभग २००० छात्र लाभान्वित हो रहे है जिसका फीड बैक स्कूल में परिलक्षित हो रहा है ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

बालिका शिक्षा को बड़ावा देने सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पूर्व प्रा०शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा । जिन विकास खण्डों में आई०सी०डी०एस० के ऑगनबाडी केन्द्र संचालित नहीं किये गये है उन विकासखण्डों में स्वयंसेवी संधो के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते है । इसके अलावा एन०जी०ओ० द्वारा आगंनबाड़ी केन्द्रो के पर्यवेक्षण/अभिकर्मियों के प्रशिक्षण एवं संसाधनों की सहायता प्रदा कराई जायेगी । जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी एन०जी०ओ०से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें तत्पश्चात डिस्कटाप अप्रेजल एवं फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा संस्तुति प्रदान की जायेगी ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव :–

शिक्षा प्राप्त करने के साथ – साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारंम्परिक तथा गैर पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान की गई है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं में भावी जीवन के लिये उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति अभिरूचि तथा अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है , अत: सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकतानुसार मिट्टी के खिलौने एवं टोकरियां कागज के समान आदि के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा ।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उ०प्रा०वि०	14	28	28	38	38

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :–

योजना निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों पंचायत राज्य, जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलॉग कल्याण विभाग , समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्स्व विभाग एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श के बाद आंकडो का संकलन, वातावरण सृजन किया गया । वर्तमान में ६–१४ वय वर्ग की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है ।

वातारण सृजन :–

नियोजन की सफलता समुदाय के सहयोग एवं कार्यशीलता पर निर्भर करती है अत: जनपद के विभिन्न बस्तियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके मूर्त अनुभाव प्रदान किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण/ भूमिका :–

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रख गया है । नर्व निर्वाचित शिक्षा समितियों का संदर्म प्रशिषण, प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष के अन्तराल में नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्म प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा ।

विद्यालय की स्थिति में उन्नति करने में सामुदाय की भूमिका :–

माइक्रोप्लानिंग के पश्चात विद्यालयों जो माइक्रोप्लानिगं के पश्चात विद्यालयों जो समस्यायें है उनके निराकरण हेतु समुदाय के लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगें जहॉ पर विद्यालय हेतु भमि नहीं है या कम भूमि है वहॉ ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :–

विद्यालयी बाम्हपरिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है इस हेतु वृक्षारोपण,पुष्प वाटिका इत्यादि लगा ने के लिये छात्र/समुदाय के लोग व उद्यान विभाग से सहयोग लिया जायेगा ।

साज सज्जा में सहयोग : –

विद्यालय की साज ,सज्जा हेतु विद्यालय में फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट , चाक डस्टर ,शैक्षिक शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा गरीब बच्चों को स्लेट पैनसिल की व्यवस्था समुदाय के सहयोग से किया जायेगा ।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में संक्रियता :–

भवन की मरम्मत, चार दीवारी निर्माण , मिट्टी भराव इत्यादि के लिये समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग :–

विद्यालय परिवेश निर्माण के लिये बच्चे के गणवेश का विशेष महत्व है । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिवावकों एवं जानकार लोगों की सहायता से विद्यालय में अध्ययनरत गरीब बच्चों के लिये गणवेश की व्यवस्था की जायेगी ताकि बच्चो आकर्षक एवं पृथक से विशिष्ट पहचान हो सके ।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृति :–

राष्ट्रीय पर्वो में प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय का सहयोग लिया जायेगा जिससे जन जागृति हो सके ।

अध्यापक सहयोग :–

समुदाय के सभी शिक्षित वर्गो को प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिये समय दें तथा समय–समय पर अध्यापक का सहयोग दें ।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत अभिवावकों , शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा हेतु जागृति उत्पन्न करने के लिये स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगाइसके लिये स्वयंसेवी संगठनों का चिन्हीकरण किया जायेगा । स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा ।

बालिका शिक्षा हेतु आदर्श संकुल निर्माण (एम०सी०डी०ए०) –

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं जनपद में निम्न विवरण के अनुसार न्याय पंचायतों का चयन कर उनमें बालिका शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रयास कर आदर्श न्याय पंचायत बनाया जायेगा जिनके परिणामों एवं अनुभवों को अन्य न्याय पंचायतों में भी लागू करने का प्रयास किया जायेगा ।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
न्याय पंचायत	05	10	10	25	25

ग्राम शिक्षा समिति हेतु पृथक से जेन्डर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ग्राम शि०समिति	452	452	452	452	452

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रुप में करनें का निर्णय लिया गया है । प्राथमिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग से सार्थक परिणाम की आशा है । कम्प्यूटर शिक्षा से एक ओर जहॉ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलती है तो दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करने में सुविधा होगी । शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिलेगें । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपद में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को प्रथमत: दस–दस विद्यालयों में लागू करायेगी तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल ४० उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्राविधान हेतु प्रति वर्ष एक मुश्त रु०६०/– हजार व्यय किये जायेगे ।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कम्प्यूटर हेतु उ०प्रा०वि०	0	10	10	10	-

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एंस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय विकास अनुदान हेतु सारिणी

प्राथमिक विद्यालय हेतु विद्यालय विकास अनुदानः

विद्यालय का प्रकार	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1081	1081	1081
सहायता प्राप्त प्रा0वि0	---	---	---
कुल योग	1081	1081	1081

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु विद्यालय विकास अनुदान

विद्यालय का प्रकार	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय उ0प्रा0वि0	322	322	322
राजकीय उ0प्रा0वि0	5	5	5
सहायता प्राप्त उ0प्रा0वि0	16	16	16
राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज	12	12	12
सहायता हाईस्कूल/इण्टर कालेज	48	48	48
कुल योग	403	403	403

निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण तालिका

प्राथमिक विपद्यालय कक्षा 1 से 5 तक–

विद्यालय का प्रकार	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय प्रा०वि0	0	114420	125862
सहायता प्राप्त हाईस्कूल / इण्टर कालेज से संल्गन प्राथमिक विद्यालय	4398	4837	5320
कुल योग	4398	119257	131182

निःशुल्क पाठयपुस्तक विवरण तालिका

उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8

विद्यालय का प्रकार	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय उ0प्रा0वि0	22989	25290	27820
राजकीय उ0प्रा0वि0	794	873	960
सहायता प्राप्त उ0प्रा0वि0	1085	1193	1312
राजकीय हाईस्कूल / इण्टर कालेज	1455	1600	1760
सहायता हाईस्कूल / इण्टर कालेज	8399	9238	10161
कुल योग	34722	38194	42013

सारणी

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
१	२	३	४
१	विधालय पुर्ननिर्माण	-	02
२	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	581	50
३	पेयजल सुविधा	04	34
४	शौचालय	238	75
५	चहार–दिवारी	0	0

डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत ११५ विद्यालयों का पुर्ननिर्माण किया जा चुका है । सर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्रा०विद्यालय पुर्ननिर्माण हेतु कोई मांग नहीं की जा रही है । इसी प्रकार डी०पी०ई०पी० योजना से प्रदत २८७ अति०कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है । कक्षा कक्ष –छात्र अनुपात के हिसाब से ५८१ अति कक्षा कक्षों की मांग प्राथमिक विद्यालयों हेतु की जा रही है । इसी प्रकार उ०प्रा०विद्यालयों हेतु ५० अति०कक्षा कक्षों की मांग की जा रही है व प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु मात्र ०४ प्रा०वि० शेष है जिनकी मांग सर्व शिक्षा में की जा रही है । उ०प्रा०वि हेतु ३४ हैण्डपम्पों की स्थापना की मांग की जा रही है ।

डी०पी०ई०पी० योजना द्वारा अभी तक ४४० प्रा०वि० में शौचालय उपलब्ध करा दिये गये हैं व शेष विद्यालयों में जिला योजनान्तर्गत शौचालय बनवा दिये गये है मात्र २३८ प्रा०वि० हेतु शौचालयों की मांग की जा रही है । इसी प्रकार उ०प्रा०वि० हेतु ७५ शौचालयों की मांग की जा रही है ।

अध्याय – ९
डायट की संकल्पना,उद्देश्य एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्यक्रम

शिक्षक शिक्षा से सम्बंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रावधानों के आलोक में केन्द्रपुरानिर्धारित योजना जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई ।

डायट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य – प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनीतियों की सफलता हेतु जनपद स्तर पर विशेष रुप से प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकाण एवं प्रौड़ निरक्षरों को काम चलाऊ साक्षरता के संदर्म में अकादमिक सहयोग एवं संसाधनों को उपलब्ध कराना ।

डायट के प्रमुख कार्य – डायट के प्रमुख कार्य निम्नवत् है :

१– प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण
२– प्रसार/परामर्श, शिक्षण व अन्य सामग्री का विकास
३– क्रियात्मक शोध
४– उक्त के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा (वैकल्पिक शिक्षा) तथा प्रौढ़ शिक्षा के अभिकर्मियों का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा समिति, ग्राम्य शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, समुदाय के शिक्षा जगत से जुड़े अन्य वर्गों के सदस्यों का प्रशिक्षण ।

डायट के विभागों द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :डायट के विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण ही आयोजित किये जायेगें । सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की आवश्यकतायें चिन्हित करनें हेतु अलग–अलग कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी । जिसमें डायट फैकलटी, ए०बी०एस०ए०, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०/ए०बी०आर०सी० समन्वयक एवं सह–समन्वयकों को आमंत्रित किया जायेगा । कार्यशालाओं में चिन्हित आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण माड्यूल व प्रशिक्षक तैयार किये जायेगें । साथ ही समय–समय पर उक्त प्रशिक्षणों का मूल्यांकन भी किया जायेगा ।

जनपद झाँसी में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत डायट बरुआसागर के विभिन्न विभागों के द्वारा निम्नांकित कार्य वर्षवार सम्पन्न किये जायेंगे :–

१– जिला संदर्भ इकाई (डी०आर०यू०)

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना	सतत शिक्षा केन्द्रो के लिये नोडल प्रेरक,प्रेरक तथा सहायक प्रेरकों को प्रशिशित करना उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन करना ।	सतत शिक्षा केन्द्रो के लिये नोडल प्रेरक,प्रेरक तथा सहायक प्रेरकों को प्रशिशित करना उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन करना ।	सतत शिक्षा केन्द्रो के लिये नोडल प्रेरक,प्रेरक तथा सहायक प्रेरकों को प्रशिशित करना उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन करना ।	सतत शिक्षा केन्द्रो के लिये नोडल प्रेरक,प्रेरक तथा सहायक प्रेरकों को प्रशिशित करना उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन करना ।
	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों, शिक्षा घर तथा ब्रिजकोर्स आदि के लिये आचार्यजी/ अनुदेशक को प्रशिक्षित काना व उनका अनुश्रवण करना ।	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों शिक्षा घर तथा ब्रिजकोर्स आदि के लिये आचार्यजी/ अनुदेशक को प्रशिक्षित काना व उनका अनुश्रवण करना ।	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों, शिक्षा घर तथा ब्रिजकोर्स आदि के लिये आचार्यजी/ अनुदेशक को प्रशिक्षित काना व उनका अनुश्रवण करना ।	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों, शिक्षा घर तथा ब्रिजकोर्स आदि के लिये आचार्यजी/ अनुदेशक को प्रशिक्षित काना व उनका अनुश्रवण करना ।
	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के संचालनार्थ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करना, सहायक सामग्री निर्माण करना तथा उनका अनुश्रवण करना ।	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के संचालनार्थ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करना, सहायक सामग्री निर्माण करना तथा उनका अनुश्रवण करना ।	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के संचालनार्थ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करना, सहायक सामग्री निर्माण करना तथा उनका अनुश्रवण करना ।	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के संचालनार्थ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करना, सहायक सामग्री निर्माण करना तथा उनका अनुश्रवण करना ।

२– सेवापूर्व विभाग :–

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण ।	शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण ।	शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण ।	शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण ।	शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण ।
बी०टी०सी० प्रशिक्षण	बी०टी०सी० प्रशिक्षण	बी०टी०सी० प्रशिक्षण	बी०टी०सी० प्रशिक्षण	बी०टी०सी० प्रशिक्षण
आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को सहयोग प्रदान करना	आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को सहयोग प्रदान करना	आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को सहयोग प्रदान करना	आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को सहयोग प्रदान करना	आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को सहयोग प्रदान करना

३— सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग :—

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
माध्यमिक स्तर के गणित व विज्ञान के अध्यापकों का एस०ओ०पी० प्रशिक्षण	माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी प्रशिक्षण	माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी प्रशिक्षण	माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी प्रशिक्षण	माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी प्रशिक्षण
शिक्षा मित्रों का १५ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्रों का १५ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्रों का १५ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्रों का १५ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्रों का १५ दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण
सेवारत शिक्षकों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण व शैक्षिक अनुसमर्थन संबंधी प्रशिक्षण ।	सेवारत शिक्षकों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण व शैक्षिक अनुसमर्थन संबंधी प्रशिक्षण ।	सेवारत शिक्षकों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण व शैक्षिक अनुसमर्थन संबंधी प्रशिक्षण ।	सेवारत शिक्षकों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण व शैक्षिक अनुसमर्थन संबंधी प्रशिक्षण ।	सेवारत शिक्षकों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण व शैक्षिक अनुसमर्थन संबंधी प्रशिक्षण ।
प्रधानाध्यापकों का नेतृत्व संवर्धन सम्बंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ।	समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण ।	समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण ।	समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण ।	समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

४— पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग :—

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा संस्थान में आयोजित प्रशिक्षणों का मूल्यांकन	प्राथमिक व उ०प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम मे नैतिक मूल्यों का समावेश तथा संस्थान में आयोजित प्रशिक्षणों का मूल्यांकन	स्थानीय लोकगीतों, कहानियों, एतिहासिक स्थलों से सम्बंधित सूचनाओं का संकलन एवं प्रशिक्षणों का मूल्यांकन	स्थानीय लोकगीतों, कहानियों, एतिहासिक स्थलों से सम्बंधित सूचनाओं का संकलन एवं प्रशिक्षणों का मूल्यांकन	स्थानीय लोकगीतों, कहानियों, एतिहासिक स्थलों से सम्बंधित सूचनाओं का संकलन एवं प्रशिक्षणों का मूल्यांकन

५– नियोजन एवं प्रबंधन विभाग :–

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाईयों के वृहद् कार्य का नियोजन/ वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण लैबएरिया के विद्यालयों में गुणवत्ता संबंर्धन हेतु भ्रमण ।	शिक्षा अभिकर्मियों को वार्षिक कार्ययोजना निर्माण संबंधी प्रशि० प्रदान करना व उनका निर्माण एवं क्रियान्वयन ई०एम०आई०एस०कार्य प्रणाली की विधिवत् जानकारी करानें के बाद कार्यरुप देना ।	ई०एम०आई०एस० कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण । गुणवत्ता संबंर्धन हेतु लैबएरिया के विद्यालयों का भ्रमण । क्रियात्मक शोध कार्य–शाला ।	शिक्षण कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम गुणवत्ता संबंर्धन हेतु लैबएरिया के विद्यालयों का भ्रमण । क्रियात्मक शोध कार्य–शाला ।	नियोजन एवं प्रबंधन के लिये किये गये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम गुणवत्ता संबंर्धन हेतु लैबएरिया के विद्यालयों का भ्रमण । क्रियात्मक शोध कार्य–शाला ।
	गुणवत्ता संबंर्धन हेतु लैबएरिया के विद्यालयों का भ्रमण । क्रियात्मक शोध कार्य–शाला ।			

६— शैक्षिक तकनीकी विभाग :—

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरणों का प्रशिक्षण ।	बी०ओ०सी० के छात्राध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरणों में— टी०बी०,बी०सी०आर० डिस्कप्रोजेक्टरए टू०एन०वन० ओवरहैड प्रोजेक्ब्र तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ।	बी०ओ०सी० के छात्राध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरणों में— टी०बी०,बी०सी०आर० डिस्कप्रोजेक्टरए टू०एन०वन० ओवरहैड प्रोजेक्ब्र तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ।	बी०ओ०सी० के छात्राध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरणों में— टी०बी०,बी०सी०आर० डिस्कप्रोजेक्टरए टू०एन०वन० ओवरहैड प्रोजेक्ब्र तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ।	बी०ओ०सी० के छात्राध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरणों में— टी०बी०,बी०सी०आर० डिस्कप्रोजेक्टरए टू०एन०वन० ओवरहैड प्रोजेक्ब्र तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ।
टी०एल०एम० प्रशिक्षण	टी०एल०एम० प्रशिक्षण	टी०एल०एम० प्रशिक्षण	टी०एल०एम० प्रशिक्षण	टी०एल०एम० प्रशिक्षण

७— कार्यानुभव विभाग :—

2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों हेतु टी०एल०एम० निर्माण कार्यशाला । मोमबत्ती व चॉक निर्माण का प्रशिक्षण	टी०एल०एम निर्माण हेतु सेवारत अध्यापकों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण	छात्राध्याकों को ऑवले की खेती एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण । टी०एल०एम प्रयोग का अनुश्रवण ।	प्राथमिक/उ०प्रा० विद्यालयों में टी०एल०एम प्रयोग का अनुश्रवण ।

मध्यावधि सर्वेक्षण में छात्रों की उपलब्धि – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,बरुआसागर ।

कक्षा	प्रतिशत	बालक	बालिका	ग्रामीण	शहरी	अनु०जाति	पिछड़ी जाति	सामान्य	कुल
2		401	324	581	144	324	311	90	725
	%	55.3	44.7	80.1	19.9	44.7	42.9	12.4	100
5		425	315	368	57	312	342	86	740
	%	57.4	42.6	23.4	4.8	42.2	46.2	11.6	100

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कक्षा २ में चयनित बालक ५५.३ और बालिका ४४.७ रहीं । ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ८०.१ और शहरी क्षेत्र का १९.९ रहा । अनु०जाति का ४४. ७ व पिछड़ा वर्ग का ४२.९ तथा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व १२.४ रहा । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्गवार उपलब्धियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के छात्रों का प्रतिशत अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है ।

मध्यावधि सर्वेक्षण में कक्षा २ व ५ के छात्रों का सम्प्राप्ति स्तर

कक्षा	संख्या	भाषा		गणित	
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन
2	725	75.99	22.71	81.27	18.69
5	740	62.08	20.37	52.93	19.50

कक्षा २ व कक्षा ५ के छात्रों की भाषा व गणित में लिंगवार औसत उपलब्धि

बालक : ४०१ बालिका: ३२४

कक्षा	विषय	संख्या	मध्यमान	मानकविचलन	संख्या	मध्यमान	मानकविचलन
2	भाषा	401	77.5	22.67	324	74.00	22.65
	गणित	401	83.59	17.07	324	78.40	20.18
5	भाषा	425	62.82	20.42	315	61.07	20.29
	गणित	425	54.29	18.67	315	31.10	20.49

कक्षा २ व कक्षा ५ के छात्रों की भाषा एवं गणित की वर्गवार औसत उपलब्धि

कक्षा	क्षेत्र	अनु०जाति		पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग	
		मध्यमान	मानकविचलन	मध्यमान	मानकविचलन	मध्यमान	मानकविचलन
2	भाषा	75.39	22.42	76.69	21.66	75.78	27.07
	गणित	80.12	19.33	82.33	16.93	80.00	21.75
5	भाषा	63.30	21.03	62.26	19.96	56.91	18.96
	गणित	53.96	19.35	53.64	19.04	43.34	20.73

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरुआसागर, झाँसी ।

कार्ययोजना

क्रमांक	क्रियाकलाप	कार्यनीति	उत्तरदायित्व	भौतिक लक्ष्य	समयसारणी					बजट
					2003	2004	2005	2006	2007	
1	बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा	सभी विभाग करेंगे ।	सेवापूर्व विभाग	100	100	100	100	100	100	विभागीय रजिस्टर परीक्षाएं ।
2	स्थानीय पाठ्क्रम	पाठ्क्रम मूल्यांकन विभाग	पाठ्क्रम मूल्यांकन	-	18	18	18	18	18	विभागीय
3	नयी विद्याओं के परिपेक्ष्य में प्रत्येक विषय के लिये गोष्ठी	सेवापूर्व विभाग	सेवारत विभाग	1250	250	250	250	250	250	सेवापूर्व
4	बी०टी०सी० वित्तीय वर्ष के लिये मूल्यांकन अनुश्रवण आदि	सेवापूर्व विभाग	सेवारत के सहयोग	100	100	100	100	100	100	सेवापूर्व
5	अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिये अवसरात्मक शिक्षण	सेवापूर्व	मूल्यांकन विभाग	-	100	100	100	100	100	डी०पी०ई०पी०
6	एस०ओ०पी०टी० प्रशिक्षण जू०हा०स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक	अन्य विभागों इण्टर कालेज	सेवारत विभाग	900	175	175	175	175	200	एस०ओ०पी०टी०
7	एस०ओ०पी०टी० प्रशिक्षण स०अ० विज्ञान , गणित	इण्टर कालेज	सेवारत विभाग	400	175	175	175	175	200	एस०ओ०पी०टी०
8	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	डायट के सभी विभाग	सेवारत विभाग	838	150	150	150	150	150	एस०ओ०पी०टी०
9	प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण	बे०शि०अधि० व अन्य विभाग	सेवारत विभाग	17	17	17	17	17	17	डी०पी०ई०पी०
10	शैक्षिक तकनीकी एवं दूरसंचार हेतु प्रशिक्षण	शैक्षिक तकनीकी विभाग	सेवारत विभाग	838	838	838	838	838	838	डी०पी०ई०पी०
11	मकतब मदरसे आदि का प्रशिक्षण	उर्दू ई०डी०ई०	सेवारत विभाग	-	60	60	60	60	60	उर्दू विभाग
12	माइल निर्माण कार्य– शालायें	कार्यानुभव विभाग	सेवारत विभाग	-	50	50	50	50	50	कार्यानुभव विभाग एस०ओ०पी०टी०
13	रॉ मेटीरियल एवं सजावट की सामग्री निर्माण	सेवारत विभाग	कार्यानुभव विभाग	742	150	150	150	150	150	डायट
14	चाक मोमबत्ती एवं अगरबत्ती आदि का निर्माण	सेवापूर्व विभाग	कार्यानुभव विभाग	838	175	175	175	175	175	विभागीय एस०सी०ई०आर०टी०

क्रमांक	क्रियाक्लाप	कार्यनीति	उत्तरदायित्व	भौतिक लक्ष्य	समयसारणी					बजट
					2003	2004	2005	2006	2007	
15	बी०टी०सी०द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा उद्यान विज्ञान एवं सौदर्यकरण का प्रशिक्षण	सेवारत एवं कार्यानुभव विभाग	सेवापूर्व विभाग	100	100	100	100	100	100	डी०पी०ई०पी०
16	बी०टी०सी० प्रथम वर्ष के छात्रों से माड्ल तैयार कराना	कार्यानुभव एवं सेवारत विभाग	सेवापूर्व विभाग	100	100	100	100	100	100	डी०पी०ई०पी०
17	मूल्योनि प्रपत्रों की निर्माण कार्यशालाये	मूल्यांकन कम विभाग	सेवारत विभाग	1000	500	500	500	500	500	एस०सी०ई०आर०टी०
18	प्रा०वि०एवं उ०प्रा०वि० हेतु पाठ्यक्रम एवं सुधारात्मक कार्यशालाये	सेवारत विभाग	पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग	100	100	100	100	100	100	एस०ओ०पी०टी०
19	कक्षा ८ के लिये प्रश्नपत्रों की निर्माण कार्यशालायें, सौदर्यकरण का प्रशिक्षण	पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग	सेवारत विभाग	200	200	200	200	200	200	बेसिक परिषद
20	कक्षा ८ के लिये वार्षिक परीक्षा हेतु मूल्याकन व्यवस्था	पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग	सेवारत विभाग	210	210	210	210	210	210	बेसिक परिषद
21	दूरदर्शन का ज्ञान एवं प्रशिक्षण बी०टी०सी० हेतु	सेवापूर्व विभाग	शैक्षिक तकनीकी विभाग	100	100	100	100	100	100	डी०पी०ई०पी
22	उत्तर साक्षरता हेतु प्रेरक निर्माण कार्यशालाये	डी०आर०यू० विभाग	सेवारत विभाग	100	100	100	100	100	100	साक्षरता
23	अनौपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण	डी०आर०यू० विभाग	सेवारत विभाग सेवापूर्व विभाग	100	100	100	100	100	100	डी०आर०यू० साक्षरता
24	साक्षरतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यशालाये	डी०आर०यू० विभाग	सेवारत एवं सेवापूर्व विभाग	200	200	200	200	200	200	साक्षरता
25	क्रियात्मक शोध एवं सर्वे कार्यशालायें	नियोजन एवं प्रबंधन विभाग	सेवारत सेवापूर्व एवं तकनीकी विभाग	50	50	50	50	50	50	विभाग
26	प्रा०वि०प्रशासन सम्बंधी कार्यशालायें	नियोजन एवं प्रबंधन विभाग	सेवारत सेवापूर्व विभाग	40	40	40	40	40	40	बेसिक परिषद
27	लैबरेटरिया के विद्यालयों में शोध एवं सर्वे माड्ल्स में	प्रबंधन विभाग	सेवारत विभाग	22	22	22	22	22	22	नियोजन एवं प्रबंधन विभाग

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना।

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अग्रेंजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
अपर प्राइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	अग्रेंजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांक	हिन्दी, एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण,
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्वधन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्वधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्वधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी. एल.एम. प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण :–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।

2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।

3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।

4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।

7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

8– शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।

9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण :–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग समबन्धी शिक्षा प्रदान करेगें।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :–

कक्षा में बालिकाओ के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओ द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़।

वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षणः जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रो के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :–

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सपोर्टएवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयको की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादिमक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट

में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के समन्वयको की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :—

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पॉच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :—

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपमेंट ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

अध्याय – १०

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रुप में संचालित की जायेगी , इसकी अवधि वर्ष २००२–२००३व २००९ –२०१० तक की होगी। इस अवधि में ६–१४ वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जायेगी । सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में प्रर्याप्त प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है ।

परियोजना का प्रबंधन दल भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल हेतु प्रर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें । प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा एवं इसमें यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके । इसमें सबसे निचले स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा । अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी । यह इसलिये किया जायेगा जिससे समाज में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके तथा अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाया जा सके ।

प्रबंधतंत्र संवेदनशील और लचीली प्रणाली :– सर्व शिक्षा की समस्त प्रक्रियों में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन स्थापित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है । इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करनें, वित्तीय निवेशों को सुदृढ़ करनें, रचनात्मक विधियों के साथ प्रवेश कीसुविधा निर्मित करने के साथ उ०प्र०सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है , जो निम्नवत है –

निर्णयकर्ता समितियां

सर्वशिक्षा अभियान की प्रबंन्ध पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें

साधारण सभा और कार्य कारणी ------
> राज्य परियोजना कार्यालय ——— एस०सी०ई०आर०टी
समिति–यू०पी०ई०एफ०ए०पी०बी०

JHS.SSABUDGET/WRITE UP

एस० आई०ई०साइमेट

एस०आई०ई०टी०

एन०जी०ओ०आदि

जिला शिक्षा परियोजना समिति -------
> जिला परियोजना कार्यालय ——— डायट एन०जी०ओ०आदि

क्षेत्र विकास समिति -------
> ब्लॉक शिक्षाधिकारी ——— ब्लॉक संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति -------
> विद्यालय प्रधानाध्यापक ——— संकुल संसाधन केन्द्र

(न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र)

संगठनात्मक ढाचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :– भारतीय संविधान की धारा ४५ में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंन्त्र भारतका प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जायेगा इसके लिये प्रदेश व भारत सरकारों ने अनेक प्रयास किये । राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को भी ध्यान में रखते हुये संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया ।

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा संबंधी समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु बे०शि०अधिनियम १९७२ संशोधित २००० के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है , जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं :–

१— ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

२— ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्र०अ० और यदि वहाँ एक से अधिक विद्यालय हों तो उनके प्र०आ०में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का — सचिव होगा

३— बेसिक विद्यालयों में छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक महिला होगी) जो स०बे०शि०अधि० द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें — सदस्य

४— किसी विकलाँग बच्चे के एक अभिभावक (ग्राम प्रधान द्वारा नामित) — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :— ग्राम शिक्षा समिति निम्न कार्यों का सम्पादन करेगी :

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना ,
(ख) ऐसे बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार,सुधार हेतु कार्य योजना तैयार करना,
(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षाएँ , अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि करना एवं बेसिक विद्यालयों एवं उनके भवनों तथा उपकरणों के सुधार हेतु जिला पंचायत को सुझाव देना ।
(ध) बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जाये ।

उ०प्र०बे०शि०परियोजना के तहत यह समिति नीति निर्धारण के साथ—साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करनें एवं इसका समयवद्व क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग (सूक्ष्मनियोजन)आदि विद्यालओं में उपरोक्त में अतिरिक्त शिक्षा गारंण्टी योजना केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं समस्त संसाधनों का सकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है ।

शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन, मानदेय का भुक्तान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । छात्रवृतियों का वितरण ,पोषाहार, वितरण, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :— इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्दों का निर्माण उ०प्र०जिला प्रा०शि०कार्यक्रम—तृतीय के अर्न्तगत कराया जा रहा है। इसके साथ—साथ न्याय पंचायत संसाधन समन्वयकों की नियुक्तियां कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है व प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा ।

कार्य एवं दायित्व :– (१) न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकाडेमिक निरीक्षण करना,

(२) अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना ,

(३) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना तथा न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं को संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन ,

(४) ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना ।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र के पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी । क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी समिति है :–

(१) ब्लाक प्रमुख	– अध्यक्ष
(२) स०बे०शि०अधि०/प्रति उप०वि०नि०	– सदस्य/सचिव
(३) विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	– सदस्य
(४) विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् प्र०अ०	– सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लॉक सं०केन्द्र एवं न्याय पंचायत सं०केन्द्र के कार्यों में समन्वय स्थापित करना एवं जिला परियोजना समिति द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों एवं आदेशों का पालन करना । क्षेत्र पंचायत के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा । इस समिति की प्रत्येकमाह में एक बैठक अनिवार्य रुप से होगी ।

प्रशासनिक संगठन – ब्लॉक स्तर :–

प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक सहायक बे०शि०अधि०/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है ,जो जिला बे०शि०अधि० के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगें तथा नियमित रुप से

निरीक्षण व अनुश्रवण करेगें । सहा०बे०शि०अधि०/प्रति उप वि०नि० परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लॉक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करना उनकादायित्व होगा तथा इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी । विकासखण्ड के विद्यालय सांख्यकी को समय से एकत्रित करके जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराना तथा सांख्यकी की शुद्धता को बनाये रखनें की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा । सहा०बे०शि०अधि० पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें । विकास खण्ड स्तरीय अधिकारों के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे

१) सर्वशिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
२) विकास खण्ड परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना,
३) विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनु०जा०/जन०जाति० के सभी बालक/बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना,
४) विद्यालय का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना ,
५) पोषाहार एवं सभी प्रकार की छात्रवृतियों का वितरण एवं सूचना एकत्रित करना,
६) ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी ढ़ग से बनाना,
७) विद्यालय भवनों के निर्माण का परवेक्षण करना ,
८) ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लॉक शिक्षा समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करना,
९) अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना एवं वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना ।

ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई०के संचालन का अनुश्रवण सहा०बे०शि०अधि०/प्रति उप०वि०नि० करेंगें, ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई० केंन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रुप से जिला परियोजना कार्याक्रम को उपलब्ध करायेंगें ।

सहा० बे ० शि०अधि०के कार्यालय हेतु बे०शि०परि० पूर्व में ही निर्मित विकासखण्ड संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियानमें विकासखण्ड परियोजना अधिकारो की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगें । इसके लिये उनकी क्षमता वृद्वि तथा गतिशीलता बढ़नें के उद्देश्य से एक मोटरसाईकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि रु०१८०००/– प्रति विकासखण्ड उपलब्ध करानें का प्रस्ताव है । उन्हें ई०जी०एस०/ए०आई०ई० योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु बी०आर०सी०सह–समन्वयक प्रत्येक विकास खण्डसंसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा ।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र : इस जनपद में उ०प्र०जिला प्रा०शि०कार्य० डी०पी०ई०पी०(तृतीय) संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों में ब्लॉक संसाधन केन्द्रो के भवनों का निर्माण कार्य शुरु हैं । सभी विकास खण्डों ने विकासखण्ड संसाधन समन्वयक भी नियुक्त कर लिये हैं व सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह–समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा जो सहा०बे०शि०अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, विद्यालय सांख्यकी के संकलन एवं सभी प्रकार कीबैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगें ।

कार्य एवं दायित्व :

१) अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना,
२) विद्यालयों का एकाडेमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विद्यालयों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं ,
३) ब्लॉक में विद्यालय सांख्यकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग कर अनुश्रवण करना ,
४) शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन एवं एकाडेमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना,
५) एन०पी०आर०सी० तथा डायट के मध्य संम्पर्क सूत्र के रुप में कार्य करना,
६) विकास खण्ड स्तरीय एकाडेमिक संसाधन समूह का गठन करना व
७) ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना ।

जनपद स्तरीय समिति:–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजनासमिति उ०प्र०बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व मे ही गठित हैं जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ।

समिति का गठन निम्नवत है –

१) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
२) मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
३) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
४) प्राचार्य डायट	सदस्य
५) जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
६) जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य

७) वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य
८) अधिशासी अभियन्ता (आर०इ०एस०) सदस्य
९) अधिशासी अभियन्ता (पी०डब्लू०डी) सदस्य
१०) जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य
११) दो शिक्षा विद (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित
१२) दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)
१३) दो शिक्षक (राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त)
१४) स्वैछिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :– यह समिति सर्व शिक्षा अभियन के लिये उच्च नीति निर्माणक समिति है । जनपद स्तर पर जिला प्रा०शि०कार्य० के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है । रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर गुणवत्ता में सुधार, निर्माण कार्य एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करनें, रणनीति निर्धारण के सम्बध में इसके निर्णय मान्य होंगें । प्रवेश, धारण,गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु संस्थाओं का निर्धारण तथा प्रचार–प्रसार हेतु सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगें । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संचालन एवं निर्देशन के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी व ई०जी०एस०/आर०ई०एस से सम्बंधित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के सुचारु संचालन का दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति /जिला विद्यालय समिति : उ०प्र०बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम १९७२ के अन्तर्गत प्रत्येक जिल में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसकी सदस्यता निम्नवत है :–

१) जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्ष
२) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य–सचिव
३) अवर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) पदेन – सदस्य
४) जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन – सदस्य
५) जिला विद्यालय निरीक्षक पदेन – सदस्य
६) अपर बे.शि०अधि० पदेन – सदस्य
(महिला यदि कोई हो और उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय
उप निरीक्षक)
७) तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से रज्य सरकार सदस्य
द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें

८) विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) सदस्य
जो समिति का सहासक सचिव होगा

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षक और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्न कार्य समिति सम्पादित करेगी :—

क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक विद्यालयों का प्रशासन करना,
ख) नये बेसिक विद्यालय स्थापित करना,
ग) ऐसे बेसिक विद्यालयों के विकास एवं सुधार के लिये कार्य योजनाएं तैयार करना ।

अत: उपरोक्त समिति नये विद्यालयों एवं असेवित बस्तियों में स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिये स्थल चयन करेगी ।

प्रशासनिक तन्त्र — जिला परियोजना कार्यालय :— जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रुप में कार्य करेंगें ।राज्य परियोजनासमिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बे०शि० अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगें । इन सब कार्यों हेतु जिला बे०शि०अधि०की मदद के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी , जिसमें आवश्यक स्टॉफ के पद उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद नियमों केअनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नवत अधिकारी एवं कर्मचारी होंगें :—

१) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
२) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी(ई०जी०एस० / ए०आई०ई०)	१ प्रतिनियुक्ति पर
३) समन्वयक	४ प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत वेतन प्रति पद
४) सलाहकार	२ रु०१०,०००/— नियत वेतन पर प्रति पद
५) ई०एम०आई०एस अधिकरी नियत वेतन पर प्रति पद	१ रु०१०,०००/—
६) कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यकी सहायक	३ रु०७,०००/—

	नियत वेतन पर प्रति पद
७) सहायक लेखाधिकारी	१ प्रतिनियुक्ति पर
८) लिपिक	१ नियत मानदेय के आधार पर
९) परिचारक	१ नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिविलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्म–चारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगें , तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तर–दायी होंगें। जनपद के कार्यरत सभी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उपजिलाधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बंधित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमोंके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगें ।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उपबेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :– सर्व शिक्षा अभियन के तहत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाईविभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानदेय के अनुसार ही उन्हें मानदेय दिया जायेगा । वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रुपये एक हजार प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रुपये पांच सौ तथा प्रति शौचालय हेतु रुपये दो सौ की दर अनुमान्य होगी । प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौ–चालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा, यह विद्यालय भवन में ही माना जायेगा ।

एजुकेशनल मैनेजमैन्ट इन्फोरमेंशन सिस्टम (ई०एम०आई०एस०) :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिलापरियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं

क्रियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) के तहत जनपद मेंपूर्व से ही एम०आई०एस०डाटा कैप्चर प्रणाली स्थापित है ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराईज ई०एम० आई०एस० के संचालनार्थ एक ई०एम०आई०एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स सांख्यकी सहायक रखे जायेंगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट तत्परतानुसार उपलब्ध हो सके । जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई०एम०आई०एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके ।

ई०एम०आई०एस०अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :– जिला परियोजना कार्यालय में स्थानित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबेध प्रणाली में तैनात **ई०एम०आई०एस०अधिकारी** के निम्नलिखित कार्य एवं दा यित्व होंगे –

- **विद्यालय हेतु सांख्यकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना,**
- **समय से फील्ड स्टाफ (बी०आर०सी०,एन०पी०आर०सी० समन्वयकों व प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजिन कराना ,**
- **माह अकटूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्ररकरण कराना ,**
- **भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो तो अभिलिखित कराना ,**
- **समयवद्व रुप से हर साल दिसम्बर के अतं तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार करा कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना ,**
- **संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों को उपलब्ध कराना ।**
- **सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यकी के लिये नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीयबैठक/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना ,**

- **माईक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटराइज्ड, विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बंधित को प्रस्तुत करना ।**

प्रशिक्षण :— विद्यालय सांख्यकी सम्बंधी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी०आर०सी०समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बंधी प्रपत्र भरनें ,संकलन , विश्लेषण आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी । उसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बधी आंकड़ों की दो प्रति शत सैम्पल चैकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ई०एम०आई०एस० का जिले स्तर पर प्रशिक्षण :— यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा जिसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, कम्प्यूटर आपरेटर तथा लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

ई०एम०आई०एस० का ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण : यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा जिसमे सहायक बे०शि०अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी.आर०सी०समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगें ।

ई०एम०आई०एस० का न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण :—यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा जिसमें एन०पी०आर०सी०समन्वयक, सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें ।

ई०एम०आई०एस० का प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट स्तर पर प्रशिक्षण :—राज्य परियोजना कार्यालय/सीमेट, इलाहाबाद द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण सप्ताह भर का होगा इसमें डी०पी०ओ० एवं बी०आर०सी० के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन में ई०उम०आई०एस० प्रबंधन एवं अन्य तीन दिनों में प्रोजेक्ट इॅनरमेंशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर पर ३० सितम्बर की स्थितिनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा तथा कम्प्यूटर पर डाटा एंट्री के बाद ई०उम०आई० एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी । प्रत्येक वर्ष विद्यालय से भरे हुये प्रपत्र जिला परियोजना कार्यालय से प्रिटआउट करके सभी प्रधानाध्यापक को एक—एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी ताकि प्रधानाध्यापकों को यह जानकारी मिल सके कि जो सूचना उनके द्वारा भर कर भेजी गयी थी वो सही है अथवा नहीं अप्रत्यक्ष रुप से सूचना की पुष्टि हो जायेगी व कोई त्रुटि होने पर सुधारके अवसर प्राप्त हो सकेगें ।

आंकड़ों का उपयोग :— ई०एम०आई०एस०आंकड़ों के विश्लेक्षण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे — जी०ई०आर०, एन०ई०आर०, ड्राप आउट, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष

अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय इत्यादि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके तथा कार्य याजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके ।

माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई०एम०आई०एस०से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन होगा । ई०एम०आई०एस० एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा–

१– नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान,
२– शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण ,
३– छात्र संख्या में वृद्वि के फलस्वरुप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यक्ता की पहचान ,
४– एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ,
५– छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यक्ता वाले विद्यालयों की पहचान ,
६– शिक्षकों का विवरण ,
७– विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ,
८– विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ,
९– बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण ,
१०– नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बधित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बधित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा ,जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाय जायेगा ।

कोहॅर्ट स्टडी :– छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्वि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहॅर्ट स्टडी करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा किया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक से की जायेगी व एकस्टडी की अनुमानित लागतरु०२/– लाख रखी गई है ।

प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट इन्फारमेंशन सिस्टम :– एम०आई०एस० के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों

के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी । जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी होगी उनकी ओर जनपद से संबंधित अधिकारीका ध्यानाकर्षित किया जायेगा एवं प्रगति को बढ़ानें के लिये प्रभावशाली कार्यवाही की जायेगी ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल०ए०सी०आई० के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये एन०आई०सी० प्रयोग में लाया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :– गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पा पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है । जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र०बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के वृहद कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुये अधिक सुदृढ़ किया जायेगा ।

कार्य एवं दायित्व :–

१– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर्स/ संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना ।

२– राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों ओर अनुसधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ।

३– ब्लॉक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

४– जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और इसके परिणामों/निष्कर्षो की जानकारी सर्व सम्बंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके ।

५– जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूल्क निरीक्षण करना व उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यक्ता अनुसार अध्यापकों का मार्गदर्शन करना ।

६– ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना ।

७– जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना ।

८– जिले स्तर पर एकाडेमिक संसाधन ग्रुप का गठन करना ।

९— न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना ।

१०— शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।

११— शैक्षिक संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजल में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकरणों को प्रशिक्षण देना ।

१२— शिक्षकों, समन्वयकों, ई०सी०सी०ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तानान्तरण (फ्लो आफ फण्ड) :— प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार का राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के पश्चात जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी०आर०सी०एवं०, एन०पी०आर०सी०को उपलब्ध करायी जायेगी । निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बंधित कार्यदयी संस्था के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी । सर्व शिक्षा अभियान के नामसे अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाअधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से संचालित किया जायेगा । सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तिय संदर्षिका पहले से ही प्रख्यापित है ,जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं । इस लिये रु०५०००/— मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति अति आवश्यक होगी। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू हैं। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसीके लेखा संबंधी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रुप से संचालित होगा । बी०आर०सी/एन०पी०आर०सी० केन्द्रों पर संयुक्त खाता खुला है । जिसका परिचालन उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा—जोखा रखने के लिये वित्तीयनियम स्पष्ट निर्धारित हैं । परचेज एवं प्रक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं जो परियोजना में भी अपनाये जायेगें और सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी । समस्त लेखा संबंधित स्टाफ को सर्व शिक्षा के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा, तथा समय—समय पर पुनश्चर्या पाठयक्रम भी आयोजित किये जायेगें । परियोजना कार्य —क्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके बैंक में खाते पूर्व से संचालित हैं । जिला परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशिका संकलित विवरण प्रति माह

उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यता राज्य परियोजनाकार्यालय द्वारात्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फण्ड फ्लो डायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

१) बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी०
२) ग्राम शिक्षा समिति
३) अध्यापक
४) स्वय सेवी संस्था आदि

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :— उ०प्र०सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अर्न्तगत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्रसम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा । यह कार्य वित्तीय वर्ष सम्पादित के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा । चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट काचयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमोंके अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण महालेखाकार, उ०प्र०इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था रहेगी ।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :— परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरुप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपबेसिक

शिक्षा अधिकारी ,जिला समन्वयकों , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रतिउपविद्यालय निरीक्षकों, बी०आर०सी० समन्वयकों की वांछित समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगीं जिसमें योजना कार्यों को सम्वादित करनें में आने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में चर्चा की जायेगी एवं उसमें स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा । इसी तरह से प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगीं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीडबैक प्राप्त किया जायेगा । राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देशन प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें । साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त बनाया जायेगा व कमियों का निराकरण करते हुय सुधार लाया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराइज्ड पी०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेष्ण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा । वार्षिक ई०एम०आई०एस०डाटा विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा यथासम्भव उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेगें । आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट की सरचना के समय–विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव अनुभूति कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्नइण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगें ।

::::::::::::::::::::

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएं हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

District - JHANSI

(Rs. In Thous

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remarl
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Mont
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00	0	0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting			6.00	8	48.00	8	48.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	8	40.00	8	40.00	
7	Contegency			12.50	8	100.00	8	100.00	
	TOTAL BRC	0	0.00		24	188.00	24	188.00	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Mont
10	TLM			1.00	65	65.00	65	65.00	
11	Contegency			2.50	65	162.50	65	162.50	
12	Meeting & TA			2.40	65	156.00	65	156.00	12 Mont
	TOTAL CRC	0	0.00		195	383.50	195	383.50	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	53	13727.00	53	13727.00	Spill.Handpu
14	New Upper Primary School	24	2095.00	280.00	96	26880.00	120	28975.00	Spill.Handpu
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	13	910.00	13	910.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	29	290.00	29	290.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	2	766.00	2	766.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	24	2095.00		193	42573.00	217	44668.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	24	864.00	24	864.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	65	2197.00	65	2197.00	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		90.00	3241.00	90.00	3241.00	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		90	3241.00	90	3241.00	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	3999	199.95	3999	199.95	
35	Free Text Books UPS			0.15	37830	5674.50	37830	5674.50	
	TOTAL Text Book	0	0.00		41829	5874.45	41829	5874.45	
(VII)	IED						0	0.00	
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1662	1994.40	1662	1994.40	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1028	5140.00	1028	5140.00	
58	U.P.S.			5.00	232	1160.00	232	1160.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1260	6300.00	1260	6300.00	
(XIII)	DPO						0	0.00	
	Management Cost	0.00	0.00			1590.00	0	1590.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	256	358.40	256	358.40	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		256	358.40	256	358.40	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	22	44.00	22	44.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	250	500.00	250	500.00	
	Total School Grant	0	0		272	544.00	272	544.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - JHANSI

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	72	8640.00	72	8640.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		72	8640.00	72	8640.00	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	53	2862.00	53	2862.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	288	17280.00	288	17280.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	53	715.50	53	715.50	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	0	0.00	0	0.00	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		394	20857.50	394	20857.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		466	29497.50	466	29497.50	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	152	76.00	152	76.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1808	904.00	1808	904.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		1960	980.00	1960	980.00	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	53	530.00	53	530.00	
88	TLE UPS @50	24	1200.00	50.00	96	4800.00	120	6000.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	46	2300.00	50.00	0	0.00	46	2300.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	70	3500.00		149	5330.00	219	8830.00	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	25	52.50	25	52.50	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	106	148.40	106	148.40	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	908	953.40	908	953.40	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		1039	1154.30	1039	1154.30	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XXIII	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			200.00	0	200.00	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		5595.00			105208.55		110803.55	

Arti.Jhansi:Sheet1 01-08-03

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
JHANSI

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	53	13727	0	0	5	1280	0	0	58	15007
A2	New Upper Primary Schools	451	24	10824	96	26880	0	0	5	1400	0	0	125	39104
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	72	6840	72	8640	72	8640	72	8640	72	8640	360	41400
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	53	715.5	53	1311.75	58	1435.5	58	1435.5	222	4898.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	53	2862	53	5724	58	6264	58	6264	222	21114
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	288	17280	288	34560	303	36360	303	36360	1182	124560
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	53	530	0	0	5	50	0	0	58	580
A8.2	UPS	50	38	1900	96	4800	0	0	5	250	0	0	139	6950
A9	TLE UPS not covered OBB	50	46	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2300
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21864**	0	**75434.5**	0	**50435.75**	0	**55879.5**	0	**52899.5**		**256513.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	75	1584.375	75	1584.375	75	1584.375	225	4753.125
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm.& Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	24	864	48	1728	48	1728	48	1728	168	6048
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	3	540	3	540	3	540	10	1800
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	65	2197	65	2197	65	2197	65	2197	260	8788
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	10	153.5	10	153.5	10	153.5	30	460.5
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21864.00**	0	**78675.50**	0	**56888.63**	0	**62332.38**	0	**59352.38**	**0**	**279112.88**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	2	766	0	0	0	0	0	0	2	766
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	200	14000	200	14000	181	12670	581	40670
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	7	490	13	910	25	1750	25	1750	0	0	70	4900
R4.1	Toilets Upper Primary	10	60	600	29	290	75	750	0	0	0	0	164	1640
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	250	2500	150	1500	0	0	400	4000
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	4	72	0	0	0	0	4	72
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	34	612	0	0	0	0	34	612
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1028	5140	1081	5405	1081	5405	1086	5430	4276	21380
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	232	1160	232	1160	322	1610	322	1610	327	1635	1435	7175
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0				

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	0	0	365	9033.75	410	10147.5	775	19181.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	363	34848	408	39168	454	43584	1225	117600
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	0	0	365	9033.75	45	1113.75	47	1163.25	457	11310.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	22	44	1081	2162	1086	2172	1086	2172	3275	6550
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	202	404	250	500	403	806	408	816	408	816	1671	3342
R12	**Promoting Girls Education**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	40	180	40	180	40	180	120	540
R12.2	MCDA	75	20	1500	0	0	10	750	10	750	10	750	50	3750
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	65	260	65	260	65	260	195	780
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	16	400	16	400	16	400	48	1200
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	200	1000	200	1000	200	1000	600	3000
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	200	750	200	750	200	750	600	2250
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	200	300	200	300	200	300	600	900
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	200	14	200	14	200	14	600	42
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1403	3928.4	1403	3928.4	1403	3928.4	4209	11785.2
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	65	325	65	325	65	325	195	975
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	689	330.72	689	330.72	689	330.72	2067	992.16
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	16	400	16	400	16	400	48	1200
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	16	80	16	80	16	80	48	240
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	1400.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	27.5	1650	0	5000	10	600	10	600	10	600	57.5	8450
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1403	3507.5	1403	3507.5	1403	3507.5	4209	10522.5
	RETENTION Sub Total		0	**5804**	0	**13810**	0	**86842.7**	0	**89862.42**	0	**90911.67**	**0**	**287230.76**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	25	52.5	365	766.5	50	105	47	98.7	487	1022.7
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	114	239.4	0	0	363	762.3	65	136.5	46	96.6	588	1234.8
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	106	148.4	2929	4100.6	3297	4615.8	3542	4958.8	9874	13823.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	722	1010.8	908	953.4	1196	1255.8	1211	1271.55	1211	1271.55	5248	5763.1
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	463	648.2	833	1166.2	878	1229.2	2174	3043.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	123	258.3	123	258.3	123	258.3	369	774.9
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	24	16.8	24	16.8	24	16.8	72	50.4
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	65	45.5	65	45.5	65	45.5	195	136.5
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	40	56	40	56	40	56	120	168
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	26	9.1	26	9.1	26	9.1	78	27.3
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1662	1994.4	1854	11124	2015	12090	2212	13272	7743	38480.4
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	152	76	4132	2066	4232	2116	4525	2262.5	13041	6520.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	836	418	1808	904	1439	719.5	1454	727	1454	727	6991	3495.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	3999	199.95	4398	219.9	119257	5962.85	131182	6559.1	258836	12941.8
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	38536	5780.4	37830	5674.5	34722	5208.3	38194	5729.1	42013	6301.95	191295	28694.25
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1403	210.45	1403	210.45	1403	210.45	4209	631.35
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	133	6.65	133	6.65	133	6.65	399	19.95
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1081	16215	1081	16215	1081	16215	3243	48645
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	322	2415	322	2415	322	2415	966	7245
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**7448.6**	0	**10003.15**	0	**46176.4**	0	**53225.3**	0	**56082.7**		**172936.15**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	1	48	1	48	2	96
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	8	1152	8	1152	16	2304
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	16	1056	16	1056	32	2112
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	8	48	8	48	8	48	8	48	32	192
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	8	16	8	16	8	16	24	48
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	8	80	8	80	8	80	24	240
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	8	40	8	40	8	40	8	40	32	160
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	8	100	8	100	8	100	8	100	32	400
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	8	28.8	8	28.8	8	28.8	24	86.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	8	40	8	40	8	40	24	120
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	65	9360	65	9360	130	18720
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	65	65	65	65	65	65	65	65	260	260
C3.4	Contingency	2.5	0	0	65	162.5	65	162.5	65	162.5	65	162.5	260	650
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	65	156	65	156	66	156	65	156	260	624
C4	District Project Office/Management		17	798	0	1590	0	0	0	0	0	0	17	2388
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	12	2160	12	2160	24	4320
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	18	324	18	324	18	324	54	972
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	8	960	8	960	8	960	24	2880
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	1081	1513.4	1081	1513.4	2162	3026.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	240	336	256	358.4	322	450.8	322	450.8	322	450.8	1462	2046.8
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1134**	0	**2519.9**	0	**3996.1**	0	**19295.5**	0	**19295.5**		**46241**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
	CAPACITY Sub Total		0	**1134**	0	**2719.9**	0	**4240.1**	0	**19719.5**	0	**19719.5**	**0**	**47533**
	GRAND TOTAL		0	**36250.6**	0	**105208.55**	0	**194147.80**	0	**225139.60**	0	**226066.25**	**0**	**786812.79**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention												**JHANSI**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**	**Total**
Civil			11914.0		42573.0		19684.0		19930.0		12670.0	106771.0
Management			336.0		358.4		2568.8		6492.2		6492.2	16447.6
Programme			24000.6		62277.2		171895.0		198717.4		206904.0	663594.2
Total			**36250.6**		**105208.6**		**194147.8**		**225139.6**		**226066.2**	**786812.8**
Percentage - Civil			**32.9**		**40.5**		**10.1**		**8.9**		**5.6**	**13.6**
Percentage - Management			**0.9**		**0.3**		**1.3**		**2.9**		**2.9**	**2.1**
Percentage - Programme			**66.2**		**59.2**		**88.5**		**88.3**		**91.5**	**84.3**
Percentage - Total			100		100		100		100		100	100